राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का ६वां दिवस [संख्या ६

गुरुवार, दिनांक ३ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर १० मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, जलबोर्ड, आयुर्वेद, भाखरा योजना, वन, राजस्थान केनाल, सिंचाई, सहकारी तथा पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह

कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा वितरित बीज

१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) ; क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कृषि के लिये अच्छा बीज सरकार द्वारा वितरित किया जाता है ? अगर हां, तो यह बीज एक ही क्वालिटी का है या अलग अलग किस्म का ?

(२) क्या यह सही है कि बीज काश्तकारान को देते वक्त बोरियों की कीमत नकद वसूल की जाती है ? अगर हां, तो किस हिसाब से ? अगर नहीं, तो क्या वह बीज वापिस लेते समय वही बोरियां वापिस ले ली जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कई काश्तकारान को जब कि एक मन या उससे कम बीज की जरूरत होती है तो बोरी ढाई मन की दी जाती है ? यदि हां, तो क्या बोरियों की कीमत हर एक काश्तकार से वसूल की जाती है ? अगर नहीं, तो फिर बोरियों की कीमत किससे वसूल की जाती है ?

(४) क्या बीज की बोरियां कांटे से तोलकर दी जाती है तथा क्या यह बीज समितियां, सरपंच या सहकारी समिति वितरण करती है ?

(५) क्या सरकार गेहूं के अलावा जौ, चना और लाल गेहूं के बीज का भी प्रबंध करती है, जब कि दक्षिणी भाग यानी टौंक,

Page No.2

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

मालपुरा व बूंदी में काली जमीन है जो लाल गेहूं उत्पन्न करती है।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, ज्यादातर सी० ५६१ न्यू पूसा ७१८ और आर० एम० ३१—१ गेहूं का बीज वितरित किया जाता है।

(२) बीज देते समय बोरी की कीमत काश्तकार से नकद वसूल की जाती है। बोरी का भाव उसकी खरीद की दर के अनुसार लगाया जाता है। काश्तकार के ले जाने के बाद विभाग बोरियां वापिस नहीं लेता।

(३) जी नहीं। काश्तकार को जितने बीज की जरूरत होती है उतना ही उसे दिया जाता है। २॥ मन से कम की खुदरा बिक्री पर बोरी सहकारी समिति अथवा पंचायत को रखनी पड़ती है।

(४) जी हां।

(५) सरकार द्वारा उन्नत जाति का बीज ही वितरित किया जाता है। परिस्थितियों में पिछले रबी अभियान के समय जौ, चना, व लाल गेहूं के वितरण की व्यवस्था भी स्थानीय बाजार से प्राप्त करके की गई थी। टौंक, मालपुरा, बून्दी में लाल गेहूँ उत्पन्न होता है, लेकिन विभाग तो उन्नत बीज ही बांटता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि जब बीज की बोरियों की कीमत वसूल की जाती है तो वह पंचायत समितियों को थोक से दे देते हैं और बोरियों की कीमत पहले ले ली जाती है लेकिन जब पंचायत में बीज का वितरण होता है तो उस समय कोई काश्तकार जरूरत के समय लेता है तो उस बोरी की कीमत जो कम लेने वाले होते हैं उनसे भी वही लगाई जाती है और जो ज्यादा लेने वाले होते हैं उनसे भी वही लगाई जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि विभाग की तरफ से कार्यवाही होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं समझ नहीं पाया।

श्री दौलतराम सारण : मैं दुबारा पढ़ देता हूँ। काश्तकार को जितने बीज की जरूरत होती है उतना ही उसे दिया जाता है। २॥ मन से कम की खुदरा बिक्री पर बोरी सहकारी समिति अथवा पंचायत को रखनी पड़ती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायत फण्ड में से २॥ मन की बोरी रखते हैं तो फण्ड में से पंचायत देती है या काश्तकार से वसूल करती है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन कर दिया है जो मेरी सूचना है उसके अनुसार पंचायत भी रखती है और सहकारी समिति भी रखती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि बीज जब तोलते हैं तो पंचायत समिति को तो कांटे से दिया जाता है और जब काश्तकार को कम की जरूरत पड़ती है तो सरपंच ताकड़ी से

Page No.3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तोलता है और कम तोलते हैं। तो उसमें जो बढ़ोतरी होती है तो वह कहां जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : आप तो यह बात अपकी धारणा से कहते हैं। मैंने कह दिया है कि तोलकर दिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लेकिन तोलकर कैसे दिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : कांटे से।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो यह समझता हूं कि कांटे से तो थोक में दिया जाता है, पर वह जो सरपंच काश्तकारों को देते हैं वह किससे तौलकर दिया जाता है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हम तो बीज सहकारी समिति को, पंचायत समिति को दे देते हैं। अब पंचायत समिति कम तोलती है या सहकारी समिति कम तोलती है तो जो लोग लेते हैं उनको बात करनी चाहिए। दूसरी बात बोरी की है तो बोरियों की कीमत तो वसूल काश्तकार से की जाती है और जो खुदरा बिक्री से बेचते हैं तो सहकारी समिति को वह बोरियां रखनी पड़ती हैं डिपार्टमेंट की ओर से। तो अब यह बीज लेने वाले और समिति के मेम्बरों की बात है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या राजस्थान में सभी जगह यही अमल में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अजमेर की पंचायत में बोरियां, जब बीज वापिस लेते हैं बाड़ी से तो वही बोरियां रखते हैं और उन्हीं बोरियों में बीज लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर बोरियां अच्छी हालत में हैं तो हम वापिस ले सकते हैं, हमें मनाई नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : खराब हो जायें तो ? अगर बोरियां अच्छी हों तो वे बोरियां पंचायत समिति रख ले और जब बीज लें तो उसी में भरकर ले लें तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छी हालत में हैं तो ली जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

म्यूनिसिपल बोर्ड, भीलवाड़ा, के कुछ कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले

१६६. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) म्यूनिसिपल बोर्ड, भीलवाड़ा, के किस किस कर्मचारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कितने कितने मामले अब तक दायर हुए हैं और उनमें से कितने और किस किस के प्रमाणित हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) प्रमाणित मामलों में किस किस के विरूद्ध क्या क्या एक्शन लिया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) नगरपालिका में नगरपालिका के चुंगी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध चुंगी चोरी करने, कम चुंगी वसूल करने, माफिक चुंगी की रकम वसूल कर कम रकम जमा कराने व अन्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी नगरपालिका द्वारा जांच की गई । सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(२) इन व्यक्तियों में से पांच को बोर्ड की सेवाओं से पृथक कर दिया गया है । तथा एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री शिवचरणदास : पृथक किस किस में किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फतेह मोहम्मद के अलावा सब को कर दिया गया है ।

श्री शिवचरणदास : इसमें क्रिमिनल केस बनता था या नहीं, जिनको अलग किया गया उनके खिलाफ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई ओवर राइटिंग की शिकायतें हैं, चुंगी-चोरी की, चुंगी कम वसूल करने की और माफी की हुई रकम की वसूली करके अपने पास रखने की शिकायतें हैं । इसमें कोई क्रिमिनल केस तो नहीं बनता । यह मामले हमने पुलिस में भी भेजे थे । एक केस को तो उन्होंने वापिस भेज दिया डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने के लिए और बाकी पांच को नौकरी से अलग कर दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एम्बेज़लमेंट के कितने केसेज़ हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कुल ६ आदमी थे, इनमें से ५ को हटा दिया और एक के खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने आदमियों के नाम हैं ताकि हम बतायें कि क्या होना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने लिस्ट दे दी है । कुल ६ थे । इनमें से ५ के खिलाफ तो कार्यवाही हो चुकी है और एक के खिलाफ हो रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि इन व्यक्तियों के मामले पुलिस को दे दिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा है कि फतेह मोहम्मद का केस है जो कि जांच के लिए पुलिस को दिया गया था । वह उन्होंने वापिस भेज दिया कि डिपार्टमेन्टल कार्यवाही करो ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ५ आदमियों में से किन किन के मामले पुलिस को दिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट के देने का सवाल नहीं है । यह तो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रश्न है ।

श्री शिवचरणदास : मैंने प्रश्न भी म्युनिसिपल बोर्ड से किया है और प्रश्न मेरा बिल्कुल स्पष्ट है ।

Page No.5

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने भी स्पष्ट उत्तर दे दिया कि इनके खिलाफ शिकायत थी और यह कार्यवाही हुई।

श्री शिवचरणदास : इसमें गबन का केस किनके खिलाफ था ?

श्री अध्यक्ष : यह तो लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह : किस किस के ऊपर गबन का मामला था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने साफ साफ कह दिया है कि इनके ऊपर छोटे छोटे चार्जेज़ हैं; जैसे चुंगी चोरी करने का, कम चुंगी वसूल करने का और माफ चुंगी को वसूल करके जमा नहीं कराने की शिकायतें थीं।

श्री भैरोंसिंह : यह शिकायत किस व्यक्ति के खिलाफ थी कि उसने रकम वसूल कर ली लेकिन नगरपालिका में जमा नहीं कराई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ३ आदमी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन नामों में एक क्लर्क फतेह मोहम्मद का नाम भी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कह दिया कि है उसका नाम।

श्री शिवचरणदास : इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें किस व्यक्ति के नाम व कितनी रकमें गबन करने की शिकायत हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह आपने जानकारी कहां चाही थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपने नहीं पूछा था।

श्री शिवचरणदास : जानकारी का प्रश्न नहीं है। गबन का प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दरअसल में यह है कि किन लोगों के खिलाफ इस तरह के चार्ज़ेज हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ? इसके लिए उन्होंने कह दिया कि ५ के खिलाफ ले लिया और एक के खिलाफ चल रहा है।

श्री शिवचरणदास : यह उत्तर नहीं दिया कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ क्यों नहीं तैयार किये गये ?

श्री अध्यक्ष : उनके लिए उन्होंने कह दिया कि म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है। वह चाहे तो भेज सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

भूतपूर्व ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरीज़

१७०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरीज़ को सरकार ने अपने अधीन में ले लिया है ? अगर हां, तो कब से व क्या क्या औज़ार और मशीनें आदि चार्ज में ली गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी की इमारत को सरकार ने पी. डब्लू. डी. को

Page No.6

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हस्तगत कर दी है ? अगर हां, तो कब से ?

(३) उक्त डिस्पेन्सरी की सालाना मरम्मत और व्हाइट वाशिंग वहां की अन्य सरकारी इमारतों के साथ साथ कब कब कराई गई ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरी को सरकार ने अपने अधीन में १८-६-५४ को लिया था। औज़ार मशीनें आदि जो चार्ज में ली गई थीं उनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) जी हां। दिनांक ४-९-१९५९ से।

(३) डिस्पेन्सरी की सालाना मरम्मत अन्य सरकारी इमारतों के साथ साथ सितम्बर १९५९ में कराई गई थी।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया है कि साधारण मरम्मत १९५९ में कराई गई तो अन्य सरकारी इमारतों के मुताबिक जब इमारतें सरकार को हैण्ड ओवर कर दी जाती हैं तो उनका बजट में रेग्युलर व्हाइट वाश का प्रोविज़न किया जाता है और आप कहते हैं कि साधारण ही, तो साधारण क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब के साथ साधारण बरताव किया जाता है। किसी के साथ में असाधारण बरताव नहीं होता है। सब बिल्डिंगों के साथ साधारण बरताव होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट में आ गई है क्या यह बिल्डिंग ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह लिस्ट तो आपने दे दी इसमें दो चीजों के लिए अर्ज करना है कि ऑक्सीज़न सिलेन्डर और माइक्रोस्कोप चालू हालत में नहीं हैं। कुछ सामान वहां पर नहीं है और उपलब्ध नहीं है तो क्या डॉक्टर के प्रार्थना करने पर अब सरकार जल्दी ही व्यवस्था करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या चाहते हैं ? लिस्ट में सारी चीजें दे दी हैं।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप और ऑक्सीज़न सिलेन्डर नये दे दिये जांय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके मरम्मत करवाने की बात है, वह करवा दी जायगी।

प्रश्न संख्या १७१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७२

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

Page No.7

२५०) से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण

१७३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य के किस किस जिले में, किस किस औषधालय, फार्मेसी में जिले के बाहर के कौन कौन वैद्य, उप-वैद्य, परिचारक व अन्य २५०) रु० माहवार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी कब कब से नियुक्त हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण इस प्रकार से किया जा सकता है कि जिसके अनुसार अधिकांश कर्मचारी अपने जिले में, अपने जिले से नजदीक के जिले में या अपने जिले के डिवीज़न में ही नियुक्त किये जा सकें ? यदि हां, तो किन किन को और अगर नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तालिका संकलित की जा रही है। संकलित होने पर सदन की मेज पर रखवा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : तालिका नहीं मिली है। नोटिस ऑफिस में एक बार हो आया। बार बार नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि तालिका संकलित की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जब वह तालिका मिलेगी तब मैं क्वेश्चन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बाद में करें।

प्रश्न संख्या १७४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७५

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

काश्तकारान को उनके मवेशियों का चमड़ा धुपाई और रंगाई देने के बाद वापिस करना

१७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्यों में राज्य में काश्तकारान को अपने मवेशी मर जाने पर जो लोग चमड़ा निकालते थे उनको उनकी हाथ धुपाई और रंगाई दे देने पर चमड़ा वापिस काश्तकारान को दे दिया जाता था ?

(२) अगर हां, तो क्या राजस्थान एकीकरण के बाद भी यह रिवाज़ म्युनिसिपल और पंचायत एरियाज़ में जारी है ?

(३) अगर नहीं, तो क्या सरकार काश्तकारों के हक में इसको जारी करने का विचार रखती है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से) :

Page No.8

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(१) सारे राजस्थान में इस सम्बन्ध में अलग अलग रिवाज़ हैं। इसका स्वायत्त शासन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) सवाल पैदा नहीं होता है।

(३) कोई प्रश्न नहीं उठता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलग अलग क्या रिवाज़ हैं ? आप भी फर्मा दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि मुर्दा मवेशियों के बारे में इन्डिविजुअल स्थानों पर काश्तकारान बहुत से ऐसे थे जिनके अपने अपने हरिजन होते थे, वे उठाया करते थे। जहां पर व्यवस्था नहीं होती है वहां पर पंचायतें और म्युनिसिपैलिटी व्यवस्था करती है। पुराना रिवाज़ है वहां वह चालू है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि जहां है वहां काश्तकार के मुकाबले में पंचायतें बन्द क्यों करती हैं ? मेरे अर्ज़ करने का मतलब है कि जो व्यवस्था थी वह चालू है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पहले व्यवस्था थी, जो रिवाज़ था उसके मुताबिक चलते हैं। पंचायतें व म्युनिसिपैलिटीज़ हस्तक्षेप नहीं करती हैं, लेकिन जहां पर वे नहीं करते हैं वहां पंचायतें व म्युनिसिपैलिटियां उठवाने का प्रबन्ध करती हैं। वे ठेका देकर मुर्दा मवेशियों को फिकवाती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ठेका दे देते हैं। कई पंचायतों ने यह शर्त कर रखी है कि काश्तकारान के जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काश्तकारी पेशे के लिए चमड़े की जरूरत है तो उनके मवेशी मर जांय तो दाम देकर, चमड़े की रंगाई देकर उसको वापिस ले सकते हैं और जो काश्तकार नहीं हैं उनका ठेका दे देते हैं, लेकिन जो वीरान या लावारिस हैं उनके लिए ठेका दे देते हैं। लेकिन काश्तकार के लिए यह रिवाज़ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर्सनल अरेन्जमेंट कोई भी आदमी अपना कर सकता है, पंचायतें दखल नहीं देती हैं। जो पुरानी व्यवस्था है उनमें पंचायतें दखलन्दाजी नहीं कर सकती हैं। जहां पर ऐसा रिवाज़ नहीं है और काश्तकार लोग चाहते हैं तो पंचायतें कर सकती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां पर पंचायतें हस्तक्षेप करें तो फरियाद किसको करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्डिविजुअली किसी की व्यवस्था है। कोई उठाना चाहता है तो उठा सकता है। उनको सूचना दी हुई है कि इन्टरफियर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग—सु) : बाज़ार से ही क्यों नहीं खरीद लिया जाय।

प्रश्न संख्या १७७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक जिले में जंगलात की रेन्जों में मवेशियों की चराई दर

१७८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

डिस्ट्रिक्ट टोंक में जंगलात की एक ही रेन्ज है या अलग अलग ? यदि अलग अलग हैं, तो कितनी रेन्ज हैं और उनमें चराई मवेशियान एक ही शरह से वसूल की जाती है या भिन्न भिन्न ? अगर भिन्न भिन्न है, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, वन मंत्री की ओर से) : टोंक जिले में दो रेंज हैं, टोंक और उनियारा । चराई फीस भिन्न भिन्न चराई क्षेत्र (ग्रेजिंग युनिट्स) के लिए भिन्न भिन्न हैं । विभिन्न इन्टीग्रेटिंग यूनिट में जो चराई फीस राजस्थान बनने से पहले प्रचलित थीं वह अब भी लागू हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : चराई की दरें एक कब हो जायेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कई बार कहा गया कि इसके लिए कमेटी एपोइन्ट की गई थी । उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बूंदी का अस्पताल

१७६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बूंदी का अस्पताल किस श्रेणी का है ।

(ख) क्या यहां मर्दाना व जनाना अस्पताल एक साथ होते हुए भी अलग अलग माना गया है ?

(ग) यहां के अस्पताल की एक्सरे मशीन कब से खराब पड़ी है तथा उसको ठीक करवाने के लिये सरकार ने अब तक क्या यत्न किया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) बूंदी का मर्दाना व जनाना अस्पताल दोनों तृतीय श्रेणी के अस्पतालों में सम्मिलित हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक्सरे की मशीन ठीक हालत में कार्य कर रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : नं० २ का जवाब दिया गया है कि यह अलग अलग है; तो क्या एक ही दीवाल के अन्दर अलग रखा गया है सरकार की सुविधा के अनुसार वाकई दो अलग अलग हॉस्पिटल हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने देखा है उसको, उसमें दो दीवालें हैं । अलग अलग बिल्डिंग है । अलग अलग स्टाफ है, उसकी अलग सेन्क्शन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : स्टाफ तो है परन्तु मेरे कहने का मतलब है कि क्या जिस समय बना है उस समय एक ही नाम से अस्पताल के रूप में बना है, और इस प्रकार सरकार इसको अलग अलग रखती

Page No.10

श्री मुरलीधर व्यास)

है क्योंकि अगर एक साथ हो जाता है तो वह ए श्रेणी का हो जाता है और जो ए श्रेणी को सुविधा मिलती है वह वहां नहीं मिलती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में अलग से डील करते हैं। धौलपुर में सेपरेट है। वहां पर सारा सेपरेट स्टाफ है। सारी चीजें सेपरेट हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एक साथ हो जाय तो वह ए श्रेणी में आ सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में जो नियम बना रखे हैं वे सबके ऊपर लागू करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में जनाना अलग है या एक ही साथ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर का उसी के अन्दर है, अटेच्ड है हमेशा से।

श्री मुरलीधर व्यास : वह भी इसी प्रकार से अटेच्ड है। मैं भी उसको देखकर आया हूं। एक ही सीमा के अन्दर है, एक अहाते के अन्दर है। इस प्रकार से एक हो जाते हैं तो ए श्रेणी की सुविधा उनको देनी पड़ती है। वहां पर जनता की भी मांग है उसको ए क्लास में रखने को वह ठीक है। उसको उचित समझते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मांग तो और भी जगह की है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट सवाई माधोपुर रोड पर स्थित बस स्टेण्ड के पास की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

१८०. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पहले नगरपालिका और अब पंचायत लालसोट ने लालसोट सवाई माधोपुर रोड पर स्थिति बस स्टेण्ड के पास जमीन पर गेंदालाल हजारीलाल खाती द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लेने के बारे में क्या कार्यवाही की ?

(ख) उस जमीन पर अब तक के कब्जे के बदले में पंचायत ने क्या किराया कायम किया तथा उसकी कितनी रकम बाकी निकलती है।

(ग) उस रकम की वसूली के बारे में क्या कार्यवाही की गई और अब तक उसमें से कितनी रकम वसूल हुई।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, पंचायत मंत्री की ओर से) : (क) पूर्व से नगरपालिका की ओर से तहसील में बेदखली के लिए कार्यवाही कराई गई जहां से सब डिविजनल ऑफिसर दौसा के पास केस भेज दिया। अब वह केस पंचायत समिति लालसोट में दिनांक ६-२-६० को मुन्तकिल होकर प्राप्त हुआ है।

(ख) एक आना प्रति गज के हिसाब से किराया तय किया। ६६१४-५० नये पैसे बाकी निकलते हैं।

Page No.11

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) कुछ नहीं। अभी तक कोई हुक्म नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या १८१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार।

राजस्थान केनाल के चोरी गये पाइप

१८२. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या मंत्री, राजस्थान केनाल बोर्ड यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान केनाल के लिए सरकार ने सन् १९५९ में पाइप मंगवाये थे। यदि हां, तो कितनी संख्या में और किस काम के लिए ?

(ख) क्या उक्त पाइपों में से हनुमानगढ़ टाउन रेल्वे स्टेशन पर कुछ पाइप चोरी हो गए थे ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त चोरी हुए पाइपों के दो भरे ट्रक दिल्ली में पकड़े गए हैं ? यदि हां, तो इस मामले में राजस्थान केनाल के किन किन सरकारी ऑफिसरों का हाथ था ?

(घ) जिन केनाल अधिकारियों का उक्त मामले में हाथ था, उनके प्रति क्या आवश्यक विभागीय कार्यवाही की गई ?

राजस्थान केनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र) : (क) जी हां। ७० मील लम्बे पाइप वाटर सप्लाई व नहर सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिए....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलें।

श्री रामचन्द्र : (ख) जी हां, १३५ पाइप चोरी हुए थे।

(ग) चोरी हुए कुछ पाइपों में से १६ पाइप देहली में बरामद हुए हैं। पुलिस व विभागीय जांच अभी जारी है।

(घ) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री धर्मपाल पंवार : किस काम के लिए यह पाइप मंगाये थे सरकार ने ?

श्री रामचन्द्र . उत्तर में बतलाया गया है। वाटर सप्लाई और नहर के निर्माण के लिए।

श्री धर्मपाल पंवार : वाटर सप्लाई की स्कीम कामयाब हुई या नाकामयाब हुई ?

श्री रामचन्द्र : स्कीम का सारा कार्य उन्हीं पाइपों के द्वारा होना चाहिए था वह बिल्कुल ठीक है।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या यह सही है कि जिन पाइपों की लाइन डाली गई है वहां पानी नहीं पहुंचता है, और पानी की वजह से काम बन्द हो जाता है।

श्री रामचन्द्र : पानी पहुँच रहा है। मैं देखकर आया हूं।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर): पाइप की चोरी किस महीने में हुई है ?

श्री रामचन्द्र : वह अगस्त में हुई थी।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या अगस्त से लेकर आज तक इस बात का पता नहीं हुआ कि किस ने चोरी की थी, और किस की असावधानी से हुई थी ?

श्री रामचन्द्र : कुछ तो बरामद हो चुके हैं और बाकी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या कार्यवाही चल रही है। मुलजिमों का पता लग गया है या नहीं, किस की असावधानी से हुआ यह पता नहीं लगा !

श्री रामचन्द्र : कुछ बरामद हुए हैं और मुलजिमों का भी पता लगा है। इसमें भाखरा व रेलवे के मुलाजमान का भी हाथ है, इसकी जांच हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : क्या यह मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री धर्मपाल पंवार : जिन मुलजिमों का पता चला है क्या वे राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं।

श्री रामचन्द्र : ट्रक पर जो पकड़े गये हैं वे दूसरे आदमी हैं, किसकी साजिश से यह चोरी हुई है उसकी जांच हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : क्या यह पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री रामचन्द्र : अक्टूबर में कर दिया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या १८३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

नगरपालिकाओं के चुनाव

१८४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में एक अर्से से बहुत सी नगरपालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं ? अगर हां, तो किन किन नगरपालिकाओं के ?

(२) जिन जिन नगरपालिकाओं की वोटर लिस्ट व बैलट पेपर तैयार हैं, उनके चुनाव कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखवादी गई है।

(२) शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.13

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की कार्य-वाही की जायगी, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जिन की वोटर्स लिस्ट तैयार हो चुकी है उनका चुनाव कराने में आपको क्या अपत्ति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जो नया कानून बना है उसके अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की आबादी मालूम होनी चाहिये। उनकी आबादी जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। सेन्सस रिपोर्ट में फिगर्स नहीं थे। सब जगह के फिगर्स इकट्ठा कर लिये गये हैं। अब जल्दी ही आगे की कार्य-वाही की जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टाउन की आबादी जानने के बाद या शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी जानने के बाद करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी क्या है, इसकी जानकारी मिलने के बाद सीट रिज़र्व की जायगी। आबादी के लिहाज़ से सीट रिज़र्व करने से आबादी मालूम होनी चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जिनकी सीट तय हो चुकी है उनके चुनाव कब होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड बनाने के लिये लिख दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : देवली और उनियारा की लिस्टें तैयार हुए ३ महीने हो गये और आपके पास आ भी गई, फिर भी चुनाव क्यों नहीं किये जाते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खाली लिस्ट तैयार होने से ही काम नहीं चलेगा। सीट फिक्स की जायगी और इसके लिये कलेक्टर को लिख दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था और हर बार यही कह देते हैं कि लिस्ट तैयार हो रही है, आखिर कब तक चुनाव करवायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गत एसेम्बली में तो कानून बना है। सेन्सस रिपोर्ट में फिगर्स एवेलेबल नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : विलम्ब किया जाना अच्छा नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने यह आदेश दिया है कि जहां पर सीट मुकर्रर हो चुकी है वहां पर चुनाव इतने अर्से में करा दिये जांय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड बनाने के लिये कलेक्टर को आदेश दिया गया है, वार्ड बनकर एप्रूव हो जायेंगे तब चुनाव हो सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वार्ड्स के संबंध में संकेत दिया है कि कब तक बन जाने चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर्स को लिख दिया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : वार्ड बनाने की तारीख नियत की गई है क्या ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी के लिये लिख दिया गया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कलेक्टर कैसे करेंगे ? बगैर यहां की इजाजत के वे कुछ नहीं करेंगे । जयपुर और अजमेर में तो शिड्यूल्ड कास्ट की संख्या जानने में समय लग सकता है लेकिन छोटी छोटी जगहों पर इसमें कोई टाइम नहीं लगता । यही नहीं बल्कि वार्ड्स तैयार हो गये हैं, वार्ड वाइज़ लिस्ट तैयार हो गई हैं, सीट्स मुकर्रर हो चुकी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच गये हैं फिर भी यहां से तार देकर चुनाव रोक दिया जाता है, इसका कारण क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की ; कानून के अनुसार कार्यवाही नहीं करेंगे तो सारी कार्यवाही इल्लीगल हो जायगी, इलेक्शन सेट एसाइड हो जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह तो कह सकते हैं कि दो महीने में या चार महीने में चुनाव करा देंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने खुद ने कलेक्टर को सर्क्युलर इश्यु किया है, जल्दी करने के लिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कलेक्टर सर्क्युलर से नहीं करायेंगे, आप टेलीफोन करेंगे तब करावेंगे ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या सरकार का ऐसा भी विचार है कि राजस्थान की सारी म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव एक साथ कराये जांय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ की मयाद एक साथ खत्म हो गई है । ६७ म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव कराने हैं । जल्दी ही, एक साथ नहीं तो कुछ आगे पीछे चुनाव करवा दिये जायेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सरकार ने वार्ड्स बांटने के बारे में इस बात को जाहिर किया है क्या कि एम. एल. एज़. के वार्ड्स को अलग रखा जाय । जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एम. एल. एज़. के लिये ये ये वार्ड्स रहेंगे उसी तरह से उनको कायम रखा गया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी हिदायत करने की आवश्यकता नहीं थी । सीट्स मुकर्रर हैं । शिड्यूल्ड कास्ट की जहां पर पोपुलेशन ज्यादा है वहां पर सिंगल मेम्बर सीट बनाने के लिये कहा गया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मेरा सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि एम. एल. एज़. की कॉन्स्टिट्यूएन्सी को वार्ड्स में डिवाइड किया गया है । जो सिंगल मेम्बर कॉन्स्टिट्यूएन्सी बना रहे हैं उनमें वार्ड्स डिफाइन होंगे । इनको अगर इन्टरमिंगल कर दिया तो जो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को पूछना पड़ेगा ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसलिये सरकार को यह हिदायत देनी चाहिये कि एम. एल. ए. वार्ड की कंटिन्युटी कायम रहे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात आपने ध्यान में दिलाई है। मैं इस बारे में ध्यान दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

वेक्सिनेटर, इन्स्पेक्टर व मलेरिया इन्स्पेक्टर की वांछित योग्यता एवं ग्रेड

१८४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) वेक्सिनेटर व सेनिटरी इन्स्पेक्टर के ग्रेड्स क्या हैं तथा इनके लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ?

(ख) सरकार द्वारा मलेरिया इन्स्पेक्टरों के लिये क्या योग्यता व ग्रेड निश्चित किया हुआ है ?

(ग) क्या मलेरिया इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति में सीनियोरिटी का ख्याल रखा गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) वेक्सिनेटर का ग्रेड ४०-२-६० है। योग्यता कक्षा ८ पास होना चाहिये। सेनीटरी इन्स्पेक्टर का ग्रेड ७५-४-९५ ई. बी. ५-१४० है। योग्यता हाई स्कूल पास तथा सेनीटरी इन्स्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिये।

(ख) मलेरिया इन्स्पेक्टर का ग्रेड ७५-४-९५ ई. बी. ५-१४० है। योग्यता मैट्रिक पास तथा मलेरिया कोर्स पास होना चाहिये।

(ग) जिन २ सेनीटरी इन्स्पेक्टरों ने मलेरिया में आने के लिये प्रार्थना पत्र दिये उनको विभाग की सुविधा का ध्यान रखते हुए ले लिया गया है क्योंकि ग्रेड एक हैं, अतः सिनियोरिटी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सत्य है कि मलेरिया इन्स्पेक्टर्स एपोइन्ट किये गये उनमें उन लोगों को जो वेक्सिनेटर थे उनको ट्रान्सफर करके यह ग्रेड दिया गया। जिनका ग्रेड ४०.२.६० था उनको भी मलेरिया इन्स्पेक्टर की जगह भेजा गया और ७५.४.९५.५.१४० का ग्रेड दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल आपने नहीं पूछा। आपने तो पूछा है कि उनकी योग्यता क्या है और नियुक्ति में सीनियोरिटी का ख्याल किया गया या नहीं ? इसमें सिनियोरिटी का ख्याल रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : सीनियोरिटी का ख्याल रखा या नहीं, जो पहले वेक्सिनेटर थे, क्वालिफाइड थे उनको न लेकर दूसरों को लिया गया, यह कहां तक उचित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वेक्सीनेटर्स का ग्रेड ४०.२.६० है और क्वालिफिकेशन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मिडिल पास है इसलिये वे इन्स्पेक्टर की पोस्ट के लिये क्वालिफाइड नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको इन्स्पेक्टर बनाया गया है, वेक्सिनेटर्स को चान्स दिया गया है, लेकिन जो सीनियर थे उनको नहीं लिया गया, दूसरों को ले लिया गया।

श्री अध्यक्ष : दूसरों से क्या मतलब है ? वेक्सिनेटर्स से है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वेक्सिनेटर मिडिल पास होते हैं और सेनिटरी इन्स्पेक्टर मैट्रिक पास होते हैं और उनकी अलग ट्रेनिंग भी होती है इसलिये वेक्सिनेटर्स को लेने का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर गलती से किया गया है, तो क्या आप उसमें सुधार करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कब कहा कि गलती से लिया, आप उल्टा समझ रहे हैं। वेक्सिनेटर्स उसके लिये क्वालिफाइड ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वेक्सिनेटर्स में से अगर कोई क्वालिफाइड होगा तो उसको लिया होगा।

(विराम)

नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १८६

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

लालसोट कस्बे में ल्हौड़ी बड़ी के खोरें को रोक कर बांध तैयार करने की योजना

१८७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) लालसोट कस्बे में स्थित ल्होड़ी बड़ी के खोरें को रोक कर उसका बांध बांध देने की योजना पर सरकार ने विचार कर क्या निर्णय किया है ?

(२) क्या सरकार ने इसका सर्वे कराया है ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा तथा यह योजना कितने लागत की होगी ?

उपमंत्री, सिंचाई विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह कार्य पंचायत समितियों के दायरे का है।

(२) सिंचाई विभाग द्वारा जांच कराई गई थी। उससे यह विदित हुआ कि वहां बांध बनाना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा और यदि बनाया भी जावे तो वह केवल पशुओं के पानी पीने योग्य बनेगा। योजना अनुमानतः १८,००० रु० की बनी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जांच कब कराई गई ?

श्री दौलतराम सारण : जून के महीने में।

श्री दलपतसिंह (आबू) : बहुत इम्पोर्टेन्ट है, उत्तर दे दिया जाय ।

किसानों को चद्दर, सरिये एवं गर्डर आदि सामान तहसीलों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था

१८८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली, एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कृषि विभाग में किसानों को देने के लिये चद्दर, सरिये और गर्डर आदि आते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि यह कोटा केवल जिला हैड क्वार्टर पर ही मिलता है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त सामान के लिये ५०-६० मील से आने वाले काश्तकारों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सामान को तहसीलों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

(घ) यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही उचित व्यवस्था की जायेगी ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सामान जो दिया जाता है, इस प्रकार लोहे का वह, गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको देना चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : यह विचार किया जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा दिया जाय ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : जहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं, वहां पंचायतों को दिया जायगा ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सोसाइटीज़ सब जगह हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

वन विभागीय ठेकेदारों में बकाया रकम की वसूली

१८९. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) हर प्रकार के वन विभागीय ठेकेदारों में कुल कितनी रकम सारे राजस्थान में इस समय बकाया है ?

(ख) क्या इन ठेकेदारों में कोई ब्लेक लिस्टेड भी है ? यदि हां, तो कौन कौन और कब से ?

(ग) सरकार ने इस बकाया रकम की वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ता० ३१-१२-५९ तक ५, १२, ६९५-१६ नये पैसे ।

(ख) जी हां । श्री मोहम्मद भाई उसमान भाई, सिरोही रोड, २-८-५८ से जिसे बकाया (Outstanding) होने के बाद ब्लेक लिस्ट किया गया है ।

Page No.18

श्री जयचन्द्र मोहिल)

(ग) वसूली के लिए दो लाख की पी. डी आर. के अनुसार कार्यवाही हो रही है। कुछ फोरेस्ट एक्ट के अनुसार कार्यवाही चल रही है और इस तरह कार्यवाही हो रही है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : इसमें कितनी रकम सबसे ज्यादा समय से बकाया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सारी लिस्ट में देखना पड़ेगा, तारीख देखी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

काश्तकार कृषि सहकारी समितियां

१६०. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Co-operative Minister be pleased to state :—

How many Tenants Co-operative Farming Societies have been registered in the State during the year 1959 ? A statement showing the names of the societies, their dates of registration, number of members, land allotted and share capital of each society, severally shown, may be placed on the Table of the house.

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : राजस्थान में सन् १९५९ में ३०७ टिनेन्ट फार्मिंग सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई है जिनके नाम, तारीख रजिस्ट्रेशन, सदस्य संख्या, रकबा जो अलॉट हुआ और हिस्सा पूंजी संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में पृथक पृथक दर्ज है। इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : कोऑपरेटिव की संख्या गवर्नर महोदय के भाषण में थी ५४६, आपका कोऑपरेटिव का पेम्फलेट निकला है, उसमें १६१ है, इसमें जो नम्बर दिया है, वह ३४६ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जिसका पूछा है उसका जवाब दे दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : जो कोऑपरेटिव है, उनकी शेअर कैपिटल आपने जयपुर में ५० रुपये रखी है और उदयपुर में १० रुपये रखी हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाइलॉज़ में ५० रुपये है ?

श्री पी० के० चौधरी : १० रुपये वाले कैसे आ गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : आप उदयपुर की लिस्ट निकाल कर देखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस जगह है, आप बताइये जरा।

श्री अध्यक्ष : इस लिस्ट में शेअर मनी का उल्लेख नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : है, पेज नम्बर दो। दो नम्बर के पेज को निकाल कर देखिये।

श्री अध्यक्ष : Which column ?

श्री पी० के० चौधरी : Last column is of the share capital.

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से नम्बर से मतलब है ?

श्री पी० के० चौधरी : पेज निकाल लीजिये, सारे के सारे देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : बाइलॉज़ में है,तो होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसलमेर, सिरोही, जालोर है....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जायं । १० रुपये हो सकते हैं शेअर कैपिटल ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ११ मेम्बर हैं और ११० की पूंजी है ।

राजस्थान केनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र) : बहुत से काश्तकार रुपया नहीं दे सके, इसलिए यह किया गया कि वे इन्स्टॉलमेंट से रुपया दे सकते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप अभी मंत्री नहीं बने हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जो बात कही है, वह उचित है । बहुत से काश्तकार रुपया एक साथ नहीं दे सके, इसलिए इन्स्टालमेंट में लिया होगा ।

श्री पी० के० चौधरी : बाइलाज़ में ५० रुपये हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी रजिस्टर हुई हैं जिनको लैंड नहीं मिला है । नियम यह है कि जब तक लैंड अलॉट न हो जाय, सोसाइटी को रजिस्टर न किया जाय । मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके सोसाइटी को लैंड दिया जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे हम रजिस्टर नहीं करते हैं जब तक कि उसे लैंड अलॉट न हो जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : भरतपुर में एक सोसाइटी है, उसको रजिस्टर कर लिया लेकिन उसे लैंड अलॉट नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं है, आप पर्टिक्यूलर इन्स्टान्स की बात कर रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें दे रखा है । जब हम जनरल पूछते हैं तो कहते हैं कि पर्टीक्यूलर इन्स्टान्स बताइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से पेज की बात है ।

श्री पी० के० चौधरी : आप देखिये, सोसाइटीज़ को लैंड नहीं मिला है लेकिन रजिस्टर हो गई हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लैंड देने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कह दिया होगा, तब रजिस्टर की होगी । जब यह विश्वास हो जाय कि लैंड अलाट हो जायगी तो सोसाइटी को रजिस्टर कर देते हैं । वैसे हमने कोऑर्डीनेशन रखा है, रेवेन्यू ऑथोरिटी और कोआपरेटिव ऑथोरिटी जब यकीन कर लें तो सोसाइटी को रजिस्टर किया जाय । जो सोसाइटी रजिस्टर की जा रही हैं और जिन लोगों की सोसाइटी रजिस्टर की जा रही है,

श्री नाथूराम मिर्धा)

उसमें लैंड लैस को जमीन अलाट हो जायगी, यह बात बराबर कोआॅर्डीनेशन में ध्यान में रखते हैं। गवर्नमेंट को गांव की तरफ से उजरदारी मिले कि जिस लैंड को गवर्नमेंट का माना गया है, उस जमीन के लिए उजरात होकर टंटा हो जाय तो दूसरी बात है। यह बराबर प्रयत्न किया गया है कि सहकारी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सहयोग से, मिल जुल कर, जिस सोसाइटी का गठन हो, उसको जमीन पहले अलॉट की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): रजिस्टर होने का सवाल तब पैदा होता हैं जब पंचायत का अधिकारी, रजिस्ट्रेशन आफिसर, तहसीलदार, तीनों स्पोट पर जाते हैं और लैंड तय करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। यह कहते हैं कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन लैंड नहीं मिला। सक्यूलर यह हुआ कि लैंड उस हालत में दिया जाय जब तीनों देख लें।

श्री नाथूराम मिर्धा: लैंड अलॉट होने की यह बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग उजरदारी खड़ी कर सकते हैं कि गांव की यह चरागाह की ज़मीन है और दूसरे काम में आने वाली जगह है। यह भी कह सकते हैं कि इस पर मेरा राइट पड़ता है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए रेवेन्यू अधिकारी और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिल कर लैंड के लिए आॅर्डर करें कि वह अलॉट हो जायेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर लेते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: इस प्रकार का आॅर्डर है कि सोसाइटी को तब तक रजिस्टर न किया जाय, जब तक ये सारी बातें तय नहीं हो जाती हैं। इसके लिए तीनों अधिकारी मिल कर स्पोट को देखें, फिर आॅर्डर करें।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा नहीं कि जब तक जमीन मिल न जाय तब तक रजिस्टर नहीं करना चाहिए। यह स्टेंडिंग आॅर्डर है।

श्री पी० के० चौधरी: पूरी उम्मीद का सवाल नहीं है, तीन पेज को आप देखिये, १०, १५ सोसाइटीज़ को जमीन नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया है, उसका उत्तर मिल गया है।

श्री श्रीभानसिंह: उत्तर क्लिअर नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर नहीं करते हैं जब तक लैंड अलाट नहीं हो जाता है। इसमें जो सोसाइटीज़ रजिस्टर हैं, उनको लैंड अलाट हुआ नही। यह बताया जाय कि रजिस्टर कर देते हैं तो आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है कि लैंड का अलाटमेंट हो या लैंड अलाट करके रजिस्टर करते है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा कि दोनों के मिलेजुले प्रयत्न से, कोआॅर्डीनेशन से लैंड अलॉट हो जाय, तब रजिस्टर करना चाहिए। आॅफिसर और लोकल पंचायत के लोग देख लेते हैं कि जमीन मिल जायगी; ज़मीन अवेलेबल है तो सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद कई जगह झगड़े खड़े हो जाते हैं, जो गांव की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तरफ से हो सकते हैं, इन्डीविजूअल की तरफ हो सकते हैं, उन झगड़ों को रेवेन्यू बोर्ड को कानून के मुताबिक डील करना पड़ता है। यह निश्चित है कि उस झगड़े में हार जरूर जायेगी लेकिन उसको तोड़ना ठीक नहीं समझा जाता है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें जमीन मिलने की व्यवस्था थी लेकिन झगड़े होने के कारण नहीं मिली। ऐसी हालत में सोसाइटी को जमीन नहीं मिलने के कारण रजिस्ट्रेशन को खारिज कर देते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिन सोसाइटीज़ में झगड़े नहीं हैं, गवर्नमेंट का लैंड है, आप एश्योरेन्स दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट लैंड के लिए एप्लाई करेंगे तो उसको आप जल्दी एक्सपीडाइट कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि जो जमीन दी जाने वाली है, उसके लिए गांव वाले कहते हैं कि यह चरागाह के काम में आ रही थी। अगर वहां पर रीज़नेबल चरागाह मौजूद हैं, जो शिड्यूल्ड जानवरों के लिए हैं और चक में दर्ज है, तो जमीन दूसरी अलॉट की जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या यह मान कर भी चलना चाहिये कि सोसायटी को रजिस्टर कराने के बाद भी जमीन नहीं दे सकते तो उसको लिक्विडेट कर देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, भंग कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : तो यह मानना चाहिये कि जो लिस्ट सोसाइटीज़ की पेश की है वह कोऑपरेटिव फार्म की क्लियर पिक्चर नहीं देती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह जितनी क्लियर पिक्चर देती है, वह आपके सामने है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह रजिस्ट्रेशन की स्पिरिट के खिलाफ़ नहीं है क्या कि रजिस्ट्रेशन के लिये इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगावें। रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसमें वॉलेन्टरिली कोऑपरेटिव फार्मिंग करने का अधिकार मिला है उस पर इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाना गवर्नमेंट के लिये जायज़ है क्या ? क्या यह फंडामेंटल राइट्स पर आघात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सोसाइटी जमीन लेकर खेती करना चाहती है उसको यों ही अन्धाधुन्ध रजिस्टर करते जांय तो परिणाम यह होगा कि बाद में काटना पड़ेगा। तो रीज़नेबिल रेस्ट्रिक्शन रखना कि जमीन मिलने की गुंजायश नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाय, यह अनुचित नहीं है। जमीन ही नहीं मिलेगी तो बिना जमीन के रजिस्ट्रेशन किस काम का ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले इसलिये कराते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हो जायगी हमको जमीन देने की। फिर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त यह स्पिरिट निकाल दी जाय कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर लैंड देने के लिये कोई मदद नहीं दी जायेगी तो यह बेकार है।

श्री अध्यक्ष : Next Question please.

श्री श्रीभानसिंह : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : काफी समय लिया जा चुका है।

श्री श्रीभानसिंह : पॉलिसी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पॉलिसी का प्रश्न है, इसी लिये पूरा समय दिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : It has given a rather very dismal picture of the Co-operative in Rajasthan.

श्री अध्यक्ष : Whatever it is, it is before us.

श्री श्रीभानसिंह : मैं पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : No question.

श्री श्रीभानसिंह : तो कैसे क्लीयर होगा ?

श्री अध्यक्ष : There is nothing for discussion now.

श्री पी. के. चौधरी : One more information, Sir..

श्री अध्यक्ष : No. Next Please.

श्री पी. के. चौधरी : Only one supplementary Sir.

श्री अध्यक्ष : You have put another question on co-operatives, just coming up.

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(विराम)

ग्राम बगड़ी, तहसील लालसोट, में स्थित तालाब को ठीक कराने की व्यवस्था

१६१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ग्राम बगड़ी, तहसील लालसोट, में करीब ५० बीघा के घेरे में स्थित तालाब को ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ?

(२) क्या इस तालाब की मरम्मत से कम से कम २०० एकड़ भूमि के सिंचन की संभावना है ?

(३) क्या उक्त तालाब की मोरियां किन्हीं व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए असमय खोली जाकर, व्यर्थ ही पानी को बहा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह तालाब इस विभाग के अधिकार में नहीं है जिससे उसको ठीक कराने की व्यवस्था की जा सके।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या सरकार छोटी सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं देती।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इतना बड़ा तालाब होते हुए आपके अन्तर्गत क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है; यह पूछ रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : कोई ओल्ड जागीर टैंक बताते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अब तो जागीर टैंक का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष : जांच करवा लीजिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

पंचायत बिलणा, तहसील लालसोट, के सरपंच के विरुद्ध लगे अनुशासन भंग के अपराध पर पुनर्विचार

१६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत बिलणा, तहसील लालसोट, के सरपंच के विरुद्ध लगे अनुशासन भंग के अपराध को क्यों समाप्त किया गया ?

(ख) क्या सरकार इसके पुनर्विचार के लिये तैयार है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, पंचायत मंत्री की ओर से) : (क) सरपंच, पंचायत, ने लिख कर आश्वासन दिया है कि उसने उपसरपंच को बैठकों में भाग लेने-देने से कभी नहीं रोका व भविष्य में भी नहीं रोकेगा। इस कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यदि फिर ऐसी शिकायत आई कि सरपंच उसे बैठक में भाग लेने नहीं देता तो सरपंच के विरुद्ध उचित कार्यवाही अवश्य की जावेगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : उनके खिलाफ़ कार्यवाही क्या की जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो लिख कर दिया है किसी को रोका नहीं है, न रोकेंगे, वे बराबर बैठकों में भाग ले रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दोनों पार्टियों के समक्ष यह बात बताई गई है क्योंकि वे मीटिंग्स अटेन्ड कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिसको रोका था, उसको बता दिया है। सरपंच ने कहा है कि कभी नहीं रोका और आगे भी नहीं रोकेंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : सरपंच के खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयन्दा ऐसा किया तो जरूर कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सरेरी बांध, राइट केनाल जोन, पर पुल

१६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरेरी बांध राइट केनाल ज़ोन १ चेन नं० ७, ५, ७५, ५०, ११५, ५० पर ठेकेदार के एग्रीमेंट के अनुसार रोड ब्रिज़ेज बनने चाहिये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि रोड ब्रिज़ेज की एवज़ में चेन नं० ६, ७५, ११५ पर

(श्री भैरोंसिंह)

क्रॉस ड्रेनेज वर्कस तैयार करवाये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि इस तब्दीली में सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर उदयपुर ने ७) रु० फी क्युबिक फुट की शरह पर बिल के पेमेंट की मंजूरी दी और उसके अनुसार बिल का भुगतान कर दिया गया ?

(घ) क्या ठेकेदार को इस काम के ठेके के सिक्योरिटी डिपोज़िट का रुपया पूरा अदा कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां, बनने चाहिये थे ।

(ख) जी नहीं । लेकिन जो रोड ब्रिज बनाये गये हैं वो सुपर पेसेज टाइप बनाये गये हैं ताकि क्रॉस ड्रेनेज वर्क का भी काम देवें व रोड ब्रिज का भी ।

(ग) आखिरी भुगतान ५) रु० से सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब के आदेशानुसार किया गया है ।

(घ) सिक्योरिटी का रुपया अदा कर दिया गया है माह फरवरी सन् १६५६ में ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, उदयपुर, ने ७ रुपया फी क्युबिक फीट से चार्ज किया है ?

श्री दौलतराम सारण : किया था पर वापिस वसूल कर लिया गया है क्योंकि विभाग का इन्टरनल ऑडिट हुआ तो वह इर्रेगुलर पाया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ७ रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दिया गया था वह चार्ज सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने कर लिया था ? जो दर निश्चित की गई थी उसी दर से पेमेंट किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि एक बार सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने ७ रुपया फी क्युबिक फीट से तय किया, पर विभाग का इन्टरनल ऑडिट हुआ तो यह ऑब्जेक्शनेबल पाया गया, इसलिये कुछ संशोधन के साथ ५ रुपया फी क्युबिक फीट के हिसाब से दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ५ की दर निश्चित करने के पूर्व ७ रुपया पर क्युबिक फीट की दर निश्चित की गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : निश्चित की गई थी तभी तो पेमेंट किया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ७ रुपया पर क्युबिक फीट की जगह ५ रुपया की दर इस कारण घटाई गई कि रोड ब्रिजेज़ बनानी थीं उसकी जगह क्रोस ड्रेनेज बना दिये ?

श्री दौलतराम सारण : जो कारण थे वे मैंने स्पष्ट कर दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह ; कारण कहां स्पष्ट कर दिया ? पहले ७ की रेट थी, फिर ५ की रेट फिक्स अप की तो जो कमिटमेंट वे कर चुके थे उसके कारण ऐसा किया था क्या ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । जो कारण मुझे

Page No.25

(श्री दौलतराम सारण)

मालूम हैं निवेदन किया कि रोड ब्रिजेज बनाना ठेकेदार के साथ तय हुआ था, बाद में रद्दोबदल करके रोड ब्रिजेज़ सुपर पेसेज़ टाइप के बनाये गये ताकि वह क्रॉस ड्रेनेज वर्क का और रोड ब्रिज का दोनों का काम दे सके। इससे टोटल खर्च में बचत ही हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं था?

श्री दौलतराम सारण : पूरा नहीं, कुछ में किया था।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : कितने भी आइटम्स में किया हो, उसको करने का अधिकार नहीं था।

श्री दौलतराम सारण : यह स्कीम १ से नीचे की थी और इसमें वे अधिकृत थे।

श्री भैरोंसिंह : जब वे अधिकृत थे तो जो ७ रुपया पर क्यूबिक फीट रेट प्रेस्क्राइब कर दी गई थी, उसको घटा कर ५ क्यों किया गया?

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया न कि इन्टरनल ऑडिट हुआ उसमें ऑब्जेक्शन हुआ, इसलिये ७ की जगह ५ की रेट तय की गई।

श्री भैरोंसिंह : ऑब्जेक्शन का कारण यह था कि उनको पॉवर्स नहीं थीं रद्दोबदल करने की। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पावर्स थे....

श्री अध्यक्ष : टोटल एस्टीमेट में बचत हुई है!

श्री भैरोंसिंह : एक दफा कान्ट्रेक्ट होने पर उसको इन्जीनियर चेंज नहीं कर सकता, ऑडिट के समय यह बात पकड़ी गई, नहीं तो ज्यादा खर्चा हो जाता। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को अधिकार नहीं था चेंज करने का, इसी आधार पर रेट्स कम की हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया वह स्पष्ट है, और जानकारी देंगे तो मैं जांच करूंगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इन्टरनल ऑडिट का क्या कारण था?

श्री दौलतराम सारण : ५ रुपया फी क्यूबिक फीट ही पे किया जाय, यह ऑब्जेक्शन था; २) रु० अतिरिक्त पे किया गया था वह वसूल किया गया।

श्री श्रीभानसिंह : तो आपके कहने का मतलब यह कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर को रेट में किसी प्रकार का रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं था, फिर भी उसने ऐसा किया; इसलिये यह ऑब्जेक्शन था?

श्री दौलतराम सारण : पावर तो था लेकिन शिड्यूल्ड रेट से ज्यादा नहीं कर सकता था।

श्री भैरोंसिंह : केवल यही ऑब्जेक्शन था कि ५) रुपये के बजाय ७) नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप फिर जाच करा लें।

Page No.26

(श्री अध्यक्ष)

नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी।

जयपुर जिले की पंजीबद्ध काश्तकार कृषि सहकारी समिति

११४. श्री पी०/के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

How many Co-operative Tenant Farming Societies registered in Jaipur District during the year 1959 went into production during the same year? The names of the societies, the value of the produce of each society together with the area cultivated by each of them may be given.

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १६५६ में जयपुर जिले में ७२ टिनेन्ट फार्मिंग सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुईं। किस किस ने इस साल में काश्त की पैदावार का मूल्य तथा जितने रकबे में काश्त की, उनका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : इसमें से ६० प्रतिशत सोसाइटीज़ में काश्त नहीं हुई और दूसरी में, किसी में १० एकड़ तो किसी में १५ एकड़ भूमि में हुई; इसका क्या कारण है?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ जमीन देर से मिली। लैन्डलैस लोगों को जमीन मिलने पर उनको जमीन को तैयार करने में देर भी तो लगती है। किसी ने जमीन को पूरी तरह से तैयार नहीं किया और किसी के रिसोर्सेज़ नहीं बन पाये।

श्री पी० के० चौधरी : उनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने के लिये सरकार क्या कार्य कर रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोच रहे हैं कि उनके लिये क्या किया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सोच रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको शोर्ट टर्म लोन दिया है और भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी : आप कितना लोन दे सकते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना एवेलेबल होगा।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बता दिया कि शोर्ट टर्म लोन दिया है, और भी व्यवस्था की जा रही है।

(विराम)

नेक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी : एक और प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : He says short term loans are given. He has said it clearly; that is what he has said. आप तो सब पूछेंगे।

(विराम)

नेक्स्ट।

Page No.27

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १६५

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास ।

तहसील मांडल के चीलेसर गांव के व्यक्तियों को कम्प्रेशर उपलब्ध कराना

१६५. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील माण्डल के चीलेसर गांव के पांच व्यक्तियों ने १०००) रुपये कम्प्रेशर से कुए खुदवाने को जमा कराए थे ?

(२) यदि हां, तो कब और किस किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने रकम जमा कराई, उस समय कम्प्रेशर चीलेसर से दो मील की दूरी पर गांव गोरखिया में उपयोग में लाया जा रहा था ?

(४) क्या यह सही है कि अब तक उन व्यक्तियों को न तो कम्प्रेशर ही भेजा गया और न रकम ही वापस लौटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। चीलेसर गांव के व्यक्तियों ने मिल कर १२००) रुपये विकास अधिकारी माण्डल के द्वारा जमा कराये।

(२) यह रुपये विकास अधिकारी मांडल ने बैंक ड्राफ्ट द्वारा ता० २६-२-५६ को भिजवाए। रुपये जमा कराने वाले व्यक्तियों के नाम व रकम निम्नलिखित हैं :

१)	श्री मोदीराम वल्द श्री हज़ारीमल जैन	२००)रु०
२)	श्री बगतावर वल्द लाला दुर्गादत्त	२००)रु०
३)	श्री घासीराम वल्द हीरालाल जैन	२००)रु०
४)	श्री सुवालाल वल्द सालगराम	२००)रु०
५)	श्री मोडा वल्द हुक्मा खटीक	२००)रु०
६)	श्री गंगाराम वल्द श्री कृष्ण रेगर	२००)रु०
	कुल	१२००)रु०

३) जी हां।

४) जी हां। गोरखिया व तिकडी खेडा में करीब डेढ़ महीने तक काम करने के बाद कम्प्रेशर को कनेडा, छोटी सादड़ी व मंडफिया में उनके पुराने बकाया काम करने के लिए लगाया गया। बाद में भारी वर्षा होने के कारण विकास अधिकारी मांडल ने कहा कि चीलेसर के व्यक्तियों ने काम कराने से इन्कार कर दिया है। अतः रुपये वापिस लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवचरणदास : क्या उनको यह आश्वासन दिया गया था कि चीलेसर से दो मील की दूरी पर गांव गोरखिया में

Page No.28

(श्री शिवचरणदास)

उपयोग लाने के बाद कम्प्रेशर वहां पर भेज दिया जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको उत्तर में साफ बताया कि विकास अधिकारी मांडल ने उनको बताया कि वर्षा के कारण वे अब काम कराना नहीं चाहते । उन लोगों ने उसके लिये इनकार कर दिया इसलिये रुपया वापिस लौटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिवचरणदास : उन लोगों ने कब इनकार किया था और रुपया कब जमा कराया था ?

श्री अध्यक्ष : रुपये तो २६. २. ५६ को जमा कराये गये । इनकार कब किया, उसकी तारीख आपके पास हो तो बता दें ।

श्री दौलतराम सारण : जुलाई १६५६.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जुलाई १६५६ के बाद से अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उसकी कार्यवाही हो रही है ।

श्री शिवचरणदास : विकास कार्यों के लिये कम्प्रेशर काफी समय तक नहीं आ सकता है, तो फिर किस काम के लिये आ सकता है ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं यह निवेदन करूंगा कि पांच पांच वर्ष हो गये हैं मगर फिर भी वहां पर कम्प्रेशर नहीं पहुँचे हैं और न रुपया ही वापिस दिया गया है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसके लिये कुछ तो किया जाये । जहां पर कम्पलीट वर्क नहीं हुआ है वहां तो वर्क कम्पलीट कराया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित सूचना दें तो बताया जा सकता है ।

नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री शिवचरणदास : क्या, यह कम्प्रेशर वहां से चला जाने के कारण उन्होंने इनकार किया था ?

श्री दौलतराम सारण : कम्प्रेशर नहीं था इसलिये नहीं भेजा गया ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप उनसे पूछते ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कम्प्रेशरों की कमी है और मांग ज्यादा है ।

श्री शिवचरणदास : जब कम्प्रेशरों की कमी है तो आप फिर रकम क्यों लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोग खुद अपनी रकम जमा करा देते हैं और कहते हैं कि जब हमारी बारी आवे तब कर देना ।

श्री शिवचरणदास : उनको नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई उनसे नहीं कहता कि आप रुपये जमा करावें । वे खुद अपनी मर्जी से जमा कराते हैं और कहते हैं कि बारी आने पर कम्प्रेशर भेज दें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७

श्री रामधन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

डूंगरगढ़ नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का वेतन दिलवाना

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) डूंगरगढ़ नगरपालिका ने वहां के एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर का वेतन कब से और क्यों नहीं दिया ?

(ख) क्या सरकार ने बोर्ड को वेतन देने के लिये कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसका पालन हुआ या नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) डूंगरगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष ने एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा उनके ग़लत कार्यों में साथ न देने के कारण उसको माह फरवरी, ५६ से माह अगस्त, ५६ तक का वेतन नहीं दिया था।

(ख) अध्यक्ष नगरपालिका को, सरकार द्वारा माह सन् ५६ में वेतन देने सम्बन्धी आदेश दिये थे जिसका पालन माह सितंम्बर, ५६ में हुआ है। वेतन अब बराबर दिया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पगार म्युनिसिपल चेयरमैन देने से रोक सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रोकना तो नहीं चाहिये। चेयरमैन और उसके आपस में झगड़ा हुआ था उस कारण से रोक दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय राजस्व मन्त्री से है। वे अगले टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में।

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : इनके ३, ४ प्रश्न हैं।

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

बंधों पर कार्य करने वाले मुहाफिजों के निवास हेतु सरकारी मकान

१६७. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंधों पर काम करने वाले मुहाफिजों को सरकार की ओर से मकान रहने को दिया जाता है ?

(ख) क्या इनसे ४॥)रु० मासिक मकान किराया काटा जाता है, जब कि उनको कोई मकान रहने के लिये नहीं दिया जाता है ?

(ग) क्या इनसे विभाग की चौकियों का भी किराया लिया जाता है, जब कि ये लोग चौकी में नहीं रहते हैं और न इनका हैडक्वार्टर ही तय है ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण):

(क) जी हां, जहां कहीं मकान उपलब्ध हैं वहां दिये जाते हैं ।

(ख) मकान किराया उन्हीं मुहाफिजों से लिया जाता है जो कि सरकारी मकान में रहते हैं। मकान किराया निर्धारित दर पर ही लिया जाता है जो कि सरकार की तरफ से निर्धारित है ।

(ग) उन मुहाफिजों से मकान का किराया लिया जाता है जो कि सरकारी मकान का उपयोग करते हैं । मुहाफिजों का हैडक्वार्टर तय है ।

श्री रामधन : जो लोग सरकारी मकानों में नहीं रहते हैं फिर भी उनके ४॥) रु. माहवार काटती है सरकार !

श्री दौलतराम सारण : यह मेरी जानकारी में नहीं है । अगर आप इसके लिये जानकारी देंगे तो उसकी जानकारी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई केस बतावें तो पता लगे कि किराया काटने की शिकायत है ।

श्री रामधन : दौसा के पास जहां लोग काम करते हैं वहां सरकारी क्वार्टर हैं, चौकी जंगल में है, मगर वे लोग गांवों में रहते हैं और गांव में उनको किराया देना पड़ता है; फिर भी सरकार उनसे ४॥) रुपये काट लेती है ।

श्री अध्यक्ष : उनको मकान रहने के लिये बता दिये गये मगर वहां पर रहे नहीं, तो और भी वे लोग गलती करते हैं ।

श्री रामधन : वहां पर तो पी. डब्ल्यू. डी. की चौकी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.१०. म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१. श्री लक्ष्मीचन्द **२४-२-६० से** ६-३-६०

२. श्री श्रीनिवास शारदा २४-२-६० से ९-३-६०

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

१२. ११. म० प०

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५८

(विचार–विमर्श)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष : उनको पहले मोशन कर लेने दीजिये । आपका अमेन्डमेन्ट है, उस पर आप बोल लीजिये ।

डॉ० चन्द्रकला : अमेन्डमेन्ट रखने से पहले ही बोलना चाहती हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५८' (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित) विचारार्थ लिया जाय ।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है । भाग १, धारा १ में बताया गया है कि "The Bill was introduced in the Assembly on the 24 th October, 1958. The motion for reference of the Bill to a Select Committee was moved by Dr. Chandra Kala on the 24th April, 1959, and was adopted the same day." मैंने यह प्रस्ताव नहीं किया था । मेरे द्वारा यह प्रस्ताव नहीं किया गया था, बल्कि हुआ यह था कि पहले जब प्रस्ताव आया तो मैंने उसका विरोध किया था । इसलिए यह गलत रिपोर्ट है और इस पर विचार नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें वैधानिक आपत्ति क्या हुई ?

डॉ० चन्द्रकला : मेरे द्वारा कोई प्रस्ताव ही नहीं किया गया था जब कि इस प्रतिवेदन की रिपोर्ट में यह बताया गया है ।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट छप कर तैयार हो गई तो आपने आपत्ति की, इसके छपने से पूर्व भी इस सम्बन्ध में आप आपत्ति कर सकती थीं, मुझे लिख सकती थीं ।

डॉ० चन्द्रकला : छपने के बाद आवेगी तब ही तो आपत्ति उठाई जा सकती थी ।

श्री अध्यक्ष : इसकी प्रति हर एक सदस्य के पास भेजी गई थी और उस पर उनके कमेन्ट्स मांगे गये थे । आप उस समय भी आपत्ति उठा सकती थीं ।

डॉ० चन्द्रकला : मैं सदस्य थी ही कहां ? मूवर परम्परा से सदस्य होता है, लेकिन मैं सदस्य नहीं थी और उस सूरत में मुझे कहां भेजी जाती ? या तो मूवर होने के नाते सदस्य होना था लेकिन मैं सदस्या इसकी नहीं थी और उस हालत में भी मुझे इसका मूवर

(डॉ० चन्द्रकला).

इसमें बताया गया है। इस सूरत में इसको किस प्रकार से इस समय लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि फिर से इसको सदन के समक्ष रखा जाय। आप चाहें कि फेक्चुअली करेक्ट नहीं है तो उस दृष्टि से इसको करेक्ट कर दिया जावेगा। आपकी यही आपत्ति है कि दरअसल आपका नाम नहीं होना चाहिये, तो इस स्थिति में इसको देख कर करेक्ट कर दिया जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The point at issue is that no motion was moved by her and now how it is mentioned here...

श्री अध्यक्ष : It is what I say that I will look into the objection raised by the Hon'ble Member and take necessary action to correct.

श्री पी. के. चौधरी : When there was no motion for referring to the Select Committee either from the Treasury Benches or from the Opposition, how the Select Committee was referred.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Such a wrong report by Select Committee has adversely affected the reputation of the Hon'ble Member. She might not have...

श्री अध्यक्ष : It will have to be looked into for the factual side.

डॉ० चन्द्रकला : यह बाद में वापिस लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को बोल लेने दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : The thing is written in the Bill. The record is here.

श्री अध्यक्ष : Yes. I will look into it.

श्री श्रीभानसिंह : This is a wrong report...

श्री अध्यक्ष : I am saying that I will look into it but the objection is of not such a nature so as to stop these proceedings at this moment.

डॉ चन्द्रकला : लेकिन इसको मूव ही नहीं किया गया है और यह विचाराधीन है तो इस सूरत में इस बिल को यहीं पर छोड़ दीजिये और इसको दुबारा फिर से ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह ऐसी आपत्ति नहीं है कि इस पर प्रोसीड ही न करें।

श्री श्रीभानसिंह : इससे तो यह होगा कि किसी के नाम रिपोर्ट होगी, सिलेक्ट कमेटी में किसी का नाम आ जावेगा और आपत्ति आ जावेगी तो उसको देखा नहीं जावेगा।

श्री अध्यक्ष : देखा जायगा। I will look into the matter.

Page No.33

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन का जो हिन्दी अनुवाद है, इसके एक तरफ २४ अक्टूबर है, यह गलत है इसको देख लीजिये। साथ ही सभापति श्री नाथूराम मिर्धा लिखा है और अनुवाद होते ही दामोदरलाल व्यास हो गया। सभापति नाथूराम मिर्धा होते हुए भी अनुवाद में दामोदरलाल व्यास हो गया तो इस असेम्बली में ऐसा होता है क्या ! इसलिए मेहरबानी करके इसको रोक दीजिये यहीं पर।

श्री चन्दनमल वैद' (सरदारशहर) : नाथूराम मिर्धा की हिन्दी दामोदरलाल व्यास होती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : These are very serious errors in the Bill, Sir. फेक्चुअल और इस पर ध्यान न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : I am saying that I will look into this.

श्री श्रीभानसिंह : The things are written on the Bill Sir.

श्री पी. के. चौधरी : The Bill was presented by Shri Damodar Lal Vyas.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : The House will take the view of the English Report.

श्री अध्यक्ष : I will look into this why this has gone. Whether it is a printing mistake or some other mistake?

डॉ० चन्द्रकला : दिन भर के समय के लिए इसको टाल कर फिर जांच करके इसको विचारार्थ ला सकते हैं। इसमें इतनी जल्दी क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति ऐसी नहीं है कि वह सबस्टेन्शियली अफेक्ट करे इसको इसलिए आपकी आपत्ति का ध्यान रख कर corrections will be made if necessary. आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डॉ० चन्द्रकला : पीछे बतायेंगे तो क्या होगा........

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करेंगी ?

डॉ० चन्द्रकला : करूंगी।

(विराम)

मेरा संशोधन यह है,

"राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८ (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित) को पुनः उसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन दो सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गौशाला बिल प्रवर समिति से प्रतिवेदन होकर सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। मैंने इस रिपोर्ट को देखा तो मालूम हुआ कि सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव मेरा है, जब कि वह मेरा नहीं किसी अन्य का है, अन्यथा मैं इस प्रस्ताव को यहां नहीं रखती क्योंकि एक बार प्रस्ताव

Page No.34

(डॉ० चन्द्रकला)

रख देने के बाद दुबारा वही रखने की सदन में परम्परा नहीं है।

('परम्परा' है ऐसी आवाज़)

सदन में तो अनुवाद में नाथूराम मिर्धा का दामोदरलाल व्यास हो सकता है, यह भी तो है परम्परा ।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन को मैंने देखा है। उसमें केवल १-२ बातों को छोड़ कर किसी खास बात पर विचार नहीं किया गया है। सोचने की बात यह है कि परिभाषा में जो गौशाला शब्द दिया हुआ है इसका मकसद तो यह था कि गौ सदन, पिंजरापोल चलाने की जो संस्थायें हैं उनका एक फेडरेशन बना दिया जाय और उनके द्वारा संचालित होकर ये संस्थायें ठीक तरह से चलें। इसमें विचार करने की ज़रूरत यह थी कि गौशालाओं से कौनसा मतलब लिया जावेगा ? क्या इसका मतलब उन संस्थाओं से लिया गया है कि जो गौ सदन हैं, गौ शाला हैं, पिंजरा पोल हैं या अन्य उन संस्थाओं से लिया गया है जहां गायें रखी जाती हैं, उनका वहां पालन-पोषण होता है और वे जनता में दूध, दही, घी की सप्लाई की व्यवस्था करती हैं । सिलेक्ट कमेटी को यह देखना था, पिंजरापोल और गौ सदन की बात करनी चाहिये थी, यहां पर 'चेरिटेबल इन्स्टिट्युशन' का शब्द है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order, Sir, क्लॉज ६१ के अन्तर्गत, मैं यह अर्ज करूंगा कि इस सिलसिले में....A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved, in case the Bill is passed into law.

इस बिल के अन्दर, "Whenevernecessary, the State Government may appoint an Assistant Registrar and such other staff on such salary, allowances and other conditions of service as it may determine." तो क्या मैं इसके लिए अर्ज करूं कि ६१ के अन्तर्गत इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पेश नहीं हुआ है इसलिए यह हाउस के सामने पेश नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : कौनसा क्लॉज़ बता रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : ६१ ।

श्री अध्यक्ष : बिल का ?

श्री मूलचन्द डागा : क्लॉज़ ४ सब क्लॉज़ (२) :

"Whenever necessary, the State Government may appoint an Assistant Registrar and such other staff on such salary, allowances and other conditions of service as it may determine...."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : This clause gives powers to the State Government to appoint officers.

Page No.35

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, यह बिल तो पहले इन्ट्रोडयूस हो चुका है।

श्री मूलचन्द डागा ; हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत है, फाइनेन्शियल स्टेटमेंट इसके साथ लागू होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुराने रूल्स के अन्तर्गत जरूरी नहीं था कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो। लेकिन नये रूल्स जो अपने स्वीकृत किये हैं उनके अन्तगत फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट का लागू होना जरूरी हो गया, इसलिये यह ऑब्जेक्शन एन्टरटेनेबल है।

श्री मूलचन्द डागा : आज जब इसको कन्सीडरेशन के लिये ले रहे हैं तो यह होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि बताया जा चुका है कि यह बिल पहले इन्ट्रोड्यूस हो चुका था लेकिन नये रूल्स फोर्स में आ गये हैं इसलिये यह मेमोरेन्डम भेज दिया जायगा। इस बिल का कन्सीडरेशन नहीं रुकेगा। माननीय सदस्यों की जानकारी है, वह भेज दिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला (जारी) : मैं इस विधेयक के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि हमें गौशालाओं को हिस्सों में बांटना पड़ेगा। इसमें जो परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार वे धार्मिक संस्थायें, जो लूली, लंगड़ी और अपाहिज़ गायें हैं ऐसे जानवरों को रखने के लिये जो पिंजरापोल आदि होती है, गौसदन होते हैं; इनको हमें और तरह से देखना होगा।

जो व्यापारिक ढंग से चलाते हैं उनको और चेरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स को जहां अपाहिज गायें रहती है उनको और व्यापार करने वाली दूध-दही बेचने वाली गौशालाओं को एक साथ मिला देते हैं तो हमें इसकी जो परिभाषा दी गई है उसमें परिवर्तन करना होगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर विभाग जो गौशालायें या डेयरियां खोलेगा; जैसे आज भी बम्बई के अन्दर एरेकोलोनी है जहां से बंबई को मिल्क सप्लाई होता है उसी प्रकार दिल्ली में कोऑपरेटिव बेसिस पर मिल्क सप्लाई का काम होता है जो कि चेरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स नहीं है, क्या हम ऐसी संस्था को भी इसके अन्तर्गत मानेंगे ?

विधेयक के दूसरे खण्ड में जो बताया गया है उसमें किसी प्रकार की व्यापार करने वाली व्यापारिक गौशालायें सम्मिलित नहीं है, इस तरह की जो संस्थायें यह चली आ रही हैं वह एक हिन्दुस्तान की परम्परा रही है कि गौभक्त लोग गायों का पालना, उनके लिये प्रबंध करना। इसी भावना से प्रेरित होकर इस देश में गौशालाओं का प्रचलन हुआ है। इसलिये हमें इन गौशालाओं को दो भागों में विभाजित करना होगा। ऐसा दृष्टिकोण इसमें नहीं रखा गया है। अगर हमें दोनों प्रकार की संस्थाओं को एक साथ ही रखना है तो विधेयक की मन्शा को उसी तरह से बनाना होगा और इसके साथ साथ इसकी परिभाषा में भी संशोधन करने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की जरूरत है।

श्री मूलचन्द डागा : [That the Rajasthan Gaushala, Bill, 1958, as reported by the Seleit Committee of the House be circulated for the purpose of elicriting opinion thereon.]

(श्री मूलचन्द डागा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्दर समाज की इच्छा निहित रहती है। हम जानते हैं कि ऐसे कानून, जिनका निर्माण करने जा रहे हैं, उन कानूनों की समाज को आवश्यकता है या नहीं। अगर समाज के लिये ऐसे कानून बनाते जांय जिससे समाज की व्यवस्था को, समाज का जो काम चलता है उसमें कोई अड़चन तो पैदा नहीं होती है, यह हमें देखना चाहिये।

मैं यह मानकर चलता हूं कि गौशालाओं का निर्माण यहां पर धार्मिक आधार को लेकर हुआ है। हिन्दुओं ने जिन गौशालाओं का निर्माण किया है उनमें सब से बड़ी भावना धर्म की थी, इसीलिये लोगों का कहना है कि हिन्दुओं के प्राण धर्म में बसते हैं। आध्यात्मिक आधार को लेकर अपंग गायों के लिये गौशालाओं का निर्माण किया गया है। इन भावनाओं के आधार पर जो गौशालायें रखते हैं, अपने घर से बड़ी बड़ी रकमें लगाते हैं, साधु और महात्मा लोग गौशालाओं को बनाते हैं। गौशालाओं का निर्माण हिन्दुओं के धार्मिक हृदय से सम्बन्ध रखता है ! इसको यदि हम तर्क का विषय बना लेते हैं तो उचित नहीं है। गौशालाओं के निर्माण के लिये कानून बनाते हैं उस कानून के आधार पर इस प्रकार गौशालाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके हिसाब को चैक करेंगे जो साधु गोशालायें चलाते हैं। उनका हिसाब तो उनकी पेटी में रहता है, उसमें इस प्रकार की अड़चनें डालने की कोशिश करेंगे तो वे लोग जिन्होंने अपना जीवन इन गौशालाओं के लिये लगाया है उससे दूर हटने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कुल २१ गौशालायें हैं जिनको सरकार मदद देती है। इन २१ गौशालाओं में बहुत थोड़ी गायें हैं। जहां भी गौशालाओं का विकास हुआ है वहां पर साधु और महात्मा लोग उनकी सेवा करते हैं और अपना गुज़र बसर करते हैं। इस प्रकार का कानून बनाने के बाद जो गौशालाओं का विकास हो रहा है उस पर असर पड़ेगा। लोग यह नहीं चाहते हैं कि आप इस प्रकार कानून का बन्धन लगाकर उनके हिसाब को देखें और तरह तरह की अड़चनें उनको डालें। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा कानून बनाने से पहले हमें जनता की राय जाननी चाहिये। राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता इस कानून को चाहती है या नहीं, इसको हमें देखना चाहिये। केवल यहां सिलेक्ट कमेटी ने दो-तीन घंटे में बैठकर न पिंजरापोल वालों को बुलाया और न किसी प्रकार जनता की राय ली और पास कर दिया। चार-पांच घंटों में २१ महापुरूषों ने बैठकर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी द्वारा पारित करवा लिया; उस कमेटी में लीगल प्रेक्टिशनर्स बहुत कम थे। हम जब कि राजस्थान की समस्त गौशालाओं के प्रबन्ध के लिये कानून बना रहे हैं वहां हमें यह सोचना होगा कि क्या राजस्थान की जनता को इसकी आवश्यकता है ? १ क्रान्ति के पीछे कानून आना चाहिये या कानून के पीछे क्रान्ति आनी चाहिये। कानून पहले बन जायं और फिर क्रान्ति करें तो उससे क्या नतीजा ? आज हमें गौशालाओं के लिये कानून की आवश्यकता नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर गोचर भूमि उपजाने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहां बड़ी बड़ी गोशालायें नहीं बन सकतीं। इसका सम्बन्ध हृदय से है, मस्तिष्क और तर्क देने वालों के

(श्री मूलचन्द डागा)

लिये नहीं। आज हम आध्यात्मिक भावनाओं के बगैर समझे ही कानून बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसी विधेयक में यह भी प्रावधान रखा है कि जो हिसाब नहीं रखता है उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है, वह भी पचास रुपये। इसके साथ साथ यह भी लिखते हैं कि जुर्माना नहीं देता है तो थोड़े दिनों के बाद सोचेंगे कि उसको खत्म कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कानून बनाने की सरकार को क्यों आवश्यकता महसूस हुई? बेकार में गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया जाय। इससे लाभ क्या होगा? इस प्रकार के कानून की समाज में मांग नहीं है। आप राजस्थान के डेढ़ करोड़ लोगों की जानकारी के लिये इसे पब्लिसिटी दीजिये। इसके बाद जो गौशालाएं चलाते हैं उनसे पूछिये, उनकी राय मांगिये।

फिर दूसरे यह सारा कानून अधूरा भी है। सब में जगह जगह प्रेस्क्राइब्ड लिखा है। एक एक सेन्टेन्स में चार चार जगह यह है। सारी मुद्दे की बातें तो आप बाद में तय करेंगे।

फिर इससे लाभ कुछ नहीं होगा, जो सत्तर-अस्सी साल के बूढ़े साधु संन्यासी हैं और केवल सेवा भावना से जो गौशालाओं को चला रहे हैं उनसे यह हिसाब-किताब की इल्लत नहीं होगी। आप उनसे कहेंगे हिसाब पेश करो, कहेंगे मेरी पेटी में हिसाब है और कुछ नहीं; जो आता है, खर्च कर देते हैं। वह कहेगा मैं कहां फॉर्म भरने जाऊं।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस तरह की कितनी गौशालाएं राजस्थान में हैं?

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बहुत सारी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मठाधीश हैं, महन्त हैं वे बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस गायें अपने मन्दिरों में रखते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में हैं। आपके कानून के हिसाब से उन सब को भी रजिस्टर्ड करना होगा। आप २१ गौशालाओं को मदद देते हैं, किसी को दो हजार, किसी को तीन हजार, और किसी को पांच हजार रुपया। अगर आप गौशालाओं के लिए इस प्रकार का कानून बना देते हैं तो एक दो क्लॉज़ पढ़कर सुनाता हूं; इस तरह के कानून के बनाने से क्या सुधार हो सकता है? यह तो उल्टा एक जो काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, उनके रास्ते में रोक होगी, अड़चन होगी। आप समाज में कानून लाने का काम अपनी तरफ से मत करिये, समाज कहे तो आप लावें; नहीं तो ऐसे कानूनों से लाभ की अपेक्षा हानि हो सकती है। आपने कानून में क्लॉज ११ सब-क्लॉज़ (४) में एक बात रक्खी : "(4) The Court may, while passing an order of conviction and sentence under Sub-sections (1), (2) or (3), specify a period within which the person convicted shall comply with the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder which may be found to have been contravened by him;

Provided that if sucha person satisfies the court that there wasa good and sufficient reason for his failure to comply with the order of the court within the period so speified the court may, if it thinks fit, extend the

(श्री मूलचन्द डागा)

Period and may, remit the whole or any part of the fine," बड़ी अजीब बात है। कन्विक्शन कर रहे हैं एक तरफ तो और दूसरी तरफ अगर उसने कह दिया कि मेरी हालत ऐसी नहीं है, तो चलो तुमको माफ कर दिया, ठीक है। आपने जुरमाना कर दिया। इसके बाद नहीं दिया और कह दिया कि मेरी हालत ऐसी नहीं है, तो कह दिया जाओ तुमको माफ किया, तो इस तरह न तो कानून में स्ट्रिक्टनैस है न इसकी जरूरत है, न इससे गायों का सुधार हो सकता है और न कानून पूरा बना है।

सिलेक्ट कमेटी को चाहिये कि वह घूम कर देखे। बम्बई में भी देखे, किस प्रकार वे चलाते हैं, किस प्रकार उनका इन्तजाम है। अगर आप फिर भी कानून बनाना चाहते हैं तो बनावें, पर इसके पहले इसे सक्युलेट करिये, जनता की राय जानिये और फिर व्यवस्था देखने के बाद इसको बनावें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : गौशाला विधेयक पर जो ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो यह प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रक्खा है मैं इसका विरोध करता हूं। प्रवर समिति में पुनः भेजने का मैं विरोध करता हूं और पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित करने का भी विरोध करता हूं। गौशाला के नाम पर आज जिस तरह से पशुधन का ह्रास हो रहा है उसको रोकना बहुत लाज़िमी है। अगर इस पशुधन का ह्रास इसी तरह से चलने दिया तो लोग थोड़ी बहुत गायें रखकर अपनी दुकानें बना कर बैठ जावेंगे। यह उपयुक्त नहीं है; जनता से गाय के नाम पर चन्दा लेकर दुकानें चलाते रहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :सिविल कोर्ट खुले हैं इसके लिये।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर पशुधन का अच्छी तरह से विकास करना है और हमें किसान की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो हमें अच्छी नस्ल के उपयुक्त जानवर उपलब्ध करने होंगे और वे उपलब्ध इस तरह से होने वाले नहीं हैं। अब मन्दिरों में थोड़ी बहुत गायों के रखने का मतलब तो यह था कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत बनी रहती थी। मैं इसको थोड़ा बहुत सीमा तक मानता हूँ। आबू में एक मन्दिर है और उसमें एक बहुत सुन्दर गौशाला है। अभी पी. सी. सी. की मीटिंग थी, मैं वहां गया था। वहां भोजन में जो घी आता था उसके लिए कहा गया कि यह सारा घी इसी गौशाला का है। इस तरह मेरी निश्चित मान्यता है कि सुधरी हुई गौशाला होनी चाहिये। पर हो कब सकती है, जब कि इसके लिये कोई अच्छा कानून न हो।

इसलिये मैंने शुरू में भी समर्थन किया था। इससे बोगस गोशालायें समाप्त होंगी। अच्छी गौशालायें चाहे दो ही हों या चार ही हों और चाहे एक ही बने, पर एक भी बहुत अच्छे स्टेन्डर्ड की बने।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें देर न करने दें और राज्य पर दबाव डालें कि अच्छी अच्छी गौशालाओं को बनावे और उन्हें अग्रसर करें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : एक प्रस्ताव जो जयपुर से आई हुई माननीय सदस्या का है मैं उसका विरोध करता हूं। साथ साथ पाली से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं। मैं दोनों सदस्यों के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि पब्लिक ओपीनियन जानना चाहिये और इसके बाद कहा कि क्लॉज़ ११ का सब क्लाज (४) में यह कमी है इसलिये इसको लौटा देना चाहिये और यह भी कहा कि धर्मात्मा-साधु लोग हैं वे धर्म करने के लिये गौशाला चलाते हैं, कानून उनके बीच में लाने की क्या जरूरत? मैं निवेदन करूं कि पब्लिक ओपीनियन यह है कि कानून लाना चाहिये, गौशालाओं पर रोक लगनी चाहिये। पब्लिक के नुमाइन्दों की सरकार ने चूंकि यह कानून लाने की सोची है इसलिए यह मापदण्ड है जनता की राय का। फिर बिल लाने के बाद गजट में भी यह निकला है। इसके विरोध में जनता का एक तार भी नहीं आया। पब्लिक ओपीनियन इसलिए स्पष्ट है। लॉजिकल भी है यह। पब्लिक खिलाफ होती तो मीटिंगें करती, तार देती।

गौशाला, आज जो मठ-मन्दिर के ऋषि मुनि चला रहे हैं यह सही नहीं है। मेरे ख्याल से एक भी साधु ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्म की दृष्टि से गौशाला चलाता हो।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): साधु और ऋषि मुनि में तो बहुत अन्तर है।

श्री मोतीलाल : गोशाला के नाम से सबसे बड़ा स्केन्डल हो रहा है। मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएन्सी का उदाहरण मैं आपको दूं। बहुत पैसे वाले एक सेठ हैं जो बांगड़ कहलाते हैं वह गोशाला रखते हैं गौशाला के नाम से उन्होंने हजारों बीघा जमीन अपने कब्जे में कर रखी है। काश्तकार काश्त करते हैं।

श्री भैरोसिंह (श्रीमाधोपुर) : बांगड़ स्केन्डल है या गोशाला स्केन्डल है?

श्री मोतीलाल : गोशाला है। इसी तरह धनी लोग काफी हैं कुचामन में। वे भी ऐसा ही करते हैं। अपना इन्कम टैक्स बचाने के लिये और दूसरी तरफ से इन्कम करने के लिये। इसके उदाहरण सैकड़ों हैं।

साधुओं में किसी ने कोई सेवा भावना से गौशाला चलाई हो, ऐसा एक भी नमूना नहीं मिलेगा कि धर्म की दृष्टि से सही रूप से गौशाला चलाई हो, सही हिसाब रक्खा हो। मेरे गांव में एक गौशाला है। मैं ११ सालों से उसे देखता हूं। हजारों लाखों रुपया चन्दा का आता है, जिसका पब्लिक के सामने कोई अकाउन्ट नहीं देता, दिखाया नहीं जाता। यहां तक मिलता है कि राजनीति के समय सारा स्टाफ प्रतिक्रियावादियों से जाकर मिलता है, और वहां इस तरह के काम करते हैं तो उसका रूप देखने के लिये मिलता है कि गौशालायें वास्तव में धर्म के लिये हैं या कर्म के लिए हैं। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अन्दर कुछ लोग हैं वे धर्म के नाम पर मौज़ कर रहे हैं। हां, इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो आज समाज के अन्दर गौशालाओं के नाम से बुराइयां फैली हुई हैं उनको मिटाने के लिए

(श्री मोतीलाल)

कानून बनाना पड़ेगा। आज सारे भारत में गौ हत्या निषेध का नारा लगाया जाता है, गौ-हत्या के नाम की दुहाई दी जाती है। गौहत्या तो राजस्थान के अन्दर कानून से बन्द है और आज राजस्थान में लाखों रुपया जयपुर में गौशाला के नाम से चन्दा लिया जाता है। अब उस रुपये का वह क्या करते हैं, यह तो वे ही जानते हैं या उनका राम जानता है। न उसका हिसाब मिलता है और न जनता के सामने यह रूप आता है कि वह पैसा कहां जाता है। इस कानून को बनाने में दो दृष्टिकोण सामने रखे गये हैं; एक तो जो इस तरह की गड़बड़ी होती है उसको रोका जाये और जो गौशालायें हैं उनके स्टेन्डर्ड को और ऊंचा किया जाये। इनमें अच्छे नसल के सांड हों, अच्छी नसल की गायें हों ताकि जो सही मुद्दा गौशालायें कायम करने का है वह पूरा हो, वरना जो उसका उद्देश्य है वह फेल हो जायेगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ लोग धर्म के लिए जाते हैं तो इस कानून के बनने के बाद भी कोई रुकावट चन्दा वगैरह देने में नहीं होगी। जिसकी इच्छा हो वह दे और यह अच्छी बात होगी कि इस कानून के बनने के बाद गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स उनके पैसे का हिसाब ठीक तरह से रख सकेंगे और वह फिजूल नहीं जायेगा, जिससे गायों की नसल भी सुधारी जा सकेगी और गौशालायें अच्छी तरह से डेवेलप हो सकेंगी। आज हम राजस्थान के अन्दर गायों की नसल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज गौशालाओं के जो बेकार किस्म के फोतिये हैं वे गायों की नसल को बिगाड़ते फिर रहे हैं, इसको भी हमें चैक करना पड़ेगा। जो बेकार सांड हैं वे नसल बिगाड़ते हैं। अगर उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जायेगी तो सारी नसल बिगड़ जायेगी। आज हम देखते हैं कि राजस्थान का पशु बलवान होने के बाद भी उसको प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला और एक सांड बिलासपुर का था उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला और एक विदेशी ने उनके ३८,००० लगा दिए लेकिन फिर भी नहीं दिया। राजस्थान के पशु की मांग आज पंजाब में, बिहार, मध्यप्रदेश आदि सभी जगहों पर है। अगर ये गौशालायें आज इस कानून के अन्तर्गत आ जायेंगी तो उनकी व्यवस्था ठीक हो जायेगी और गवर्नमेन्ट उनको एक तरह से ट्रस्ट के रूप में चलायेगी। इसलिए मैं आशा करूंगा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा तो इससे धर्म की भी रक्षा हो जायेगी और जैसा जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि यह प्रवर समिति में जाना चाहिए और उन्होंने बहुत सी खामियां बताई; नम्बर २,३ और ४ में।

आपने फिर सुझाव दिया भी कि ५० की जगह १०० होना चाहिए और ५०० की जगह १००० होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में मेरी समझ में नहीं आता कि सिलेक्ट कमेटी में क्यों जाये जब कि आपने उसमें खामियां बताई और अपने सुझाव दिए। इसलिए, मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि ऐसे कानून को पास करना जरूरी है; एक तो पैसों का हिसाब ठीक करने के लिए और पशुओं की रक्षा करने के लिए और गौशालाओं का स्टेन्डर्ड ऊंचा करने के लिए कानून पास करना ही जरूरी है। मुझे आशा है कि सभी एक मत

(श्री मोतीलाल)

होंगे कि इस कानून को हमें जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक को फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव है, मैं पहले से ही जब से गौशाला विधेयक आया था इस मत का था कि इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में भी जब प्रवर समिति बनी और उसके पास में यह विधेयक गया और फिर यहां आया और फिर प्रवर समिति को फिर से विचारार्थ जाने की बात है, तो मैं समझता हूं कि वाकई इसकी जरूरत है या नहीं, इस पर विचार करते हुए जायें तो ज्यादा अच्छा है। सब से बड़ा सवाल तो यह है कि जब भी कानून बनते हैं तो कानूनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो किसी कानून के जानकार, फ्रांस के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि जब मनुष्यों का दिमाग उलझा हुआ होता है तो कानूनों की संख्या बढ़ती जाती है।

एक माननीय सदस्य : उसका क्या नाम है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फ्रांस के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं उनका एक आर्टीकल पढ़ा था उन्होंने यह बात लिखी थी कि जब समाज के अन्दर व्यक्तियों का दिमाग उलझा हुआ होता है तो कानूनों की संख्या बढ़ती है। अब यह तो आप देखिये कि यह कहां तक ठीक है या नहीं। मैं समझता हूं कि जब दिमाग उलझा हुआ होता है.....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उलझा हुआ दिमाग है इसीलिए तो यह कानून ला रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अब यह तो उनका कहना है कि जब लोगों के दिमाग उलझे हुए होते हैं तो कानून की जरूरत रहती है। साफ दिमाग वालों को कानून की जरूरत नहीं होती....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : उलझे हुए हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री मदनसिंह : जानवरों के उलझे हुए हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जानवरों के तो नहीं, यहां तो सब मनुष्य हैं। अब सवाल यह है कि गौशाला विधेयक इस प्रकार का कोई कानून गौशालाओं के प्रबन्ध ठीक तरह से चलते हैं या नहीं, उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से है या नहीं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस प्रकार का कानून बने, यह इसके अन्दर बात है। उसमें कई दलीलें दी गई हैं कि इस प्रकार से धन का दुरुपयोग होता है। इसमें कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, धर्म के नाम से, ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स खड़े कर देते हैं। यह बात मैं मानता हूं और जब यह बात कही जाती है तो इनमें कुछ सचाई भी है। परन्तु मैं यह सोचता हूं कि ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स को ठीक तरह से चलाने के लिए, जो ऐसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स हैं जिनको पब्लिक बनाती है, कोई एक आदमी तो बना नहीं लेता, सब मिलकर बनाते हैं, पब्लिक की चेरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, तो जो पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स हैं उनके लिए तो हमने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल बनाया हुआ है जिसमें कानून रखा है कि कोई भी इस प्रकार का ट्रस्ट हो उसका किस तरह से संचालन हो, उसमें धन का दुरुपयोग होता है तो वे इन्स्टिट्यूशन्स जो रजिस्टर्ड होते हैं उनकी जांच भी हो सकती है, इस तरह के आवश्यक प्रावधान उसमें हैं। तो यह दलील की ठीक बात है कि उसमें गड़बड़ियां होती हैं उनकी जांच के लिए यह कानून बनाना आवश्यक है। तो उसके लिए तो मैं समझता हूं कि पब्लिक ट्रस्ट बिल है....

श्री जनार्दनराय नागर : वह केवल मन्दिरों के लिए है।

श्री मुरलीधर व्यास : सब के लिए है। यह आपको भ्रम है। सब इन्स्टिट्यूशन्स के लिए है। कोई भी पब्लिक इन्स्टिट्युशन हो सब के लिए है। तो यह इस प्रकार की व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ कि यह काम उससे हल हो जायेगा। अब सवाल यह रहा कि जो लोग इस प्रकार से गौशालाओं का विकास चाहते हैं, अच्छे सांड उससे पैदा हों, गायों का विकास हो और उनकी नस्ल में उन्नति हो तो उसके लिए राजस्थान के अन्दर अलग से विभाग है और वह है पशु विभाग। यह विभाग इस क्षेत्र के अन्दर बहुत कुछ काम करता है।

अब यह गौशालाओं के ऊपर ही इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से इसमें मैं समझता हूं कई दिक्कतें भी खड़ी होंगी। कुछ लोग धार्मिक दृष्टिकोण से इसमें दिलचस्पी लेते हैं, काम भी करते हैं, पैसे भी देते हैं और ऐसा महसूस भी करते हैं कि गौ-सेवा का काम है, इसके पैसे का किसी प्रकार से मिसयूज़ नहीं करें। यह धर्म की इस प्रकार की भावना है। बहुत कम लोग इस प्रकार के होंगे जैसा कि आप सोचते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं कि कोई ज़मीन रख लेते हैं। अगर इस प्रकार से कोई ज़मीन रख लेता है तो सरकार अलग से हस्तक्षेप कर सकती है। उन सारी चीज़ों के लिए हो सकता है।

अब सवाल इतना ही है कि चूंकि यह गौशाला विधेयक है, तो इसमें 'गौशाला' की व्याख्या दी है। उसमें लिखा है, "गौशाला' से तात्पर्य ऐसी धार्मिक संस्था से है जो पशुओं के रखने, अभिजनन, पालन तथा पोषण के प्रयोजनार्थ या अशक्त, बूढ़े, रोगग्रस्त पशु की भर्ती करने, रक्षण तथा चिकित्सा के प्रयोजनार्थ स्थापित की गई है और उसमें ऐसा पिंजरापोल या गौसदन भी सम्मिलित है जहां ऐसे पशु रखे जाते हैं" यह 'गौशाला' की व्याख्या है। इसके आधार पर गौशाला विधेयक बनाया गया है। अब मैं कहता हूं कि यह धर्मप्रधान चीज़ है। हम किसी प्रकार से ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स के ऊपर ठीक बात है कानून बना कर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो पब्लिक इन्स्टिट्यूशन जो इस प्रकार की हैं उनकी कानूनी अर्थ व्यवस्था के लिये पब्लिक ट्रस्ट बिल है। दूसरे किस प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से धार्मिक हस्तक्षेप सा है। इस मामले के अन्दर हमें यह याद रखना चाहिए कि धार्मिक दृष्टिकोण से गौशालाएं खोलते

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं । जब उन्हें यह मालूम पड़ जाय कि गौशालाएं कोई खोले और मेहनत कोई करे, मगर सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि रजिस्ट्रार उसका अलग होगा जांच करने के लिए, वह आयेगा और जांच होगी; जब इस प्रकार से होगा तो सरकार इन पब्लिक इन्स्टिट्यूशन के ऊपर और होगी तो और दूसरी दिक्कतें पैदा होगीं सरकार किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप करेगी और जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी आम लोगों के अन्दर है वह दिलचस्पी दूर हो जायेगी। तो यह बड़ा अहम सवाल है।

दूसरी बात, बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि कानून अगर इस प्रकार के हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में हो तो भी हम मान लें। राजस्थान के कानून ही क्यों, हर मामले में आगे बढ़ने की बात है। हिन्दुस्तान में सब जगह ऐसे कानून बनाये जाते हैं। हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी इन्स्टिट्यूशन्स हैं। इस प्रकार से दूसरे प्रान्तों में बहुत ज्यादा गौशालाएं हैं से। परन्तु वहां की सरकारों ने ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे गौशालाओं पर प्रतिबन्ध हो, उनकी देखरेख के लिए कोई कानून बनाया हो....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत ख्याल है आपका।

श्री मुरलीधर व्यास : महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय गो-सेवा संघ बनाया। उसके अन्तर्गत बहुत सी इन्स्टिट्यूशन्स चलती हैं। आज भी वह, अपने इस प्रकार से, डेमोक्रेटिक तरीके से चलती हैं। उसमें लोग दिलचस्पी रखने वाले आते हैं। उसमें काम करते हैं, और इस प्रकार से उसका विकास करते हैं। आज हम अगर इन मामलों के अन्दर इतनी सी बात को लेकर कि पिंजरापोल में केवल आप यह समझें कि लंगड़ी गायें ही हों, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का रख लेते हैं तो वह ठीक नहीं है, लेकिन पिंजरापोल को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वह गैरकानूनी है। उसका रखना आप ठीक नहीं समझते हैं। तो बहुत से लोग जो बनाते हैं वे भी इस कारण नहीं बनायेंगे। जो थोड़ी बहुत गो-सेवा होती है वह कानून बना देंगे तो बहुत से लोग जो दिलचस्पी रखते हैं और दिलचस्पी रखकर गो सेवा का विकास करते हैं, वे कानून की वजह से नहीं बनायेंगे; नहीं तो बहुत से लोग मिल कर बना देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार कानून आप बनायेंगे और जो दृष्टिकोण आपने रखा है उस दृष्टिकोण की पूर्ति तो पब्लिक ट्रस्ट बिल के मातहत हो जाती है, और दूसरे विकास का सवाल है उसके लिए आपका विभाग है। वह बहुत कुछ काम करता है। आपका विकास कैसा होता है? आपने कहा कि हम अच्छे सांड देंगे। जो सांड आपका पशु विभाग रखता है, उसको मैंने देखा है कि आप अच्छे सांड का पालन करने के लिए खर्चा करते हैं ४ लाख का। अच्छे सांड का पालन करने के लिए जो फार्म्स आप चलाते हैं वे राजस्थान में तीन हैं। उनका खर्चा ४ लाख रुपया आता है, और चार लाख खर्च करके बड़ी मुश्किल से साल भर में ३०, ३५ सांड आप निकालते हैं। तो एक सांड के पीछे खर्च लगायेंगे तो वह ७, ८ हज़ार रुपया हो जाता है। आप अपने काम में

(श्री मुरलीधर व्यास)

किस प्रकार का विकास कर रहे हैं ? आप इस प्रकार की दलील क्यों देते हैं कि दूसरों को अच्छे सांड़ देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे । तो जहां तक व्यवस्था करने की बात है वह तो यो भी कर सकते हैं । लेकिन आप स्वयं जो काम करते हैं उस काम में कोई विकास का काम नहीं है । आप सेन्ट्र-लाइज़ करते है हर काम को । आप जब विकेन्द्रीकरण की पॉलिसी मान्य करते हैं तो इस प्रकार की जो पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स हैं जिनको लोग चलाते हैं, वे व्यक्तिगत नहीं होती है । एक अकेले की गौशाला हो, ऐसी बात नहीं है । आप एक चेरिटेबल इन्स्टि-ट्यूशन के लिए कानून बनाते हैं जिसमें लोग चन्दा देते हैं, उसमें एक कमेटी होती है । उसके हिसाब-किताब की देखरेख होती हैं । उसकी जांच होती है । वे लोग सालाना अपना जलसा करते हैं और देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ और क्या काम किया, इस प्रकार से विचार करते हैं । यह सब कुछ होता है। ऐसी इन्स्टिट्यूशन्स में जब आपकी तरफ से रजिस्ट्रार जायेगा और देखेगा कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो इससे लोग गौशाला खोलने से पहले सोचेंगे कि इस झंझट में पड़ें या नहीं। यह विधेयक जो आप बनायेंगे तो उससे विकास नहीं होगा । उसके साथ ही साथ नई दिक्कतें खड़ी हो जायेगीं । हमें कभी-कभी कानून को बड़ी गहराई से देखना पड़ता है । कानून बनाने की जब बात होती है तो अच्छी-अच्छी दलीलें दी जाती हैं । हमने फुड एडलट्रेशन का कानून बनाया, क्योंकि घी में मिलावट हो जाती है, दूध में मिलावट हो जाती है, इसमें हो जाती है, उसमें हो जाती है, और इसके लिए सब को लाइसेन्स लेने को कहा । कोई आदमी दो-एक गाय रखकर कहीं पर पाव भर दूध बेचता है तो बेचने वाले को लाइसेन्स लेना पड़ता है कि कहीं वह पानी न मिलाने लग जाय । कोई गांव में बैठकर छोटा आदमी तेल बेचता है । यदि वह एक छोटा सा दूकानदार है तो भी उसको १२) रु० देने पड़ते हैं कि कहीं वह आदमी उसमें मिलावट नहीं कर ले । कानून बनायें १२) रु० वसूल करने के लिए, वह ठीक है । लेकिन क्या आपने उस कानून से मिलावट को रोक दिया है ? कहीं पर आने रोका है क्या ? इस प्रकार के कानून बनाकर आप एक और दिक्कत खड़ी कर देते हैं । गांव में एक छोटा आदमी १-२ गाय रखता है और दूध बेचता है और चूंकि उसके पास लाइसेन्स नहीं है इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं । कोर्ट में लाकर खड़ा करते हैं । उसको जुर्माना देना पड़ता है । एक कानून के दृष्टिकोण से मैं सोचता हूं कि इतने व्यापक क्षेत्र में वह है कि हर घर में इस प्रकार से काम चलता है । लाइसेन्स लेकर आप रक्षा करना चाहते है, वह कतई नहीं होता है । आप कहते हैं कि कानून के बनने से मिलावट का मामला साफ हो गया है, लेकिन वह बढ़ता जा रहा है । वह साफ नहीं हुआ है, जो भी कानून बनाते हैं वह जनता के हित के दृष्टिकोण से बनाते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि वह जनता को कहां तक लाभ देता है ? आप दिक्कतें पैदा कर देते हैं । तो इस प्रकार से इस के अन्दर प्रावधान रखा कि जो रजिस्ट्रार होगा वह उसकी देखरेख करेगा, हिसाब किताब देखेगा, सब कुछ करेगा और

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उस पर जुर्माना होगा । यह सारी बात इस प्रकार की रखी हैं । ये इस प्रकार की चीजें हैं जो ज्यादा दिक्कतें पैदा करेंगी । मैं यह समझता हूं कि आपके दिमाग में इतना ही है कि आप पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स को प्रतिबन्धित करना और उनको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पब्लिक ट्रस्ट बिल है । उसके अन्तर्गत सारे प्रावधान हैं । इन सारी चीजों की छानबीन उसके अतंर्गत हो सकती है । इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए यह जो विधेयक है उसको मंत्री महोदय वापिस ले लें तो बहुत अच्छी बात है । इसमें जो बाते हैं वे तथ्यपूर्ण मालूम नहीं पड़ती हैं । इसमें कुछ चीजें हैं जिनसे आप लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी । इसलिए इसको फिर से रिकन्सीडर किया जाया और फिर से समिति को दे सकते हैं कि वाकई जन कल्याणकारी कहां तक होगा, उससे जनता का लाभ कहां तक होगा । इस पर फिर विचार करेंगी । इन्हीं शब्दों को कहता हुआ इस प्रस्ताव को रखता हूं कि इसको फिर से विचारार्थ भेजा जाय, इसका अनुमोदन करता हूं ।

१ म० प०

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है कि गौशाला बिल को वापिस प्रवर समिति में भेजा जाय और एक अन्य सुझाव भी यहां पर रखा गया है कि इसको जनमत के लिए दिया जाय, मैं इन दोनों सुझावों का और प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जो बात विरोध करने की है वह चाहे दो हों या तीन हों, उनका विरोध संयुक्त रूप से होता है ।

अध्यक्ष महोदय, यों यह बिल ऐसा मालूम होता है कि कोई अधिक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, लेकिन देखा जाय तो पशुधन का और विशेषतौर से गायों के संरक्षण और पोषण का और विकास का जो हमारा सवाल है वह सवाल कोई गौशालाओं के बनाने का सवाल ही नहीं है । यह सवाल निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल है । अगर मैं यह नहीं भूलता हूं तो गायों को लेकर गऊओं के नाम से उनके विकास और संरक्षण की दुहाई देकर हमारे देश में कई प्रतिक्रियावादी सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलन चलते आये है, आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलने की संभावना है । दुर्भाग्य से गऊ अत्यन्त निष्पाप पुण्यशील प्राणी होते हुए भी राजनैतिक संकीर्णवाद का साधन बना है । जहा तक राष्ट्र के स्वास्थ्य और पशुओं के विकास का सवाल है, मैं समझता हूं यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है । यह ठीक है कि मौजूदा स्थिति में हम समस्त गऊ धन के विकास के मामले में कानून बनाकर कितना कर सकते हैं ऐसी स्थिति नहीं है । लेकिन गौ रक्षण और संवर्धन का प्रश्न है, इसको हमें चंद उन लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना है जो लोग ऐसा उपयोग करते हैं जिसे अनैतिक उपयोग कह सकते हैं । यहां तक कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस कानून को पास करने से जो लोग गौशालाएं बनाते हैं उनकी प्रेरणा में फर्क आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे प्रेरणाएं किस काम की हैं ? यह निश्चित है कि जो लोग गौशालाएं बनाते हैं वे गौ संवर्धन या विकास की दृष्टि से नहीं बनाते । वे एक पूर्व भावना के आधार पर, जिसे धार्मिक भावना

(श्री जनार्दनराय नागर)

कहा गया है उससे प्रेरित होकर बनाते हैं। लेकिन आखिर वह धार्मिक भावना क्या है ? मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत मत से, गौ सेवा की भावना जो हमारे देश में चली आ रही है उससे बढ़कर दूसरी वाहियात भावना मुझे नजर नहीं आती। आज आप दूसरे देशों को, जहां यह भावना नहीं है और उनमें से कई देशों में गौ मांस खाने की परंपरा है, वहां पर गउओं की हालत देखें और हिन्दुस्तान की गउओं की हालत को देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां बातें गौ-सेवा की करते हैं लेकिन हालत बड़ी दर्दनाक है। आज गउओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं और लंगड़ी और लूली गउओं के लिये पिंजरापोल की आवश्यकता पड़ती है और केवल पुरानी जर्जर धार्मिक भावना के पोषण के लिये गौसदन और गौशालाएं खोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देश में परिणाम यह है कि जो गायें वहां पर बंधी हैं उनकी स्थिति को देखिये। वे कितना दूध देती हैं और उनकी क्या हालत है ? यदि मैं यह मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी राज्य पर आधारभूत पशुधन के विकास और संरक्षण की होनी चाहिये, तो इसका कहीं न कहीं तो प्रारम्भ करना होगा। यह सही बात है कि राज्य सरकार अपनी प्रेरणा से जितने जनमत का संरक्षण करना चाहती है, जितना शक्तिशाली बनाना चाहती है वह बिना कानून के नहीं बन सकता। यह उसूलन बात है कि जो सार्वजनिक प्रयत्न से संस्थाएं बनती हैं उनके बारे में राज्य कम से कम कानून बनावे और दखल न दे। यह उसूलन बात है कि हिन्दुस्तान कभी इस मामले में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा था और कई ऐसी बातें थीं जिनमें राज्य का दखल कम से कम था और कानून कम से कम था, लेकिन उसके पीछे जो जनमत का दबाव था, स्वीकृति और अनुमति थी, वह इतनी प्रबल थी कि कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से, मैं कहना चाहता हूं कि वह परिस्थिति नहीं है और विशेषकर उनके संरक्षण के बारे में आज परिस्थिति ऐसी है कि निश्चितरूप से कानून बनाना पड़ेगा, यह निश्चित बात है। गौशालाओं को लेकर, धार्मिक भावना से ही सही, उनको कहीं न कहीं मार्ग दर्शन दें ताकि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये ठीक तरह से काम कर सकें।

आखिर कुछ धार्मिक संस्थाओं के लिये ट्रस्ट कानून पास किया। उसके लिये भी यह दलील दी जा सकती थी कि मंदिरों और ऐसी संस्थाओं के लिये यदि हम ट्रस्ट एक्ट पास करेंगे तो उन पर आघात होगा। उस समय भी यह दलील थी कि यह धार्मिक भावना पर आक्रोश और अंकुश है। लेकिन हमने महसूस किया कि आज हमारे मंदिरों और समसामयिक संस्थाओं की जो स्थिति है वह अच्छा उद्देश्य होते हुए भी ठीक नहीं है। जब ऐसी हालत है तो उसमें राज्य को कहीं न कहीं दखल करना पड़ेगा, मार्ग दर्शन देना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मंदिरों और सार्वजनिक संस्थाओं के अलावा गउओं के मामले में भी आज से पहले कदम उठाने की आवश्यकता थी। यदि इसे धार्मिक भावना के प्राबल्य से नहीं कर पाते हैं तो राज्य को कहीं न कहीं नियमन देना होगा। उद्देश्य स्पष्ट हैं।

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक मित्र ने कहा कि इस बिल की भावना से गउओं

Page No.47

(श्री जनार्दनराय नागर)

के मामले में राज्य का दखल होगा। मैं समझता हूं सरकार का इरादा स्पष्ट है। इतना ही इरादा मालूम होता है कि आप यदि पिंजरापोल या गौशाल बनाते हैं तो टीक ढंग से बनाइये, अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करके बनाइये। केवल चार-पांच गायें इकट्ठी करके कहते हैं कि यह गौशाला है, पिंजरा पोल है, इससे संतोष न करें। जहां तक गौशाला का सवाल है निश्चितरूप से उसके लिये कानून बने। मैं चाहता हूं कि समस्त गौ धन के लिये ऐसा कानून बने जिसके द्वारा हमारे गौ धन को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया जा सके। लेकिन दुभाग्य से इस कानून का स्कोप न्यूनतम है, कुछ गौशालाओं तक ही सीमित है और वह भी धार्मिक दृष्टि से। गौधन का प्रतिपादन करते हैं वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी होता है और दूसरा धार्मिक भावना से भी। वैज्ञानिक दृष्टि से जो संगठन हो रहा है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है, वह स्पष्ट नहीं है। केवल परोक्ष रूप से नस्ल सुधार के लिये दृढ़चित्त हैं लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि गऊ को सामने रखते हैं तो धार्मिक भावना का और जो सामाजिक अधिकार है उसका भी प्रतिपादन करते हैं। मैं चाहता हूं कि समस्त पशु-धन का संरक्षण करने के बारे में सरकार विचार करे। इसके बारे में यदि आवश्यक हो तो समायिक कानून रखे। लेकिन जहां तक इस बिल का सवाल है, हमारे पिंजरापोल और गौशालाओं की हालत अत्यन्त खराब है। मैं कहता चाहता हूं कि इस गौ सेवा से कोई लाभ नहीं है जब कि जहां गौवध होता है उनके हाथ में भी ये चली जाती हैं, यह उदाहरण भी हमारे सामने है। इसलिये केवल धर्म की दुहाई देकर हम चाहते हैं कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण कदम न उठावें। हम चाहते हैं समाज के पशुओं का रिलीजियस पायस लोगों के हाथ से निकाल कर उन्नत हाथों में छोड़ें। यह बात जरूर है कि इस कानून के पास होने से कुछ बंधन होगा। इसके रजिस्ट्रार होंगे, इन्सपेक्टर होंगे, उसका अकाउन्ट देना पड़ेगा, सब बातें करनी होंगी। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? कोई आज अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकता है क्या कि उनकी हालत अच्छी है? अच्छा मकसद होते हुए भी क्या उनका संचालन ठीक होता है? क्या गउओं की स्थिति ठीक है? हमें मालूम है कि इन्हीं संस्थाओं में से कई बार कसाइयों के हाथ में बेच दी जाती हैं जो काम की नहीं हैं। हिन्दुस्तान में गऊ भक्त गऊ के नाम से बहुत गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री के चुनाव में एक व्यक्ति विरोध में देश में गऊ लेकर फिरता रहा था। हिन्दुस्तान में गऊ की सेवा और कद्र की जाती है लेकिन वे लोग, जो गऊ की सेवा की दुहाई देते हैं, लेकिन गऊ जब लूली लंगड़ी हो जाती है तो उसको चारा नहीं देते हैं...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उसको खाने को पंडितजी जाकर देते हैं वहां से ?

श्री जनार्दनराय नागर : पंडितजी तो हमारे और आपके जैसे सांडों को भी खाने को देते हैं। उनका प्रश्न नहीं उठता। सच्चाई यह है, जिसे मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गऊ भक्तों ने गऊ सेवा की बात करते हुए ऐसी परिस्थिति बनाये रखी है जिससे गऊ-धन का विनाश होता रहा है। आज धर्म की भावना को

(श्री जनार्दनराय नागर)

उभार करके एक बात कह देना सरल हैं लेकिन उसके अन्दर जो मकसद है, उसकी पूर्ति करना हमारी क्षमता में नहीं रहा । आज देश में धर्म के सैकड़ों प्रश्न चला रखे हैं, सैकड़ों सम्प्रदाय कायम कर रखे हैं लेकिन उन सम्प्रदायों और धर्म के प्रश्नों की स्थिति क्या है, क्या हालत है ? मैं नम्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ कह देता चाहता हूं कि गऊ के सवाल को हमें और दूसरे सवालों की तुलना में अधिक गहराई से सोचना है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस बिल के जरिये, जो गौशालाये हैं, जिनका खराब प्रबन्ध है, उसको राज्य सरकार देखे कि वहां पर ठीक तरह से प्रबन्ध हो रहा है कि नहीं आखिर इतने महत्वपूर्ण सवाल में राज्य का कुछ कार्य न हो तो मैं समझता हूं कि हमें राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि गऊ के मामले में और जो लोग गऊ की सेवा करना चाहते हैं उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी क्या है, आपने उसका कहां तक पालन किया है ? मैं समझता हूं कि यह इसका प्रारम्भ है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लग गई है। देरी से महसूस किया है, अध्यक्ष महोदय; मैं कहना चाहूंगा अगर सरकार जल्दी चेती होती तो मैं समझता हूं कि गौशालाओं की जो हालत आज है वह ठीक होने लग गई होती। यह कहना कि इस कानून को बनाने से गौशालाओं का कम निर्माण होगा, मैं तो चाहूंगा कि अगर इस तरह की गऊ शालायें बनती हैं, जिनकी हालत जीर्ण-शीर्ण हो, छिन्न-भिन्न हो, तो न बनें। मैं समझता हूं कि धर्म के नाम पर लोग अपने स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर जो जालिम हैं उनके क्षेत्र को हम खुला छोड़ेंगे जिन्होंने प्रश्न को लेकर, धार्मिक भावना को लेकर धर्म की संस्थायें खड़ी कर रखी हैं, जिनके चेहरे ऊपर से बड़े अच्छे मालूम होते हैं लेकिन उनकी अन्तर्आत्मा देखी जाय तो बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के प्रारम्भ के नाम में वे रुकावट पैदा करने का प्रयत्न न करें। मुझे ताज्जुब है, जिस माननीय सदस्या ने सुझाव रखा है कि इसको वापिस प्रवर समिति में भेज दिया जाय, वे गऊ भक्त हैं और उनकी गऊ सेवा प्रसिद्ध है। जितनी अपनी सेवा नहीं करतीं, उतनी गऊ की सेवा करती हैं....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : पर्सनल अटेक ठीक नहीं होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : अगर मान लीजिये कि कोई बात की कमी है तो वह संशोधन के द्वारा लाई जा सकती है। मैं मानता हूं कि इस मामले में, यह एक निष्पाप कानून है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। आखिर गौशालाओं का ठीक तरह संरक्षण करने के लिए, ठीक प्रबन्ध करने के लिए राज्य का दायित्व कायम करें, राज्य के प्रबन्ध पर नियंत्रण रखें, परीक्षण करें। अगर किसी को अच्छी किस्म के पशु चाहिए, किसी को टैक्निकल एडवाइज़ चाहिए तो रजिस्ट्रार देगा। एक चीज़ को नियमित करना चाहिए, उसके लिए परिस्थिति पैदा करनी चाहिए, जिससे कि इसका विकास हो। मैं समझता हूं कि इसको वापिस प्रवर समिति को भेजा जाय या जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना, अच्छे उद्देश्य से, योजना से काम करना चाहते हैं, उसको रोकने के उद्देश्य से ऐसे प्रश्न खड़े किये जाते हैं। मैं समझता हूं उसमें सार नहीं

(श्री जनार्दनराय नागर)

है। अध्यक्ष महोदय, मैं बैठते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की दलीलें हैं जो देखने में आकर्षित मालूम होती हैं, अन्तरग मकसद जो उसका है कि गऊ के मामले में हम कोई प्रगतिशील काम न कर सकें, ऐसा वातावरण पैदा न कर सकें और यह चीज़ बहस मुबाहिसे में चल सके और उसके परिणाम समय समय पर लिये जा सकें। आज गऊ को प्रतिक्रियावादी हाथों से मुक्ति दे दी है, लेकिन उसके साथ ही राजनैतिक और सामाजिक तत्वों से भी गऊ की मुक्ति करानी होगी। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन भारत की गऊ मुक्त नहीं है; उसकी जिन्दगी और उसके विकास के लिए चिन्ता नहीं है, लेकिन गऊ की सेवा के नाम से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी मुक्ति करवाना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि गऊ के बिना भारत का काम नहीं चल सकता। हमारे पुराणों और ग्रंथों में एक आह का जिक्र किया गया है, वह आह हमारी और आपकी नहीं है, और जो भारी भरकम भारत के वैभव के पशु हैं, उनकी आह से मतलब नहीं है, न नेता और सेनापति और सामाजिक आन्दोलन की आह से मतलब है, आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जब जब पृथ्वी पर संकट आये और देवता घबड़ा गये, तो किसी की पुकार सुनी है तो गऊ की पुकार सुनी है। मेरे मित्र, जो पुराण पढ़ते हैं, जानते हैं कि एक चिरन्तन आह है, जिसको सुन कर भारत भूमि पर ईश्वर ने जन्म लिया है, और वह है गऊ की आह....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ईश्वर कहां से घुस गया इसमें ?

श्री जनार्दनराय नागर : ईश्वर हर एक के दिल में घुसा हुआ है; मेरे दोस्त, तू बड़ा बेखबर है। मैं कहना चाहता हूं, वह गऊ की आह है, गऊ की आह जब विधाता के सामने पहुंची है तो ईश्वर ने जन्म लिया है। भारत भूमि में जो लौकिक-ईश्वरी घटनायें हुई हैं तो गऊ की आह से हुई हैं। मुझे अत्यन्त अफसोस है, इतना अच्छा प्रारम्भ सरकार करना चाहती है, उसमें बाधायें आती हैं और वे भी किसके द्वारा, एक मानव वृषभ के द्वारा, एक मानव गऊ के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय इस विधेयक पर हम विचार करें तो उसमें कोई नुक्स और कमियां हों तो उनको दूर कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मानव वृषभ और मानव गऊ वास्तविक वृषभ और गऊ की प्रगति करने में कोई बाधा डाले।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में गौशाला विधेयक के सम्बन्ध में जो वादविवाद चल रहा है उस पर अभी मैंने एक बहुत ही सारगर्भित भाषण सुना। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि यह भाषण एक ऐसे माननीय सदस्य की ओर से सुनाया गया, जो हमारी साहित्य अकादमी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ उसके अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं में भारतीय संस्कृति की हर जगह दुहाई देकर उन संस्थाओं का वे प्रतिपादन करवाते हैं। आज विधान सभा में यह पहला मेरे लिए दुर्भाग्य का दिन है, जिस दिन राजस्थान

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

की विधान सभा में एक माननीय सदस्य का यह भाषण सुना कि राजस्थान में या भारतवर्ष के अन्दर जो गायें नहीं कटती हैं, यह भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है ....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) मैंने यह नहीं कहा, बिल्कुल गलत रूप से रख देने का प्रयत्न है। मैंने कहा कि गऊ की सेवा तो करते हैं लेकिन जब वह बेकार हो जाती है तो कसाई के हाथ में देते हैं। मुझे दुःख है कि मेरे कथन को इस तरह रखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह भी कहा था कि दूसरे देशों में जहां गाय के प्रति प्रेम नहीं है और गाय का मांस खाया जाता है, वहां गाय ताजी रहती है, तो उसका दूसरा अर्थ यह है कि आपकी दृष्टि के अनुसार यदि गाय को ताजा रखना है और उसकी नस्ल में सुधार लाना है तो गाय का मांस खाया जाय, ताकि बची हुई गायों का सुधार किया जा सके।

श्री जनार्दन राय नागर : अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात है। मैंने कहा था कि विदेशों में जहां गाय की भक्ति नहीं है, जहां गाय का मांस खाते हैं, फिर भी उनकी हालत काफी अच्छी है। यह बात नहीं है कि मेरा मतलब था कि हमें गाय का मांस खाना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा और न कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं समझ पाया, क्या माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि गायकशी होनी चाहिए, गाय के मांस का भक्षण होना चाहिए ?

श्री जनार्दनराय नागर : बिल्कुल नहीं। आप आन्दोलन करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आन्दोलन में धर्म की दुहाई देनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि आखिर कहने के बाद साहित्य अकादमी के नाम के कारण माननीय सदस्य में इस विचार का प्रादुर्भाव हुआ है कि मैंने क्या कह दिया था और उसका क्या मतलब निकल सकता है....

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स में देख सकते हैं। मुझे गलत रूप से अखबारों में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से उम्मीद नहीं करता हूं कि वे ऐसा करें। मेरी धार्मिक भावना है, मेरे लिए यह कहा जाय कि गाय का मांस खाने की बात कही, यह बहुत खराब बात है। ...

श्री अध्यक्ष : आपने ऐसा नहीं कहा।

श्री जनार्दनराय नागर : आप अच्छे हिन्दू हैं और मैं भी उतना ही अच्छा हिन्दू हूं; मुझे हिन्दू होने में गर्व है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। कहीं पर कोई खराबी आपके दिमाग में है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : ऐसा समझ लें ....

श्री जनार्दनराय नागर : यह सेन्टी-मेन्ट्स का सवाल है। जो मैंने कहा नहीं, जो मेरी मन्शा नहीं थी, वह आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने भी सेन्टीमेन्ट्स में कहा और वे भी सेन्टीमेन्ट्स से कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनके सेन्टी-मेन्ट्स की जानकारी कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य एक अच्छे हिन्दू हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : एक अच्छे हिन्दू के नाते इस बात के पक्ष में भी हैं कि गौकशी नहीं होनी चाहिए और गाय के मांस का भक्षण भी नहीं होना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : राजस्थान भर में यह मसला है ही नहीं, तो फिर यह यहां बीच में कैसे आ गया ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने नहीं कहा कि राजस्थान में यह मसला है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि माननीय सदस्य एक जानकारी और दे देते कि गाय का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए और यह कैसे....

श्री जनार्दनराय नागर : यदि अपनी मां का मांस खाया जाय, तो गौ का मांस खाया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही चाहता था अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मुंह से कहलाना कि गाय हमारी मां है और मां होने के नाते हमारे कर्त्तव्य हैं उसके प्रति। हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जाता है, तो हमारी संस्कृति से, धर्म से उसका कितना सम्बन्ध है। अभी अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा जोशीला भाषण दिया और कहा कि गौशालाओं के अन्दर हिसाब-किताब की काफी गड़बड़ होती है, उनमें नस्ल सुधार का काम अच्छी तरह से नहीं होता, जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं वे अपना कन्ट्रीब्यूशन दिखा कर टैक्सेज़ से बचने की व्यवस्था कर लेते हैं; मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह कुछ अंशों तक सही है। आज के ब्लैक मार्केटियर्स टैक्सेज़ से बचने के लिए कौनसा कार्य नहीं करते, पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गौशालाओं के हिसाब-किताब में गड़बड़ी, क्या आज की कोऑपरेटिव सोसायटीज़ से भी ज्यादा है ? उनके हिसाब-किताब की गड़बड़ी, नस्ल सुधार के कामों में कमी, उनकी तुलना आज की ओऑपरेटिव सोसा-यटीज़ से कर ली जाय कि कितनी कोऑप-रेटिव सोसायटीज़ में गबन होते हैं कितनी हिसाब में गड़बड़ियां होती हैं और कितना प्रोडक्शन होता है, इन दोनों की तुलना कर ली जाय, इनकी तुलना करने से जानकारी मिलेगी कि गौशालाओं के हिसाब में इनसे ज्यादा घोटाला नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो क्या गौशालाओं में होने वाले घोटाले को बर्दाश्त करना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : गौशालाओं को कहां कोऑपरेटिव में मिला दिया ?

Page No.52

श्री भैरोंसिंह : आप सुनते जाइये। यदि हम सुव्यवस्था की दृष्टि से गौशालाओं का कानून बना कर उनको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, उन पर संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि आज सरकारी संरक्षण में सरकारी व्यवस्था के आधीन होते हुए भी जिन संस्थाओं में, जिन विभागों में घोटाला है, हिसाब में गड़बड़ियां हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिये ?

डाइरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेण्डरी के अण्डर में इस कानून से गौशालाएं जायेंगी, डाइरेक्टर एनिमल हस्बेन्डरीज़ इसके अधिकारी होंगे, जिस विभाग में इतनी गड़बड़ियां हैं उनके नीचे इन गौशालाओं को देना चाहते हैं, गौशालाओं में इतनी गड़बड़ियों का आपको भ्रम होगा, मैं चुनौती देता हूं कृषि मन्त्रीजी को कि आपके इस विभाग की तुलना राजस्थान की किसी भी गौशाला से, राजस्थान की बुरी से बुरी गौशाला से, बांगड़ गौशाला के लिए कहा गया, उस बांगड़ गौशाला से हमारे राजस्थान के पशुपालन विभाग की तुलना कर ली जाय, तो गौशालाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा भयंकर रूप के एम्बेज़लमेंट, गड़बड़ियां साबित करूंगा। तो मैं कहूंगा कि पहले अपने घर को सुधारें, अधिकारियों को सुधारें और फिर दूसरों को कहें कि तेरा काम अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकार में लेंगे। स्वयं के घर में सफाई नहीं और दूसरों के घर का कूड़ा कर्कट साफ करना चाहते हैं ! आप कहते हैं कि हम नस्ल सुधार करना चाहते हैं, पर मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की नस्ल सुधार की स्कीम में कौनसी बाधाएं गौशालाएं प्रस्तुत करती हैं ? आपकी बुल प्रीमियम की स्कीम है, उस बुल प्रीमियम की स्कीम में आपने कितने सांड तैयार किये हैं, किस प्रकार तैयार करवाये, किस तरह लोगों को बांटा और आपकी नस्ल में कितना सुधार हुआ ? द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसे शुरू किया और प्रथम पंच वर्षीय योजना में भी आपके कुछ टार्गेट्स थे, लाखों करोड़ों रुपया नस्ल सुधार पर खर्च किया है, उसका रिज़ल्ट क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, यह बजट की बहस तो है नहीं; यह तो निश्चित विधेयक की बहस है। माननीय सदस्य को इस पर बोलने का बजट के समय और मौका मिलेगा। अभी इस बहस को रिलेवेन्ट रखें तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : जो तीन पोइन्ट्स आपने दिये हैं कि "गौशालाओं के अधिक अच्छे प्रबन्ध, नियन्त्रण तथा विकास के लिए व्यवस्था", इन्हीं पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह बताइये कि इस बिल से ये बातें कैसे नहीं बन पाई हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही बता रहा हूं। नस्ल सुधार का प्रोग्राम करना चाहते हैं, किस प्रकार इसको करेंगे, इसका स्पष्ट संकेत इसमें नहीं है। जितनी गौशालाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के लिये उनको स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, उनकी कन्डीशन्स लिखी नहीं हैं, कितनी उनके पास प्रोपर्टी है, कितना एक्सपेन्डीचर है, क्या क्या आइटम्स हैं, अकाउन्ट्स मेंटेन करना पड़ेगा, आॅडिट होगा, सीज़ करते हैं तो उनको सज़ा दी जायगी, यह इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की.ऊपर की परम्परा मालूम पड़ती है, पर नीचे एक सेक्शन है, उसमें रूल मेकिंग पॉवर सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं। उसमें सरकार ने चेष्टा की है कि जिस उद्देश्य को लेकर कानून बनाने की चेष्टा कर रहे हैं उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी और उसकी पूर्ति के लिये सरकार नियम बना सकती है । तो जो कानून बनता है वह तो खाका मात्र है। रूल्स बनाने के सारे अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। क्या रूल्स से, रूल्स से क्या गौशालाओं की पूरी गड़बड़ी खत्म हो जायगी ? आप चाहते हैं गौशालाओं के माध्यम से नस्ल सुधार करें तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि उनका नम्बर बढ़ा है, घटा नहीं । सरकारी सहायता पर राजस्थान में बहुत कम गौशालाएं चलती हैं, धार्मिक भावनाओं के आधार पर इन गौशालाओं की स्थापना की थी, उनमें कोई यह मकसद नहीं था कि उन गौशालाओं में नस्ल सुधार का काम होगा। इनकी स्थापना इसी मकसद से हुई है कि हमारी गायों को, जितनी लूली, लंगड़ी, बूढ़ी गायें हैं उनको चारा मिल जाय। आज राजस्थान में स्थिति इस प्रकार की है कि टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद, खातेदारी राइट्स मिलने के बाद एक खातेदार के खेत में दूसरे किसान के मवेशी चर नहीं सकते। जितनी गोचर भूमियां थीं वे 'ग्रो मोर फूड' के अन्दर काश्त के नीचे चली गई हैं। गांवों में चराने की व्यवस्था बनाई गई थी इस व्यवस्था के अनुसार किसी की गाय लूली लंगड़ी होती थी या किसी की गाय को चराने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो उसको वहां पर रखा जाता था। अगर यह नहीं होता है तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि इस प्रकार की गायों को मारा जावे और उनके मांस का भक्षण किया जावे और अगर नहीं तो लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन खराब की जावे। जो लोग गरीब होने के कारण इस प्रकार के पशुओं को नहीं रख सकते, उनकी इकोनोमिक कन्डीशन खराब की जावे। यह जो समस्या गांवों में पैदा हुई थी उस समस्या को दूर करने के लिये लोगों ने सेवा भाव से प्रेरित होकर जगह जगह गौशालाएं बनाईं और गौशालाओं की स्थापना की। आप यह समझते हैं कि गौशालाओं में लूली लंगड़ी गायें नहीं आवें, उनमें बुड्ढी गायों को शामिल नहीं किया जावे और उनके स्थान पर ऐसे जानवरों को लिया जावे और ऐसे सांडों को लिया जावे जो नस्ल सुधार कर पावें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना गौशालाओं को बनाने वालों की कतई भावना नहीं रही। यदि कोई यह समझे कि गौशालाओं में पशुपालन और नस्ल सुधार का काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि यह मूलभूत समझने का फर्क है। आज सरकार इस प्रकार का इनिशियेटिव अपनी तरफ से लेती है, अगर यह इनिशियेटिव गौशालाओं के संचालकों की तरफ से आता तो सरकार को चाहिये था कि उस पर अमल करती। मगर इसमें आपने रखा है कि रजिस्ट्रेशन कराया जावे, इस रजिस्ट्रेशन के कारण से लोग नहीं चाहेंगे कि वे रजिस्ट्रार के दफ्तर में जावें और रजिस्ट्रेशन करावें। इस कारण से आर्थिक स्थिति पैदा होती है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आर्थिक स्थिति को और जो लाएबिलिटी आर्थिक स्थिति के

(श्री भैरोंसिंह)

कारण आनेवाली है उसको अपने पर लेने को तैयार है। मुझे याद है कि इस प्रकार का पहले बिल विधान सभा में सन् १९५३ में गौशाला विधेयक पेश किया गया था। उसमें केवल उस पर हस्तक्षेप करना ही उचित नहीं समझा गया था बल्कि गौशाला पर टैक्स लगा कर व्यवस्थापक को तनख्वाह देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस समय की सरकार ने न मालूम किन खांमियों के कारण उसको वापिस ले लिया और कहा कि पब्लिक की तरफ से और गौशाला के संचालकों की तरफ से इस प्रकार का इनिशियेटिव आना चाहिये,न कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का इनिशियेटिव आना चाहिये,ताकि ऐसा न हो कि इस प्रकार कोई कदम उठा कर कहीं गौशालाओं को समाप्त न कर लें। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वह उसमें पैसा लगाए और रजिस्ट्रार के सामने जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराए और उसका रिटर्न समय पर पेश करे और अगर रिटर्न पेश करने में उसको १५ दिन से ज्यादा समय लग जाए तो उसके लिये पेनल्टी दे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा और न वह गौशाला में अपना कन्ट्रीब्यूशन देगा। यदि सरकार उसका इन्तजाम करना चाहे तो भले ही कर सकती है और अगर सरकार उससे पैदा होनेवाली आर्थिक स्थिति की लाएबिलिट लेने को तैयार है और यदि सरकार में आर्थिक लाएबिलिटी को लेने की ताकत हो तो वह उसका कन्ट्रोल करे। अगर सरकार अपनी लाएबिलिटी लेना चाहती है तो ले। मगर दूसरे लोगों का इनिशियेटिव खत्म हो जावेगा और जिस प्रकार की गायें गौशालाओं में आनी चाहिये नहीं आ पावेंगी और जो गौशालाओं का असली मकसद है वह समाप्त हो जावेगा।

इन्हीं कारणों से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल गलत कानून होगा और इससे न तो पशुओं की स्थिति ही सुधरेगी और न गौशालाओं की स्थिति ही ठीक होगी। इसलिये मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के निरर्थक कानून को पास न किया जावे। इससे न तो किसी प्रकार का सुधार होगा न पशुपालकों का भला होगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि इस पर काफी बहस हो चुकी है अब उत्तर हो जाए।

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गौशाला बिल के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव माननीय सदस्यों की तरफ से मुख्यत: प्रस्तुत हुए हैं। कुछ सदस्यों ने यह रखा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जावे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी आवश्यकता है और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। दोनों प्रकार के व्यूज़ रखे। कई सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल की बहुत आवश्यकता है और इसको जल्दी से पास करना चाहिये, इसमें ऑलरेडी काफी डिले हो चुकी है व कुछ माननीय सदस्यों ने जैसे श्री माधोपुर से आनेवाले और बीकानेर से आनेवाले ने कहा कि इस बिल की कोई उपयोगिता ही नहीं है और इसलिये मुझे इस कानून को वापिस ले लेना चाहिये।

Page No.55

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काफी दलीलें इसके लिये आई हैं, मगर मैं उनमें न जाकर संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह काफी अहमियत का बिल है और इसकी राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। राजस्थान में पशुधन काफी महत्व रखता है और इसके लिये सरकार की तरफ से योजनाबद्ध तरीकों से कुछ न कुछ कार्य होता है। मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कुछ और चीजें रखी जातीं तो वैज्ञानिक रूप से सुधार किया जाता; इसके लिये इससे ज्यादा अच्छा बिल आना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जानवरों की नस्ल सुधार और तरीकों के लिये स्टोक लाइव इम्प्रूवमेंट एक्ट राजस्थान में बन चुका है और किस तरह से नस्ल सुधार हो, उसकी व्यवस्था है। दूसरा कानून इस सदन में पास किया गया था जानवरों की बीमारियों को कन्ट्रोल करने का, जो पास हो चुका है और राजस्थान में लागू है। अब यह तीसरा बिल है, जिसके जरिये वे संस्थाएं जिनमें कुछ लूली, लंगड़ी और बेकार गायें और जानवर जो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों ने बनाई हैं और उनको पिंजरापोल में रखते हैं उनका शुरू से यही मकसद था। इस प्रकार का बिल जो यहां पर लाया गया है और जो इसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने की बात है उसके लिये यह कहा जाता है कि यह इनिशियेटिव पब्लिक की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो गौशालाएं चलाते हैं आना चाहिये'। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका मकसद भी यही है कि सुधार को अपनावें। अब यह कहा जाता है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ही आवश्यक है। हमें यह अभी मालूम नहीं है कि कौन कौन से लोग हैं और वे कहां से पैसा लाते हैं और कहां से पैसे आता है, किस तरह से उस पैसे को खर्च किया जाता है और कितना पैसा इस पर्पज़ में लगता है। अगर यह निश्चित रूप से सरकार को और विभाग को इन्फोर्मेशन नहीं है तो वह काम किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है ? इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जावे और रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर करेगा और उसके बाद में जिस तरह का खर्चा और जिस काम के लिये वह खर्चा किया जाता है उसकी पूरी व्यवस्था रहे और पूरा पूरा अकाउन्ट मेन्टेन रखा जावे, इसको देखने का मौका हम लोगों को और दूसरे किसी भी व्यक्ति को मिल सकेगा। इसके लिये यह व्यवस्था की गई है। खास तौर से और जब कानून बनाते हैं तो उसको कामयाब बनाने के लिये और इम्प्लीमेंट करने के लिये कानून में पनिशमेंट का प्रोविजन भी रहता है। इसलिये इसके लिये क्लॉज़ है। जब हम यह चाहते हैं कि गांवों में पशुपालन का काम तेजी से हो और पशुपालन करने वालों का विकास हो तो यह तभी हो सकता है जब हम उनके ब्रीड को सुधारें और लोगों के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठावें यह तभी उठा सकेंगे जब उनको अच्छे २ सांड मिलेंगे और उनकी योजना को, उनकी गौशालाओं को सरकार की तरफ से योगदान देते रहें और टैक्निकल एडवाइज़ देते हुए ठीक तरह से चलाएं। हमारे यहां अभी तक १६० गौशालाएं हैं। उनकी फैडरेशन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। उसने इस बिल को देखा है और इस बिल को पसन्द किया है और वे इस बात को चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होकर काम अच्छी तरह से चले। इस योजना के अन्तर्गत २०-२२ गौशालाएं आईं और उनको आर्थिक रूप से मदद दी है। जिन्होंने कई बछड़े और सांड पैदा किये हैं और उनका उपयोग हुआ है और उन्होंने वे गांवों में दिये हैं। इसलिये इसकी आवश्यकता है और करीब करीब एनिमल हस्बेन्ड्री क्षेत्र में दो कानून बनाए हैं। जो कॉमर्शियल लाइन में मेले लगते हैं उसके लिये अलग से कानून में इसी अधिवेशन में या दूसरे अधिवेशन में पेश करूंगा और उसके बाद एनिमल हस्बेन्ड्री के सारे कानून लागू हो सकेंगे और मैं यह कहूंगा कि पहले भी हमने इसके लिये कानून पास किये हैं, कानून बनते हैं, उसके परिणाम देर से आते हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जितने ज्यादा कानून बनते हैं उतनी ज्यादा खराबियें होती हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका यह मानना हो सकता है और कहना भी हो सकता है और मैं यह कह दूँ कि कानून बना देने से सारे अपराध और चीजें बन्द हो जाती हैं, यह नहीं होता और मैं इसको मानता भी नहीं हूं लेकिन उन अपराधों की रोकथाम न करें तो फिर खुला चलते रहें और जो होता है वह होता रहे, भाग्य-भरोसे बैठे रहें, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूं। जिन्होंने इसका समर्थन किया है और दलीलें दी हैं और जिन्होंने विरोध में जो कुछ कहा है खास तौर पर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सिलसिले में कई दूसरी बातें कहीं है जिनका जवाब इस समय देने की आवश्यकता नहीं है और मौका होगा तब दूँगा। लेकिन मैं इतना निवेदन कर देना चाहूंगा कि इस बिल की बहुत आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी इसको पास करना चाहिए। माननीय सदस्यों ने सिलेक्ट कमेटी में भेजने या पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजने का प्रस्ताव किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यहां हैं नहीं, इसलिए दोनों प्रस्ताव साथ ही मतदान के लिए लिये जावेंगे।

प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला और श्री मूलचन्द डागा ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लेने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार कर लिया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में व्यवस्था की गई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन "As soon as may be possible, but not later that one year, after this Act comes into force, there shall be established in the State of Rajasthan a Federation to be called The Rajasthan State Gaushala Federation.'

The Federation shall consist of the prescribed number of members elected by the trustees of the Gaushalas of the State in the prescribed manner at a meeting specially held for the pupose.

Until the establishment of the Federation under this section the Rajathan Pinjarapole Gaushala Federation, Jaipur, which has been registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act XXI of 1860), as adopted to Rajasthan, shall be the Federation for the purposes of this Act." इसमें यह बात तो ठीक है कि हम फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट करें । लेकिन फेडरेशन के फन्क्शन्स क्या होंगे ? इसमें इसके कहीं पर भी फन्क्शन्स नज़र नहीं आये हैं । मैं माननीय कृषि मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि फेडरेशन के फन्क्शन्स क्या होंगे ? नं० १, नं० २ फेडरेशन चुनी हुई संस्था होगी और उसका निर्माण एक साल के अन्दर अन्दर किया जावेगा और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं और फेडरेशन का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जयपुर का पिंजरापोल फेडरेशन काम करेगा । मैं निवेदन करूंगा उनसे और मैं समझता हूं कि वे इससे सहमत भी हो जावेंगे क्योंकि यह कोई कन्ट्रोवर्शियल मामला नहीं है इस फेडरेशन का चुनाव तुरन्त करा लिया जाय क्योंकि आखिर ऐसा नहीं है कि यह बिल आज पास हो जायगा और कल से लागू हो जावेगा, लेकिन फेडरेशन को तो लागू किया जा सकता है । यह तो डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल के खिलाफ होगा कि किसी फेडरेशन को यह अधिकार दे दें कि एक साल के अन्दर यह रेगुलेट किया जावेगा । इसलिए मैं इस प्रोविज़न का विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और जब तक फैडरेशन के इलेक्शन्स न हों कानून का इम्प्लीमेंटेशन रोका जा सकता है, इनके जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराये जा सकते हैं; बाकी की गौशालाओं के लिए बाद में करेंगे तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं. इन्फ्लुएन्स आ सकते हैं । इसलिए फेडरेशन के फन्क्शन्स क्या होंगे, इसका क्लैरिफिकेशन वे करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ३ के सिलसिले में फेडरेशन के बारे में बातें कहीं । मैं उनकी और अन्य माननीय सदस्यों की सूचना के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह मुद्दा उठाया है कि फेडरेशन के क्या फन्क्शन्स होंगे ? क्लॉज़ ३ में फेडरेशन के फन्क्शन्स नहीं हैं, किन्तु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत एक सोसाइटी का निर्माण किया गया है । उनके उस विधान में लिखा है, उसमें फंक्शन्स निर्धारित कर लिये । वे फन्क्शन्स सरकार के द्वारा दिये गये हों, यह बात नहीं है । वह सब ही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बोडीज़ का मिला जुला फेडरेशन है। क्या वह काम करेगा, जो गौशालाएं हैं उनसे क्या आशायें करते हैं ? यह सब उनका जो विधान है उसमें दिया हुआ है।

फेडरेशन चुना हुआ बनेगा, वह मिली जुली संस्था है सारे राजस्थान की गौशालाओं की। अब तक हमने इसका उपयोग किया है और आगे भी करना चाहते हैं। राजस्थान की गौ-संवर्धन कौंसिल बनी हुई है ? फेडरेशन का नुमाइन्दा हमारी कौंसिल का नुमाइन्दा होता है और हिन्दुस्तान में हर स्टेट का फेडरेशन है, उसमें से एक एक मेम्बर उस हिन्दुस्तान

१. ४८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

की कौंसिल में जाता है। वे सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं और किस प्रकार से विकास किया जाय और सुधार किया जाय ये बातें वे समय समय पर इन कौंसिलों के जरिये से भारत सरकार और राज्य सरकार के सामने रखते हैं। ये इसके फन्क्शन्स हैं। एक गौ संवर्धन वीक भी राजस्थान और हिन्दुस्तान में मनाया जाता है, सरकार पैसा भी देती है। यह फेडरेशन सारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, कस्बों में बनाने के लिए है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसके कानूनी फन्कशन्स क्या हैं ? वे इन्डिपेन्डेन्टली जो चाहेंगे वह करते रहेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कानून में कोई फन्शक्न्स नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह फिर क्यों रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए कि गौ-संवर्धन की एक्टीविटीज़ ठीक तरह से चलें और उसमें जन सहयोग हो। उस फेडरेशन को हम कानूनी रूप देना चाहते हैं, रिकॉग्निशन कानूनी रूप में देना चाहते हैं, ताकि वे टेक्निकल सलाह ले सकें और सही दिशा में वे आम जनता के हित का काम कर सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इस फेडरेशन को पॉवर्स हैं या नहीं ? अकाउन्टस रेगुलेशन, फाइनेन्शियल हैल्प, चैकिंग इन्सपेक्शन इत्यादि....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने बता दिया कि राज्य सरकार पैसा देती है। गौ संवर्धन वीक मनाने के लिए सरकार फेडरेशन को देती है और फेडरेशन गौशालाओं को देती है। एक तो उनके हिसाबों को कलेक्ट कर सके, उनको लाकर दे सके।

श्री भैरोंसिंह : ये अधिकार आप इस कानून के अन्दर तो लाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके विधान में प्रोवाइडेड है इसलिये हमारे कानून में रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I think the Hon'ble Minister is not correct on the position.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): तो क्या इस तरह से दो दो फेडरेशन चलेंगे; एक तो सरकार का होगा, दूसरा प्राइवेट ? एक तो प्रान्तीय स्तर पर बना हुआ

Page No.59

(डॉ चन्द्रकला)

है क्या वह भी चलेगा और साथ ही सरकार का भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो डिज़ोल्व हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाय ।

जो पक्ष में हों 'हां' कहें

जो विपक्ष में हों 'ना' कहें

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता ।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

(पुनः 'हां-नां' के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले 'एज़' की लोबी में व 'ना' पक्ष वाले 'नोज़' लोबी में जावें ?

[विभाजन के अनुसार "हां" पक्ष व "ना" पक्ष के सदस्यों की सूची :]

'हां पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फार खां

श्री आबिद अली

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

डॉ० बहादुरसिंह

श्री भीमसेन

श्री भोगीलाल पंड्या

श्री चन्दनमल वैद

डॉ० चन्द्रकला

श्री दलीपसिंह

श्री दौलतराम सारण

श्री देवा गिरासिया

श्री धन्नालाल हरित

श्री गोरधनसिंह केन

श्री हंमिया

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

श्री हजारी

श्री जयचन्द मोहिल

श्री जयसिंह रानावत

श्री जेठमल

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्री किशनसिंह बट्टड़

श्री लल्लूराम

श्री मांगीलाल

श्री मूलचन्द डागा

श्री मोतीलाल

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री फूला

श्री पी. के. चौधरी

श्री पूनमचन्द बिश्नोई

श्री रामचन्द्र

श्री रामदेवसिंह

श्री रामकिशोर व्यास

श्री रामलाल बंसीवाल

श्री सहदेव

श्रीमती सतवंत कौर

श्री शिवपतसिंह

श्री शीशराम ओला

श्री सोहनलाल भटनागर

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री श्रीमानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्रीमती सुमित्रादेवी

श्री तेजाराम गहलोत

श्री तेजपाल

'ना' पक्ष

श्री अनूपसिंह

श्री अर्जुनदास

श्री बालमुकन्द

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री बृजेन्द्रपाल

श्री चन्दरसिंह

श्री दलपतसिंह

श्री गज्जा

श्री जगदीशप्रसाद

श्री कालूराम

श्री लादूराम

श्री मदनसिंह

राजा श्री मानसिंह

श्री मोगजी

श्री मोहरसिंह

श्री मुरलीधर व्यास

रावल श्री नरेन्द्रसिंह

श्री प्रभुलाल पुरोहित

श्री पृथ्वीराज

श्री रघुवीरसिंह

श्री रिद्धीचन्द

रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री शिवचरणदास

श्री श्रीराम बासोतिया

श्री सूरजमल

श्री वीरका

श्री बेनाराम गहलोत]

श्री उपाध्यक्ष : House to order.

Ayes 45

Noes 28

(करतल-ध्वनि)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉजेज़ ४, ५ और ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४, ५ और ६ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री पी० के० चौधरी ।

२ म० प०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move that in clause 7, sub-clause (1) delete the following words:—

"at any time, either of his own motion or on the application of any person claiming to have an interest in the Gaushala or..."

(श्री पी० के० चौधरी)

After deleting these words, the clause will run like this :—

" The Registrar may when required to do so by the Director or by the Federation, hold an inquiry to ascertain etc. etc." उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गौशाला बिल लाया गया है इसलिये लाया गया है कि गौशाला की व्यवस्था ठीक हो और जो गौशाला आज यहां पर चलती हैं उनका एक अच्छा स्टेन्डर्ड हो । To bring all of them up to a pricular standard. लेकिन इसके साथ साथ हम इन्स्टीट्यूशन्स भी डवेलप करते हैं । गौशाला फेडरेशन जो क्लॉज ३० में रखा गया और मैं समझता हूं कि हमारी मंशा यह है कि हम एक फेडरेशन जैसी एक संस्था कायम करें और वह संस्था अल्टीमेटली गौशाला की सभी कन्ट्रोल वगैरह मेन्टीनेन्स का स्टेन्डर्ड मेन्टेन करती है या नहीं करती है, उन सबको गाइडेन्स देते रहें और गौशाला का स्टेन्डर्ड क्या होना चाहिये, मिनिमम इसका लीगल प्रोविजन हमने इसमें रखा है । अकाउन्ट्स का ऑडिट हो, प्रोपर्ली वह मेन्टेन हो, अमुक स्टेन्डर्ड हो ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो ख्याल यह है कि इसके सिवाय गवर्नमेंट का इरादा यह नहीं हो सकता, सदन का भी नहीं हो सकता कि हम गौशाला के day to day के कामों में कोई अन्नेसेसरी इन्टरफियरेन्स करें या गौशाला चलाने वालों को हैरेसमेन्ट हो किसी तरह का ।

अब इसमें जो प्रोविजन है एन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट करने का, जिसको मैंने डिलीट करने को कहा है, इसमें रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया कि on his own motion, if he wants to make an enquiry, or on an application by a person claiming an interest in the Gaushala..... अब क्लेम उसका राइट है या रौंग है, इसकी इन्क्वायरी करने का कोई प्रोविज़न नहीं है । कोई भी यह कह दे कि मेरा फलां गौशाला में इन्टरेस्ट है इसकी एन्क्वायरी करनी चाहिये तो इसमें रजिस्ट्रार इन्क्वायरी कर सकता है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस तरह का प्रोविजन रखने से क्या होगा ? आज जो चलते हैं, अक्सर गौशालाओं में भी मन मुटाव होता है उनके चलाने वालों में तो कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से एक दूसरे से नाराज़ है तो कोई भी आपको एप्लीकेशन दे देगा और उसके ऊपर से रजिस्ट्रार इन्क्वायरी कर सकता है । और कोई भी चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन कोई प्रोफिट के लिये चलाता नहीं है ।

हिन्दुस्तान में जो चलाई जाती हैं गौशालाएं वे रिलीजियस भावना से चलाते हैं, गाय की नस्ल सुधारने की भावना से नहीं चलाते । यह तो काम सरकार ने अपने हाथ में ले रक्खा है । अब उसमें कोई गड़बड़ी न हो, जिस भावना से लोगों ने पैसा डोनेट किया है, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर; उसका प्रबन्ध करने वालों की तरफ से गड़बड़ी न हो, इसके लिए यह कानून बना रहे हैं । इसमें हम एक परम्परा अब डाल सकते हैं कि सरकार उनका एक मिनिमम स्टेन्डर्ड प्रेस्क्राइब कर दे जो इसमें किया है । इसमें क्लॉज़ ५ में हमने प्रोविजन रक्खा है कि जो भी गौशाला है सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी । यह मेन्डेटरी है ।

(श्री पी० के० चौधरी)

इसके बाद क्लॉज़ १० में इन्स्पेक्शन का भी प्रोविजन रक्खा है। रजिस्ट्रार किसी भी व्यक्ति की मार्फत एन्क्वायरी करा सकता है, ऑथोराइज्ड स्टाफ के मार्फत। यह जरूरी नहीं है कि गौशाला रजिस्टर्ड हो या न हो। अब इन्स्पेक्शन किस बात का करेंगे? इस बात का कि कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक गौशाला चल रही है या नहीं? तीसरी बात क्लॉज़ ११ में है कि कोई भी गौशाला जो कि क्लॉज़ ५ के अन्डर में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराये या कोई भी गौशाला इस कानून में जो प्रोविज़न रखा है अकाउन्ट्स वगैरह मेन्टेन करने के लिए, उनका पालन नहीं होता है तो उसको पेनेलाइज़ किया जा सकता है, और ऐसा प्रोविज़न है। उसके बाद में मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति विशेष के आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा उसमें इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट कराने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से जो क्लॉज़ १० में इन्सपेक्शन का प्रोविज़न है उसी के अन्डर अगर किसी ने गौशाला को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो पेनल्टी इम्पोज़ की जा सकती है। अगर किसी गौशाला का स्टेन्डर्ड प्रोपर नहीं है तो क्लॉज़ १० में इन्सपेक्शन के मातहत आ जाता है। लेकिन फिर भी क्लॉज़ ७ में इन्क्वायरी कराने की क्या जरूरत पड़ी? मैं समझता हूं कि क्लॉज़ ७ का पर्पज़ सर्व हो सकता है, अगर ऐसा मालूम हो जाये कि किसी गौशाला में काफी गड़बड़ी चलती है तो जो डाइरेक्टर रहता है और डाइरेक्टर को भी मालूम हो कि उसमें गड़बड़ी है तो मेरे अमेन्डमेंट के बाद भी उसको फेडरेशन कर सकता है। मैं मानता हूं कि हैल्दी परम्परा यही रहेगी कि एक दिन ऐसा आ जाये कि डाइरेक्टर को इन्क्वायरी इनिशियेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फेडरेशन खुद ही इस चीज़ को करती रहे और फेडरेशन के पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है, दर्ख्वास्त लेकर। इसलिये मैंने रखा है कि रजिस्ट्रार सुओ मोटो इन्क्वायरी कर सकता है। अगर वह किसी भी व्यक्ति के कहने पर इन्क्वायरी करने लगेगा तो ठीक नहीं रहेगा और जो लोग गौशाला चलाते हैं उनके ऊपर अन्नैसेसरी हैरेस्मेन्ट हो सकता है। डाइरेक्टर का मतलब यह नहीं है कि वह डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी होगा Director includes any person whom Government may appoint for this purpose तो मैं नहीं मानता हूं। एक दलील कही गई है कि डाइरेक्टर को इतना टाइम कहां है कि वह गौशालाओं में इन्क्वायरीज़ इन्स्टीट्यूट करे, लेकिन डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी ही रहे, इसका मतलब यह नहीं है। डेफिनिशन में साफ दिया हुआ है. 'Director' Includes Director annimal husbandry or any person whom the Government may appoint for this pvrpose." तो अगर गवर्नमेंट सैंग्विन है तो उनके लिए एक स्पेशल डाइरेक्टर भी एपोइन्ट कर सकती है 'Any Government servant may be appointed as Director for this purpose' किसी को भी डाइरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना प्रोविज़न होने के बाद जो प्रोविज़न आपने रखे हैं, एक तो मैं समझता हूं कि गौशाला के मैनेजमेन्ट में अन्नेसेसरी हैरेसमेंट करने के लिये गुंजाइश रहती है और कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और उसके कहने पर इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट हो जायेगी। अब आप कहेंगे कि जब इन्क्वायरी होगी तो

(श्री पी० के० चौधरी)

उसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो फिर इन्क्वायरी से क्यों घबड़ाते हैं ? यह घबड़ाने की बात नहीं है। पर हो सकता है कि जब इन्क्वायरी होगी तो उनसे कहा जाये कि फलां कागज़ लाओ, फलां रिटर्न लेकर आओ; तो कोई भी आदमी इन्क्वायरी के लिए जाता है तो स्टाफ के आदमी डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। हमारा मकसद नहीं है कि जो लोग धार्मिक भावना से प्रेरित होकर या चैरीटेबल डिज़ायर से प्रेरित होकर गोशाला चलाते हैं उनको किसी तरह के हेरेसमेन्ट में हम डालें। तो यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत रजिस्ट्रार को सुओ मोटो का अधिकार देने के। तो मैं समझता हूं कि मेरा जो अमेन्डमेन्ट है और जिस स्प्रिट से मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है उसको देखते हुये मैं मानता हूं कि मिनिस्टर इन्चार्ज उसको मन्जूर करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७ के सब-क्लाज़ (१) में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है यह शब्द "At any time" से लेकर "Gaushala" तक हटा दिये जायें और उसकी दलील उन्होंने यह दी कि इसके अन्दर रजिस्ट्रार सुओ मोटो इन्क्वायरी कराये या कोई आदमी शिकायत करे और उसके कहने पर इन्क्वायरी करायें, ऐसा करने से गौशाला का जो प्रबन्ध चलाने वाले हैं उनको अन्नेसेसरी परेशानी हो सकती है, यह दृष्टिकोण है उनका। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्य को और दूसरे सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ४ तरीके से इन्क्वायरी हो सकती है। सुओ मोटो रजिस्ट्रार कर सकता है, दूसरे वह आदमी जो कि गौशाला से किसी तरह से सम्बन्धित है और उसमें कुछ इन्टरेस्ट रखता हो वह आदमी गड़बड़ी देखता है और उसकी सूचना देता है तो इन्क्वायरी हो सकती है, तीसरे डाइरेक्टर के कहने पर और चौथे किसी फेडरेशन को मालूम हो कि किसी गौशाला का काम ठीक नहीं चलता है और वह उन्हीं मामलों को जिनका विगत इसमें दिया गया है 'ए' से लेकर 'एफ' तक में है, ऐसा मामला जैसा वह देखता है और उसके विपरीत मामला हो....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्लॉज़ १० इन्स्पेक्शन में आ जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला ऐसा है कि जो इन्स्पेक्शन में नहीं आता है। अगर गौशाला की गड़बड़ियों के बारे में यह जानकारी देता है और उसके बारे में इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता है तो किस तरह से वह इन्क्वायरी की जाये और कैसे फाइनेलाइज़ किया जाये वह इस क्लॉज़ में दिया गया है। फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य चाहते हैं कि सुओ मोटो को हटा दें क्योंकि अगर किसी आदमी के नाहक परेशान करने की नीयत होगी तो शिकायत कर देगा और इन्क्वायरी हो जायेगी और इससे परेशानी हो जायेगी। इन शब्दों को हटा दें तो फिर सूचना देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो फिर कैसे गौशालाओं की गड़बड़ियां ठीक हो सकती हैं ? इसलिए जो उन्होंने एक दृष्टिकोण, जो उनका है कि परेशानी हो सकती है तो वह तो इन्क्वायरी के टाइम पर होती है। दूसरा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दृष्टिकोण ऐसा है कि जिनको सूचना है और जानकारी है और उसकी वाजिब तौर से सूचना देते हैं तो ठीक है, इन्क्वायरी हो जायेगी और अगर गलत पाये जाते हैं तो उसका फल उन्हें मिलेगा। तो इनको हटाना दूसरे दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होगा। यह साधन रहने चाहिए। इन्क्वायरी करने के बाद में प्रोपर तरीके से नोटिस दिया जायेगा और जो कार्यवाही करने की होगी की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसे वह वापिस ले लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन जो श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ ७ पर रखा है वह वापिस लेने की उन्हें आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment,

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लाज़ ८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ८ स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ८ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लाज़ ९, डा० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : Not moving.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Not moving.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११, डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के क्लॉज़ ११ में वे शर्तें हैं जिनके अनुसार जो दी हुई शर्तें हैं उनका पालन नहीं करें तो इस तरह का दण्ड दिया जायगा।

(डॉ० चन्द्रकला)

वास्तव में देखा जाय तो यह दण्ड बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन यह दण्ड किनके ऊपर पड़ने वाला है और किन परिस्थितियों में पड़ने वाला है, उसको देखते हुए यह थोड़ा ज्यादा लगता है। यह मैं मानती हूं कि प्रवर समिति ने पहले ही इसमें आर्थिक दण्ड में बहुत कुछ कमी कर रखी है, उसके बाद ही मैंने यह संशोधन दिया है।

"उप खण्ड (१) में :

'One hundred' के स्थान पर 'fifty' शब्द रखा जाय।

उप खण्ड (२) में :

five hundred के स्थान पर 'One hundred' शब्द रखे जायें।

उप खण्ड (४) में :

'twenty' के स्थान पर 'five' शब्द रखा जाय।"

हम सभी जानते हैं और इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है कि गौशालाएं धार्मिक भावनाओं के आधार पर चलाई जाती हैं और धार्मिक आधार पर कुछ चन्दे से चलती हैं और कुछ समय समय पर दान मिलता है उनसे चलती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, यह पहली चीज़ है। कुछ गौशालाएं ऐसी भी हैं कि उनके पास चल अचल सब तरह की संपत्ति होती है और वास्तव में देखें तो गड़बड़ भी वहीं होती है जहां पर कि सब साधन होते हैं। लेकिन कानून सब के ऊपर समान रूप से लागू होता है। जिनके पास साधन होंगे उन पर भी लागू होगा और जो गरीब गौशालाएं होंगी उन पर भी लागू होगा। मामूली साधारण चलने वाली गौशालाएं हमारे प्रान्त में लगभग १७५ हैं जिनके संबन्ध में ऐसा होगा कि जिनकी व्यवस्था मामूली होती है और कानून के सारे कायदों को खाना पूरी नहीं कर सकेंगे। उसमें यदि त्रुटि किसी तरह की रह जायगी तो इस तरह की पैनेल्टी देनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूं, इस पृष्ठभूमि को देखने के साथ कम कर सकें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज़ १२ पर भी मूव कर दें।

डॉ० चन्द्रकला : मैं मूव नहीं कर रही हूं उसको।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने क्लॉज़ ११ में जो अलग अलग क्लॉजेज पैनेल्टी की दी हैं उनके बारे में यह संशोधन पेश किया है कि ५००) रु० के बजाय १००) कर दिये जायं, २० की जगह ५ कर दिये जायं और १००) रु० की जगह ५०) रु० कर दिया जाय। उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया है कि ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिये यह पैनेल्टी कम होनी चाहिये। यह एक दृष्टिकोण और एक व्यू उन्होंने रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर जो कानून बनाते हैं, और उस कानून की यह मन्शा है कि कुछ बातें जो कानून में दर्ज हैं उनका पालन किया जाय, और पालन करवाने के लिये अगर नहीं की जायं तो उचित मात्रा में दण्ड दिया जाय; तो भविष्य

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में पालन करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि पैनेल्टी जो रखी गई है उसमें सिलेक्ट कमेटी ने ऑलरेडी जो कुछ कमी की जा सकती थी, उस पर विचार करते हुए सुना और परिस्थितियों को देखते हुए आंकड़ों को कम किया है। मैंने भी इसको स्वीकार किया है। परन्तु उसको ज्यादा-कम करके कानून की जो मन्शा है उसको निर्जीव कर दिया जाय, वह बात समझ में नहीं आती है। सारी बैकग्राउन्ड और सारी चीजों को देखते हुए जो कुछ इस बिल में रखा गया है वह उपयुक्त है। इसके बारे में रखते हैं उनसे बातें करने के बाद उपयुक्त जो बात है सबको रखा गया है। इसलिए माननीय सदस्या से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें, और इसके मूल क्लॉज़ को स्वीकार किया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ११ व १२ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ११ व १२ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १३।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ और सब-क्लॉज़ (२) में जो अभी है उसको मैं चाहता हूं कि हटा दिया जाय, और उसमें इस प्रकार से यह सब्स्टीट-यूट कर दिया जाय :

"(2) All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have affect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modiffication or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मैंने इस धारा में इस तरह से रखा है कि जो रूल्स इस कानून के तहत बनाये जायं वे रूल्स इस सदन के सामने आयें और माननीय सदस्यों के सामने रहें, और उनमें जो कुछ एमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो, सदन की जैसी इच्छा हो,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह एमेंडमेंट करने का सदन के माननीय सदस्यों को मौका मिले। इसी दृष्टिकोण से यह एमेंडमेंट रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Minister has erupted my amendment, so I don't want to move

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १३ पर श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १४,१५, और १६ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज १४ १५, व १६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, शोर्ट टाइटल, प्रिएम्बल आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८, को पारित किया जाय।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न यह है कि आज ही तो संशोधन यहां हुए हैं और आज ही इसको कैसे पारित किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गौशाला बिल, १६५८, as reported by the Select Committee को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. २८. म. प.

राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १६५८

(विचारार्थ लिया जाना)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीज व बीज-पौध विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके विरोध में मैं कुछ निवेदन करूंगा।

Page No.68

(श्री शिवचरणदास)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी सरकार की करीब करीब आदत सी पड़ गई है कि किसी न किसी रूप में किसी प्रकार से जनता के ऊपर नियन्त्रण लागू करें ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ की आदतों का मसला है ।

(हंसी)

श्री शिवचरणदास : जनता के ऊपर किसी न किसी प्रकार के नियन्त्रण लगाकर उनको किसी प्रकार से संकीर्णता के अन्दर लायें और उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर किस प्रकार हमारी सरकार दबाव डाल सकती है, यह आये दिन के इन विधेयकों और संशोधनों से जो कि हमारे सामने है, स्पष्ट है, साबित है । यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह एक सबसे बड़ा हमारे संशोधन के प्रतिकूल विधेयक है जिससे कि कोई भी नागरिक जो अपनी इच्छा के अनुसार काश्त करना चाहता है, खेती करना चाहता है और किसी ढंग से अपने आर्थिक संकट को मिटाने के लिए किसी प्रकार से अपनी सहूलियत के अनुसार वह अपने जीवन-यापन के लिये कोई साधन जोड़े उसमें वह बहुत बड़ी बाधा यह विधेयक है । मुझे पता नहीं चलता, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्यों हमारी सरकार इस विधेयक को जरूर समझती है । यह कोई नहीं चाहता कि उस के यहां पैदा होने वाली चीज़ कमजोर या खराब पैदा हो । मानव की नेचर है कि प्राकृतिक रूप से वह अपने लिये हमेशा हर चीज़ को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जीवनयापन का सबसे पहला सिद्धान्त है । जिसके लिये कोई व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि खराब बीज बोऊं और किसी प्रकार हानि या नुकसान हो, जिसकी सबब से मुझे उसके उत्पादन में कमी महसूस हो तो फिर सरकार को ऐसी किस प्रकार की चिन्ता पड़ी है कि प्रत्येक के नागरिक जीवन में इस प्रकार से बाधक बने । मैं सरकार के आज तक के जो विधेयक हैं या अन्य किसी प्रकार के कानून जो हमारी सरकार ने लागू किये हैं उनमें यही भावना पाता हूं ।

मैं सबसे पहले आज विकास की तरफ जो सरकार ज्यादा जोर देती है, उसको लेकर निवेदन करूंगा कि आज जो विकास योजनाओं के लिये सरकार की भावना है, जगह जगह विकास खंड खुले हैं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य हैं उनमें किस प्रकार से सरकार फलीभूत होती है । जहां तक विकास का सवाल है, हमारी सरकार का यह विचार अच्छा हो सकता है या अच्छा है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज कई जगहों से शिकायत आती है कि इस विकास योजना के अंतर्गत जो बीज वितरित किया गया है वह बिल्कुल खराब है । मैंने स्वयं सदन में पिछली बार यह प्रश्न पूछा था, लेकिन हमारी सरकार जब प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होती है तब गलत उत्तर देकर टालने की कोशिश करती है; लेकिन गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करती । कई बार अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में प्रश्न पूछे, लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर अच्छी तरह से नहीं दिया गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं और आप

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न पर जा रहे हैं जो पहले पूछे गये हैं। मेरी व्यवस्था है कि आप उन प्रश्नों पर न जाय।

श्री शिवचरणदास : ये प्रश्न इससे सम्बन्ध रखने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री शिवचरणदास (जारी) : मैं निवेदन कर रहा था कि जो बीज अब तक सरकार की ओर से जगह जगह वितरित किया गया है उसके बारे मे यह शिकायत रोज़ आती है कि जो बीज दिया गया है वह खेत में उगा नहीं या आधा उगा या बीज भंडार में गबन व घोटाला हुआ है। इस प्रकार की कई चीजें हमारे सामने आती हैं, फिर भी सरकार आगे बढ़ कर प्रत्येक नागरिक को मजबूर करने के लिये आगे कदम बढ़ा रही है। मैं उसके लिये और निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ी बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रत्येक नागरिक के हाथ में जीवनयापन के साधन हैं, उनका केन्द्रीकरण करके उन पर बंदिश लाना चाहती है। मैं समझता हूं सरकार की यह नीति उचित नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ निहित है।........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य यह नहीं बता पाये कि वे चाहते क्या हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी इसी प्रतीक्षा में हूं। मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि विधेयक के संदर्भ में बोला जाय। लेकिन इसमें विकेन्द्रीकरण वगैरह आ गया है।........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहते क्या हैं?

श्री शिवचरणदास : मैं यह चाहता हूँ कि आप नागरिकों पर इस प्रकार का दबाव न डालें जिससे उनका जीवन बंदिश में पड़ जाय और वे आपकी तरफ मुंह ताकते रहें। हम इस प्रकार का विधेयक नहीं चाहते। इसके लिए मैं नज़ीर पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विधेयक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि परम्पराओं का प्रश्न है। कई बार माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया है कि जब कोई विधेयक विचारार्थ लिया जा रहा हो तो उसकी नीति, पॉलिसी या उसमें जो और चीजें हैं उनके आधार पर बात करें तो समझ में आवे। लेकिन अपना विधेयक तो कहीं रहता है और आप कहीं और चले जाते हैं। मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं।

श्री शिवचरणदास : इस प्रकार की नीति सरकार बरत रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नीति रात दिन होती रही है। इस बारे में कट मोशन आवें उस समय कहिये।

श्री शिवचरणदास : तब तक तो यह पास हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है

(श्री उपाध्यक्ष)

कि इस पर आपको नहीं बोलने दूंगा, विधेयक के सम्बन्ध में बोलें। मुझे भी आप सहयोग दीजिये, ऐसी आशा करता हूं। जितना सहयोग मैं आपको देता हूं उतने ही सहयोग की अपेक्षा मैं भी आपसे करता हूं।

श्री शिवचरणदास : मैं भी यह अपेक्षा करता हूं कि चेयर की तरफ से ज्यादा हस्तक्षेप न हो।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था पर आक्षेप नहीं होता है।

श्री शिवचरणदास : हमारी सरकार ने बताया है कि बीज वितरण सहकारी समितियां, पंचायतों और कृषि विभाग के द्वारा हो। इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि इससे खराब बीज नहीं मिलेगा और आगे जाकर बताया है कि उसी बीज को काम में लिया जायगा जो सरकार देगी और उसका वितरण करने का तरीका भी सरकार निश्चित करेगी। उसने वितरण करने का तरीका रखा है उसी से लेना पड़ेगा। उसके विपरीत यदि दूसरे तरीके से, किसी ढंग से बीज लायेंगे तो उसके लिये सज़ा रखी गई है और उसके लिये एक असिस्टेन्ट रखा है जो वख्त–ब–वख्त पर जांच करेगा। यदि किसी के पास उसके खिलाफ बीज पाया जाता है तो वह उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ये सारी बातें इसमें हैं। लेकिन एक जगह एक तरीके पर सरकार बीज वितरण करेगी या काश्तकार को बीज लेने जाना पड़ेगा और कितने काश्तकार उस मौके पर जायेंगे, उनको बीज मिलेगा या नहीं; ये सब दिक्कतें होंगी। हर रोज़ हर काम में जो दिक्कत आ रही है उसके लिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि मान लीजिये १०० आदमी गये और उन्होंने बीज मांगा, किसी कारणवश किसी कर्मचारी से व्यक्ति विशेष की अनबन हो गई और उसने टालना चाहा तो साधारणतः यह उसके हाथ की बात होगी, वह टाल सकेगा और बीज उसको समय पर नहीं मिलेगा। फिर सबसे बड़ी गड़बड़ यह होगी कि यदि किसी को बीज मिल गया और उसने बीज बोया उसको बाड़ी पर या कीमत पर देता है तो वह ठीक है, लेकिन आज हमारे प्रत्येक किसान के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी है, उपाध्यक्ष महोदय, हर किसान कीमत देकर अनाज नहीं खरीद सकता और जब कीमतन नहीं खरीद सकता तो वह बाड़ी पर उस बीज को लेता है और फसल के समय पर वापिस देता है। हमने कई जगह वापिस देते देखा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बीज दिया है उसके वापिस भुगतान के समय कई जगह रोड़े अटकाये जाते हैं और कहा जाता है कि जैसा बीज दिया वैसा नहीं है, इसमें मिलावट है इसलिये नहीं लेते। कई काश्तकारों के सामने ऐसी बातें आती हैं बल्कि ६० या ५० की कीमत के बजाय (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सौ सौ रुपये लिये हैं।

श्री शिवचरणदास : दो सौ रुपये लिये हैं, लेकिन मुझे जो कुछ कहना है वह कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ भी फरमावें, मुझे ऐतराज नहीं; लेकिन मुझको ऐतराज सिर्फ वहां होता है जहां विषयान्तर कर जाते हैं। फरमाइये। तो हमको समय के ऊपर....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप तो अपने दल की नीति बताइये ।

श्री उपाध्यक्ष : दल की नीति भी नहीं, दल और दलदल नहीं ।

श्री शिवचरणदास : दल की नीति भी बता दूंगा । समय के ऊपर बीज नहीं लिया जाता है और उसकी कीमत आंक दी जाती है । अगर गरीब काश्तकार समय पर कीमत अदा नहीं कर सकता है तो उसमें ब्याज जोड़ दी जाती है और इस प्रकार उनके सामने एक आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है । इसके अलावा बीज के लेने में भी कई प्रकार के रोड़े अटकेंगे । सरकार को इससे क्या फायदा पहुंचता है, जिससे सरकार इसको जबरदस्ती खरीदवाना चाहती है....

श्री पी० के० चौधरी : There is no quorum, I suppose.

श्री उपाध्यक्ष : But the speech is just befitting the absence of quorum.

श्री शिवचरणदास : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमारे सामने आई है ....

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री नाथूराम मिर्धा : खत्म हो गया भाषण आपका या चालू है ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री शिवचरणदास : आज हमारे सामने नित्य प्रति सरकार की तरफ से, समय समय पर कर्मचारियों की तरफ से जगह जगह कई प्रकार की किसानों के लिये जो आपत्ति आती है वह आपत्ति इसमें आकर खड़ी हो जायगी । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसा करना चाहिये कि अगर अच्छी चीज़ वितरित करनी है, अच्छा बीज देना है, तो सीधे साधे तरीके से सरकार जगह जगह अपनी दुकानें लगाये । क्यों किसानों को मज़बूर किया जाय कि हमारी दुकान से ही चीज़ खरीदो सरकार को चाहिये कि अपनी दुकान लगाये, अच्छी चीज रखे, समय पर लेवे और समय पर देवे । जब आपकी अच्छी दुकान चलेगी, अच्छी चीज रहेगी तो स्वाभाविक तौर पर हर कोई काश्तकार बीज ले जायगा । बीज के लिए कानूनी पाबन्दी लगा देना अच्छा नहीं है कि अन्य किसी जगह से बीज खरीद नहीं सकते, चाहे वह बीज अच्छा हो, आपके यहां से वह बीज अच्छा रखता है, ऐसी हालत में अगर आपके यहां से नहीं लेना चाहता है तो सरकार उसको क्या मजबूर करे ? सरकार को तो सीधे-सादे व्यापारी ढंग से आना चाहिये, उसको दुकान लगा देनी चाहिये; जो कोई चाहे, वह वहां से ले आवे । मैं आप से निवेदन करूं कि पशु–नस्ल का आज हमारे सामने उदाहरण है, जगह जगह पाबन्दी लगाई गई है कि एक तहसील में एक प्रकार की नस्ल रखी जायगी । मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय कृषि मंत्री जी ध्यान दें, उन तहसीलों के नागरिक नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हमारे यहां नस्ल रखें । इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि उपयोगी साबित नहीं होते हैं, वहां की भूमि वगैरह को देखते हुए, फिर भी यह थोप दिये जाते हैं । नतीजा यह हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि या तो कानून के द्वारा मजबूर करके अपने सिद्धान्त को चलाइये या जो चीज़ उपयुक्त है, वह उस ढंग से दें कि हर

(श्री शिवचरणदास)

आदमी उसको लेने के लिए तैयार हो जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर अच्छी चीज़ हम हर जगह चलाना चाहते हैं तो ऐसी चीज के ऊपर सरकार पाबन्दी न लगाये और केवल अपनी जगह जगह दुकान लगाकर उन दुकानों में अच्छी और सस्ती वस्तु रखे, तो अपने आप लोग आपकी दुकान पर आयेंगे और चीज खरीदेंगे। जिस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, उसका मतलब यह होगा सीधे सादे रास्ते पर न चल कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अन्दर बाधक होते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता के खिलाफ है और विकेन्द्रीकरण और जन कल्याण की भावना का विरोध करना है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बिल को वापिस उठा लें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मुझे सुझाव नहीं देने हैं, पर इस बिल का पूर्ण रूप से, सैद्धान्तिक रूप से विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले इस असेम्बली में पेश हुआ, उस पर विचार करके उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी ने जितना समय देकर इस पर विचार किया उतने अर्से में सदस्यों ने भी गांव गांव में जाकर इसके लिए विचार किया और देखा कि इसकी आवश्यकता है क्या? हमारा अनुभव है कि इस बिल के अन्दर जो व्यवस्था है कि इस प्रकार के बीज का रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, थ्योरी, प्रेक्टीकल और कानून में फर्क होता है। अभी शिवचरणदास जी ने कोशिश की थी समझाने की, वे प्रेक्टीकल रूप से बता रहे थे कि जो इसमें डिफीकल्टी है और जो इसमें सबसे बड़ी खराबी आ गई है और वह है कि गवर्नमेंट निश्चित रूप से एक बीज का वितरण करेगी और वही बीज खेतों में बोया जायगा। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो नीति है, वह तो अच्छी नीति है; चाहे गवर्नमेंट का अच्छा बीज़ हो, उससे अच्छी पैदा हो लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि उस बीज को बांटने वाले कौन हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कौन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में मैंने फूड मिनिस्टर साहब का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग और कोआॅपरेटिव फार्मिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हमारे पास इतना स्टाफ है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है कि वहां जो भाषण हुआ है उसका इस भाषण में उल्लेख नहीं होना चाहिए।

श्री मदनसिंह : आयन्दा रेफरेन्स नहीं देंगे। उनके भाषण की पूछ नहीं हो, ऐसे लोग जो बहुत ऊंचे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ का सवाल नहीं है, यहां परम्पराओं का सवाल है। मेरी व्यवस्था परम्पराओं से सम्बन्ध रखती है।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि वे ऊंचे हैं, अच्छे दिमाग के लोग हैं ...

श्री शिवचरणदास (मांडल) : एक ट्रेनिंग सैन्टर खुलवा दीजिये मेम्बर्स के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें ट्रेनिंग का सवाल नहीं है। ये परम्परायें आपकी हैं, आपके सदन की हैं, मेरी व्यक्तिगत नहीं हैं, इनको सबको ही निभाना है।

श्री मदनसिंह : परम्पराओं को प्रत्येक सदस्य निभायेगा। परम्पराओं की वजह से ही हम बहुत बातें कह नहीं पाते हैं, सही चीज नहीं होती है, तो भी परम्पराओं को निभायेंगे । अगर मिनिस्टर का उल्लेख परम्पराओं के विरुद्ध है, तो जनसंघ का कोई सदस्य नाम भी नहीं लेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़ !! माननीय सदस्य मेरे मतलब को समझ नहीं पाये हैं । एक साधारण सिद्धान्त है कि बाहर जो भाषण होते हैं उनको सदन के प्रांगण पर न दोहराया जाय, यह हमारी परम्पराओं और नियमों के आधार पर सिद्धान्त है। उसके प्रकाश में मैंने निवेदन किया है । यह निवेदन नहीं किया है कि नाम न लें ! आप क्रुद्ध न हों, नाराज़ न हों; मेरा मतलब ऐसा नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : If I am not mistaken, what you mean is that these lectures should not be reproduced here, but a Member can make a passing reference.

श्री उपाध्यक्ष : Correc He can make a passing reference, but the speeches made outside should not be reproduced here.

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनका जो मैं रेफरेन्स दे रहा था वह फूड से सम्बन्ध रखता था, एग्रीकल्चर से सम्बन्धित था, बीज और उसके प्रबन्ध से सम्बन्धित था। तो ऐसा भाषण हुआ था, जिसका रेफरेन्स दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास पूरा स्टाफ न हो, कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता। मैं कहता हूं आज भी हमारी गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है, जिस ढंग से कानून बनाते हैं उस ढंग से बीज वितरित नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि एक दुबला-पतला बच्चा है, उसको मोटा ताजा करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको घी भी दिया जाय, दूध भी दिया जाय, दवाई भी दी जाय, जो दुनियां भर की मोटा करने की चीजें हों उन सबको एक दिन में दे दिया जाय । मैं मानता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप किसी तजुर्बेकार से पूछें तो अच्छा रहे ।

श्री मयनसिंह: तो मैं समझता हूं शायद डॉ० साहब को एक दिन में ही सब दवाइयों से यह मोटाई आई है ।

(हंसी)

तो मैं चाहता हूं कानून बने, पर कब बने; जब काश्तकार इतने फ्री हों कि उनके पास ट्रैक्टर्स हों, मोडर्न फार्म हों, सरकार के पास बीज के एक्सपर्ट्स हों जो बीज को देखें, टेस्ट करें, पर आज न काश्तकार को पता है और न बीज वितरण करने वाले एक्सपर्ट्स को पता है। मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी की मिसाल देता हूं। हमारे सामने एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा कि बीज़ के सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि कौनसा अच्छा है, आप ही समझते हैं। ऐसी बात है तो आपके कार्यकर्त्ता हैं, जो वितरण करेंगे, उनको पता नहीं कि इस जमीन में कौनसा बीज अच्छा हो सकता है, उनके जरिये यह नियन्त्रण

(श्री मदनसिंह)

होगा तो यह ठीक नहीं होगा।

जिस काश्तकार को यह आजादी दी, जिस काश्तकार की बैकबोन पर यह गवर्नमेंट खड़ी है, उसको यह आजादी दें कि जो चीज वह खुश होकर बोना चाहे वह बोये, जैसा बीज वह चाहे वैसा बोये। डीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर की स्कीम में यह है कि लोग अपने तरीकों से काम करना सीखें, इस प्रकार के कानून को बनाने से इसमें बाधा आयेगी। कहने को कहा जाता है कि जनता को अपनी इच्छा पर काम करने की आजादी दे रखी है पर मैं कहता हूं जिस तरह कहा जाता है कि ईश्वर ने दाने दाने पर मोहर लगा रखी है उसी तरह आपने दाने दाने पर मोहर लगा दी है कि काश्तकार एक दाना भी हमारे कहे बिना अपनी इच्छा से नहीं बो सकता, खाने का तो सवाल दर किनार, एक दाना बो तक नहीं सकता।

इस प्रकार का नियन्त्रण आप करना चाहते हैं, यह तो तभी हो सकता है जब कि आपके पास एक्सपर्ट्स हों, एक्सपर्ट स्टाफ हो, पर सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि पांच-सात दिन तक यह कानून पास नहीं करें और जितने अधिक डिस्ट्रिक्ट्स के एक्सपर्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनको बुला लें और उनकी बाहर मीटिंग करके उनसे पूछ लिया जाय कि किस प्रकार की जमीन में किस तरह का बीज होना चाहिये, तो वे स्पष्ट कह देंगे कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि जब आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो इस प्रकार का कानून पास कर देना ठीक नहीं होगा। कोई भी आदमी खुशी से अपनी इच्छा के माफिक काम करेगा तो वह काम अधिक अच्छा होगा, यहां कानून लगायेंगे तो लोग चला कर कानून को खत्म करने की कोशिश करेंगे. लोगों को इससे नाराजगी होगी और आपकी स्कीम फेल्योर होगी। तो मैं समझता हूं, इस प्रकार का कानून दस–बारह वर्ष तक नहीं आना चाहिये। राजस्थान में तो क्या पर हिन्दुस्तान में ही मोडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग है, उसमें पूरी तरह नहीं समझ पाये हैं तो पूरी तरह समझे बगैर कानून पास करेंगे तो बाधा आयेगी और खेती में जहां आप उन्नति करना चाहते हैं 'इससे अवनति आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य, इस पर विचार कर लें. उनके सामने रोज़मर्रा कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और वे जानते हैं कि बीच में घोटाला होता है। मिनिस्टर कद्र तब करते हैं जब कि घोटाले बताये जायं, हल्ला मचाया जाय; तब सुनवाई होती है। मैं उन बातों में नहीं जाकर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कहूंगा कि काश्तकारों के पास बीज़ नहीं गया है, लोग-बाग बीच में ही खा गये हैं, इस बात की रिपोर्टें की गई हैं, मैंने स्वयं ने एप्रोच किया है कि बीज टाइमली पहुँच नहीं रहा है, बेच दिया गया है। यह बात नहीं है कि केवल जनसंघ ने ही शिकायत की हो, बल्कि हर पार्टी ने शिकायत की है।

तो माननीय बहादुरसिंहजी ने फरमाया कि जनसंघ की नीति क्या है ? हमारी यह नीति है कि दल दल नीति में नहीं फंसना। एक किसान को अधिकार है कि अपने खेत में मनमाने ढंग से बीज बोये, पर यह कानून ऐसी दलदल नीति का है कि किसान पर इस बात की भी पाबन्दी लगाता है। फिर

(श्री मदनसिंह)

कहा यह जाता है कि हम जबरन कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं करायेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान सरकार के यहां ऐसे तक कानून बनेंगे कि कितने सांस लिये जायं। किसान कब कहां कितने सांस ले, कहां कितना बीज़ बोये, क्या रेट ले और कहां दुकान लगाये ? किसान समझता नहीं, लीडर दो-दो, चार-चार के गिरोह को पकड़ लेते हैं और बीज वितरण कमेटी को विश्वास दिलाते हैं कि तुम भी खा लेवो, पी लेवो, पर बीज़ वितरण होने दो। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय पहले का अनुभव कह सकते हैं पर जब से कुर्सी पर बिराजे हैं बीज वितरण में जो चीजें होती हैं वे नहीं जानते। जो नीचे काम करते हैं उनकी किस प्रकार की टोलियां बनती हैं उनका दृश्य देख लें तो मन्त्री महोदय खुद कहेंगे कि वाकई में कम से कम कानून बनाने चाहिये। दूध का गिलास बीमार ने नहीं पिया, उससे पहले ही उसको घी पिलाओ, घी नहीं पिया उससे पहले ही चीनी देने लगे, चीनी नहीं दी उससे पहले ही और दूसरी दवा देने लगे, यह तो बीमार के लिये घातक है। नये नये कानून बनावें, यह कोई अच्छी चीज नहीं, लाभ पहुँचाने वाली चीज नहीं। जन संघ इससे अच्छे कानून बना सकता है, पर इसे समझेगा कौन ? तो जहां तक तरक्की का सवाल है, तरक्की की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से और सिद्धान्तों की दृष्टि से; सब दृष्टियों से समझा दिया पर मुझे मालूम है कि यह समझ में नहीं बैठेगी, सीधी बात समझ में नहीं बैठेगी, हम जनसंघी ऊटपटांग बातों के आदी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर उससे समझ में बैठ सकता है तो कहना चाहिये।

श्री मदनसिंह : ऐसी बातें भी कई हैं, जो कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Shri Mahendra Singh Panwar.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमन्, जिस विषय में बातचीत चल रही है उसमें नियमन करने की बात मैं समझता हूं, पर एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती वह यह है कि तरक्की को, जिस तरह बैल को नाल देते हैं, उस तरह (तरक्की को) लाना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। तरक्की करने के लिये प्रेरणा देने की आवश्यकता है, एक चीज़ में हम तरक्की करना चाहते हैं, खेती में तरक्की करना चाहते हैं तो खेती की तरक्की के लिये खेत में अच्छा बीज डालें, अच्छी फसल होगी, उस अच्छी फसल से आसपास के किसानों को ख्याल होगा, इससे पास पड़ौस के काश्तकारों को प्रेरणा मिलेगी....

अनेक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है, माइक को यूज़ करें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरी काफी ऊंची आवाज़ है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑडीबल नहीं है, you will be helping us.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमानजी,

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

खेती के करने के तरीकों को जानना बहुत जरूरी है ।

३ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति को मजबूर करें, आप बगैर खेती के तरीकों के जाने नहीं कर सकते । सबसे पहला काम है वह यह है कि जो लोग खेती का काम करते हैं उनमें आप विश्वास पैदा कर लें । उनका ध्यान खेती की तरफ लगावें ? जब तक खेती करने वालों का ध्यान आप उधर नहीं लगावेंगे तब तक आपके टैकिनकल एक्सपर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे । हमने कानून तो बना दिये, मगर हमने उनको खेती करने के तरीके नहीं सिखाये, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, श्रीमान्जी । श्रीमानजी, केवल आज्ञा देने मात्र से कोई काम नहीं हो सकता । मैंने इस प्रकार घर में कई बार आज्ञा देकर काम कराने की कोशिश की मगर यह काम नहीं हो पाया । मैंने अपने बच्चों को आज्ञा दी और अपने बच्चों से कई बार कहा कि बेटा ऐसा करो । मगर वे करते नहीं । मैंने आपसे कहा कि महज़ आज्ञा से कोई काम नहीं होगा । काम करने वाले लोग हैं उनको, दूसरे लोग जो काम करते हैं उनको दिखाओ । उनमें भावना पैदा करो । यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या आपका बीज और क्या आपके अन्य तरीके, उनके सामने सब रद्द हो जावेंगे । तो आपको यह सोचना होगा कि काम करने वालों में काम करने की भावना पैदा करनी होगी और यह भी बताना होगा कि उनके पड़ोसी किस ढंग से काम करते हैं और उसका क्या असर होता है ? इससे उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । मगर आपने तो यहां पर आज्ञा देकर काम सौंप दिया है । मगर मैं यह कहूँगा कि यह आज्ञा देकर काम किसी को सौंप देने से पूरा नहीं होता । यह इतना निकम्मा काम है कि उसका कोई फायदा नहीं होता । जहां पर हम शिक्षक का काम करते हैं वहां पर आज्ञा से काम नहीं चलता और न आज्ञा से काम होता है । यह एक गलत कदम है और इससे कानून की अवहेलना होती है और लोगों को रिश्वत खाने का पूरा मौका मिलेगा । कुछ लोग निकम्मे बैठे रहेंगे, जो लोग निकम्मे बैठे रहें उनको आपको बताना चाहिये कि उसको पास के खेत को देखना चाहिये कि उनके खेतों में क्या हुआ है, कितना समय उस खेत में काम किया गया है । आपको चाहिये कि उसमें लगन पैदा करें ।

कोई भी पैदावार जब होती है तो वह उसके घर में आती है और वह किसी को बुरी नहीं लगती कि उसके घर में पैदावार न आवे । उनको तरीके बताने की बात है इसलिये उनको पूरी तरह से तरीकों को बताना चाहिये । इसके माने यह कि आप सिखाना नहीं जानते और आप इसके लायक नहीं हैं, वर्ना खेती के तरीके में यह होता है कि एक पड़ोसी के यहां पर खेती होती है उसको देख कर दूसरे किसान करते हैं । हुक्म सबल व्यक्ति का होना चाहिये और वह भी मैं यह कहूँगा कि केवल हुक्म से काम नहीं चलता है । आप केवल कानून बना कर काम कराना चाहते हैं । केवल कानून से काम नहीं हो सकता । लोग आपकी बात तब तक नहीं मानते जब तक उनके समझ में नहीं बैठेगा । आपके केवल कानून और हुक्म

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

से काम नहीं चल सकता । मेरे बच्चे मेरा खुद का हुक्म नहीं मानते । सब तरीके होते हैं काम करने के । उनको हमें बताना चाहिये कि अच्छे बीज उनको बोना चाहिए, और उससे उनकी पैदावार में बहुत बड़ा भारी असर होगा, मगर ऐसा होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को मदद देने वाले बीज उनको नहीं मिलते । यह माननीय मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये । आपके एक्सपर्ट क्या खेती को जानते हैं ? हम खेती के काम को जानते हैं । कम से कम मैंने खेती की है और मैं इसके महत्व को जानता हूं ।

श्रीमानजी, ट्रेनिंग पार्ड है । एक बात यह है कि आज हमारी शासन नीति में गलती यह हुई कि हम हर काम को हुक्म से कराना चाहते हैं । हमारे पास हुकूमत आ गई है इसलिये हम हर चीज़ को हुकूमत की दृष्टि से सोचते हैं । हर एक काम को करने के ढंग हुआ करते हैं । जिन लोगों के पास हुकूमत थी वे जानते थे । दुनिया में जिन लोगों के पास हुकूमत रही है उन्होंने इस काम को किया है और वे इस बात को जानते हैं । मैं तो मानता हूं कि हमारे विचार परम्परा में जिनके पास हुकूमत रही है उन्होंने इस बात को समझा था मगर अब लोग काम करने की बात को नहीं मानते, यह एक भाग्य की बात है । हुकूमत से काम कराने की बात को मानते हैं । यह परम्परा जर्मनी से आई है । इस नीति का अन्दाज नहीं लगता । हर चीज़ को कानून और हुक्म से करते हैं । मैं यह कहूंगा कि केवल हुक्म से आप कोई काम नहीं करवा सकते, न कानून से कोई काम करा सकते हैं । कानून से आप लोगों के गन्दे कपड़े भी नहीं धुलवा सकते । यदि आप कानून के बल से काम करावेंगे तो उससे पुलिस के सिपाही को रिश्वत मिलेगी । क्योंकि जब वह आदमी काम नहीं करेगा तो आप पुलिस के बल का उपयोग करेंगे । हर चीज़ कानून से और हुक्म से कराने की बात है यह कौनसी आपकी मनोवृत्ति है । श्रीमानजी, मैं अधिक भाषण नहीं देना चाहता ....

श्री सभापति : You are raising objection against the report of the Select Committee of which you were a member.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, मैं नहीं था ।

श्री सभापति : आप देख लें । You were a member. Since he is speaking, I wanted to allow him but the convention is that the Hon'ble member of a Select Committee cannot oppose the spirit of the Bill.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am not opposing. I am not opposing the spioit of the Bill. I am opposing the peculiar outlook with which we are trying to regulate the people at large and the peoples conduct. The people's conduct is not to be regulated with force or power, but it has to be regulated by education.

श्री सभापति : You please speak clrearly.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : फिर मैं हिन्दी में बोलता हूं।

श्री सभापति : आप अंग्रेजी बोलिये, मगर शब्द स्पष्ट बोलिये तो लिखने वालों को सुविधा रहेगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं लिखने वालों से माफी चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप किसी भी काम को डंडे से नहीं करा सकेंगे। अगर आप किसी को डंडे के बल पर कराने की कोशिश करेंगे तो वह काम नहीं होगा। काम कराने का एक तरीका होता है। तरीका यह होता है कि एक खेत होता है उसको देख कर दूसरा आदमी अपने खेत में काम करने लग जाता है। आदमी को बताने की आवश्यकता रहती है। आपको चाहिये कि उसके स्वाभाविक साहस को आप काम में लावें। इतनी हिम्मत और योग्यता आप में नहीं है तो फिर आपकी आज्ञाएं किसी काम की नहीं। यही एक तरीका होता है काम करने का।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर ऐसा हुआ तो विधान सभा में घोटाला हो जावेगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो श्रीमानजी, इस ढंग से काम करें। केवल आज्ञाओं का आडम्बर नहीं बनावें। अनावश्यक कानून बनेंगे तो हम लोगों को वकालत में तो इनसे कमाने का मौका मिलेगा। सच बात तो यह है कि आप किसी से कह नहीं सकते हैं कि यह चीज़ करो, वह चीज़ न करो। यह भी हम लोगों का एक फन्डामेन्टल राइट है कि अपना काम अपनी समझ से करें। एक सवाल आया कि सिनेमा के अन्दर ये जो पब्लिसिटी फिल्म डिविजन की फिल्म्स हैं वे दिखानी ही चाहिये। लड़ने वाले लड़े और अदालत का फैसला हुआ कि कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं दिखाने वाले नहीं दिखाते हैं, दिखाने वाले दिखाते हैं उसे अच्छा समझ कर। तो एक तरीका होता है प्रेरणा देने का।

तो आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। प्रेरणा से भी काम चलता है। आज्ञा से कुछ बातें नहीं होतीं।

मैं आपको एक मिसाल बताऊं।

(विराम)

मैं आपको मिसाल हाजिर कर रहा हूं।

श्री सभापति : I request the Hon'ble Member not to repeat the arguments. He may develop it but he cannot repeat it.

एक माननीय सदस्य : He is hammering.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am not repeating. मैं एक मिसाल देना चाहता हूं यदि आपको वह बुरी न लगे। इब्राहिम लिंकन ने एक बार फौज को आज्ञा दी, जब सिविल वार हो रही थी, हमला करो। हमला नहीं हुआ। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एक लैटर कमान्डर को बरखास्त करने का लिखा। हमला अब हो नहीं सकता था, इसलिए कि नदी में बाढ़ आ गई थी, जाने का रास्ता नहीं था। उस दिन यदि

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हमला कर देते तो विजय हो जाती । उसने कमान्डर को बरखास्तगी का लेटर लिखा । मगर वह लैटर उसकी ड्रॉअर में ही रहा, भेजा नहीं, मरने के बाद पता लगा; उन्होंने सोचा था आज्ञा और दंड मात्र कल के नहीं ।

श्री किशनसिंह बड्ड (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : जरा क्लीयरली तो बोलें, हमें समझ में नहीं आता है।

श्री किशनसिंह : आपके शब्दों से तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह मुझ तक आ जाय तो मैं जवाब दे सकूं ।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैंने नहीं किया । उन्होंने बीच में इन्टरप्ट किया। मैं इब्राहिम लिंकन की बात कह कर यह बात कह रहा था कि उन्होंने यह महसूस किया कि केवल आज्ञा देने से काम नहीं चलता। उसने उस लैटर को पोस्ट नहीं किया, ड्रॉअर में ही वह लैटर पड़ा रहा। गुस्से में आया, लिख गया । इतनी समझ के साथ यदि हुकूमत चलायेंगे तो चलेगी, आपका देश है, मेरा भी देश हैं, यह ध्यान रखें ।

श्री पी. के. चौधरी : श्री सभापति महोदय,...........

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उनके ऑब्जेक्शन पहले डिस्पोज़ ऑफ हो जांय ।

श्री सभापति : ऑटोमेटिकली हो गये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस बिल में कुछ प्रोविजन्स हैं, जिनके लिए मुझे ऑब्जेक्शन हैं और मैंने इसके लिए एमेन्डमेंट भी दिया था। खास तौर पर क्लॉज ३ (बी) ५ (ए) और ६ सब क्लाज (१) के डिलीशन के लिए। सभापति महोदय क्लॉज सी है वहां पर "restriction of improved seed and seedlings......" जहां तक सीड्स–सीड्लिंग के मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे ठीक हैं। रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं, जहां पर से यूज़ पर रेस्ट्रिक्शन्स हैं, मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन जहां रेस्ट्रिक्शन हुआ है यूज़ के लिए, वह रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किन्तु कम्पलशन है। इस क्लॉज़ ३ में एक काश्तकार के लिए पाबन्दी कर देते हैं कि he must necessarily use improved seeds, the so called improved seeds. सभापति महोदय, जो हमारे इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिस है जिसको हम हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेज़ से। यानी खेती के जो उन्नत तरीके हैं उनको देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी फन्डामेंटल नीति है वह कम्पलशन की नहीं है, किन्तु वह एक्स्टेन्शन सर्विस की है। यही गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, हमारी और विधान की पॉलिसी है । एग्रीकल्चर

(श्री पी. के. चौधरी)

इम्प्रूवमेंट जितना लाना चाहिये वह एक्सटेन्शन सर्विस से, न कि कम्पलशन से। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आज का प्रिन्सिपल है that the means are more important than the ends. प्रिन्सिपल यहां पर आता है कि आप यह बात कहते हैं कि इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर सीड यूज़ करना चाहते हैं उसको करने के लिए you are going to compel certain people. मैं उसके खिलाफ हूं। कम्पल्शन नहीं होना चाहिये। जिस बात को लेकर चले, जिसके लिए आन्दोलन किये और जिस पर एम्फेसिस सबसे ज्यादा देते हैं; ends are not our objective but the means are as important as the ends. सीड के लिए आज जो कहते हैं, कल हम कह सकते हैं, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर मेथड है उसके लिए कम्पल्शन यूज़ करेंगे और कल कहेंगे कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड मशीनरी यूज़ करना पड़ेगा; you will have to use tractors, you will have to use machenised implements, यह हमारा मकसद नहीं है, न यह हमारा तरीका है और सीड के लिए जिसको अपना रहे हैं: this is just beginning. मैं समझता हूं कि इस ढंग के कम्पल्शन का तरीका अपना लिया गया तो कोअर्शन और इसमें कोई फर्क नहीं है You are using direct ccercion to use a particular type of seed and seedlings. बहतर तो यह होता कि जिस एरिया में आप इम्प्रूव्ड सीड यूज़ करते हैं आपको यह जानकारी लेनी है कि उस सीड से कितना इम्प्रूवमेंट होता है, उससे बाहर जाना रोक सकते थे लेकिन उस एरिया में किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं रहेगा दूसरा सीड यूज़ करने का, मैं समझता हूं, it is not necessarily the best seed. प्रेक्टिकल दृष्टि से देखें, वास्तविक दृष्टि से देखें तो जो सीड हम देते हैं it is not good. आपके सीड से एग्रीकल्चरिस्ट के पास जो सीड है, हो सकता है वह बहतर हो। जैसा अजमेर से आये माननीय सदस्य ने कहा और मैं उनके साथ बराबर इत्तफाक करता हूं कि जो एग्रीकल्चरल प्रेक्टिस है उसमें इम्प्रूव्ड प्रेक्टिस लाने के लिए, सुधार लाने के लिए कम्पल्शन की जरूरत नहीं है बल्कि मोडल फार्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटल फार्म्स हैं and you should induce them. आपको सीड ऐसा देना चाहिये जिससे कि किसान इन्ड्यूस हो और वह जाकर खुद काम में लेवे। यदि कम्पल्शन से ही आगे बढ़ना होता तो यहां भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी लागू नहीं करते, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं बनाते, जैसा पाकिस्तान में हुआ। यहां भी पार्टी डिक्टेटरशिप रूल यूज़ कर देते और जैसा रूस में होता है; यहां पर भी पार्टी डिक्टेटरशिप कर देते। हम यहां पर भी डिक्टेटरशिप कायम करते। मैं खुद यह महसूस करता हूँ कि डेमोक्रेसी में काम को एग्ज़ीक्यूट करने में काफी दिक्कत आती है, फिर भी हम डेमोक्रेसी को पसन्द करते हैं। हमारे पेपर्स भी, हम देखते हैं बहुत देरी से निकलते हैं वह इसलिये कि डेमोक्रेसी में कई काम ऐसे होते हैं जिन पर डिसीज़न लेने में, काम करने में और वह भी डेमोक्रेटिक तरीके से। उसमें डिले हो जाती है। अगर आप यही तरीका पसन्द करते हैं तो हमें भी डिक्टेटोरियल कॉन्सिटीट्यूशन लेना चाहिये था, हमने विधान बनाया, फेडरल पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया; उसमें

(श्री पी· के· चौधरी)

हमारे प्रेसीडेन्ट भी हैं; he is not the head of the institution. डेमोक्रेसी में किसी प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने में डिले होना स्वाभाविक रहता है, उसमें आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं फिर भी हमने उसी को अपनाया। सारे देश की गवर्नमेंट के लिये यह तरीका अपनाया। मैं समझता हूँ इम्प्रूव्ड सीड्स के इस्तेमाल के लिये we cannot go away from it. अगर हम जाते हैं तो we are digressing from the path of the democracy. मैं ही नहीं सदन के माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट के साथ इसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि जो भी काम हो अगर कोई आदमी अपनी दिलचस्पी से करता है तो वह उसमें दिलो-जान लगा देता है और उसी काम को अगर आप कम्पल्शन की तौर पर करवाते हैं तो it will give rise to another set of corruption· इससे करप्शन को प्रोत्साहन मिलेगा, मैं तो समझता हूं it will be a bad beginning.

एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री पी. के. चौधरी : आज तक हमने किसी प्रोग्राम के लिये और किसी चीज़ के लिये इस प्रकार से नहीं किया। आज हमारे यहां फूड ग्रेन्स की कमी है फिर भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, शूगरकेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है। आज यू० पी० के अन्दर वहां की सरकार, एग्रीकल्चरिस्ट को जो ज्यादातर गन्ना पैदा करते हैं, अनाज की कमी होते हुए भी उनको बाध्य नहीं कर रही है, उन पर इस बात का कम्पल्शन नहीं है कि वे गेहूं और चावल ही पैदा करें इस प्रकार का कम्पल्शन इम्पोज़ नहीं किया even though it is the direct necessity of the day that the agriculturist should be induced. आज हम यहां पर सीडलिंग्ज़ और सीड के लिये करने जा रहे हैं कम्पल्शन। मैं यह भी जानता हूं कि आपके पास जो सीड आता है उसकी भी शत प्रतिशत गारन्टी नहीं है कि वह अच्छा बीज है। जिस सीड को आप थियोरिटीकली या आपके टेक्निशीयन्स इम्प्रूव्ड सीड मानते हैं, यह मानते हैं कि इसका इम्पली-मेंटेशन अच्छा होगा लेकिन इस बात को हिन्दुस्तान का किसान जो अपना पेशा पीढ़ियों से करता आ रहा है उसने भी अपने पेशे में टैक्निक सीखी है और वह टैक्निक उन्होंने जेनरेशन्स से सीखी है, जनरेशन्स से इस चीज में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। उसके मुकाबले आपके यहां तीन साल के कॉलेज के निकले हुए रिसर्च स्कालर द्वारा जो एक्सपेरिमेंट शुदा कोई सीड होता है तो वह उसके लिये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। वह तो अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके चीज पैदा करता है, in practical use it cannot be beneficial. इस बिल में क्लॉज ५ ए और क्लॉज ६ हैं जिनमें कम्पल्शन का प्रोविजन है। हमने ६ में पेनेल्टी भी रखी है जिसके अनुसार जो डिक्लेअर्ड एरिया है उसमें यदि इम्प्रूव्ड सीड यूज़ नहीं करता है तो उस पर पैनेल्टी होगी। क्लॉज़ ६ बी में कोई भी एजेन्ट जिसको इम्प्रूव्ड सीड के वितरण के लिये नियुक्त किया गया है दूसरी तरह का सीड सप्लाई करता है तो उसके लिये पैनेल्टी का

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रोविजन रखा है । यह रखना चाहिये, इससे मैं भी सहमत हूं । एग्ज़िसटिंग मशीनरी जो आपकी सीड की है उसकी प्योरिटी के लिये आज खुद भी डाउटफुल है । पिछला रबी का कम्पेन आपने चालू किया उसमें जो सीड दिया गया उसमें चालीस पर्सेन्ट सीड सड़ा हुआ था । आज हम जब कि कम्पल्शन करने जा रहे हैं, जब कि हम पूरा सीड सप्लाई नहीं कर पायेंगे और बाड़ी से सीड लेंगे तो you can't guarantee about its purity. इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को लिबर्टी देनी चाहिये, जिस सीड को वे अच्छा समझें वे उपयोग करें । काश्तकार खुद भी आज इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको अच्छा सीड मिलता होगा उसको न लेकर वह खराब सीड का प्रयोग करे । इसलिये मैं समझता हूं कि इम्प्रूव्ड सीड के जहां तक पोपुलराइज़ करने का तरीका है उसके लिए कम्पल्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए इन्टरेस्ट क्रिएट किया जाना चाहिये । इम्प्रूव्ड सीड्स आप चीपर रेटस पर दीजिये, सस्ते भाव पर दीजिये, give him at cheaper rates. इससे भी चीपर रेट पर दीजिये, कौन नहीं लेगा ।

मान लीजिये राजस्थान के काश्तकार हैं, वे कन्ज़र्वेटिव दिमाग के हों कि वे सस्ते दाम पर भी नहीं लें, यह बात नहीं । उनके लिये गांव में मोडल फार्म रखिये या किसी काश्तकार को कहिये कि वह अपनी जमीन के कुछ भाग में यह सीड बोये, उसको देखकर भी लोग प्रेरणा ले सकते हैं । ऑटोमेटिकली लोग उससे फायदा देखेंगे तो लेंगे । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें सीड के यूज़ के लिये कम्पल्शन नहीं करना चाहिये, इस बात को नहीं भूलना चाहिये every means are as important as the ends.

रावल श्री नरेंद्रसिंह (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इस विषय में निवेदन है। जहां सीड्स और सीडलिंग्ज के बारे में प्रश्न आता है, कानून बनाकर जो कम्पल्शन लाना चाहते हैं वह उचित नहीं है । इस विषय में काश्तकारों को दबाया जाना निहायत अनटाइमली चीज़ है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे भी एग्रीकल्चर के तरीकों का अनुभव है, यह देखने की बात है कि काश्तकार खुद समझते हैं, वह विचार करता है, अच्छे से अच्छा बीज काम में लाया जाय । वे बीजों को इस तरह से रखते हैं कि तूंबियों में भर देते हैं ताकि वे खराब न हों और ठीक प्रकार से काम में आ सकें । इस तरह से प्रत्येक गांव में रखा जाता है । यहां पर राजस्थान में जगह जगह तरह तरह की जमीन है, तरह तरह का बीज इस्तेमाल किया जाता है । अभी तक एग्रीकलचरल एक्टीविटीज़ इसका डिमोन्स्ट्रेशन मेल्टिंग पोट में है, इसमें बहुत अनुसन्धान की आवश्यकता है । इस वास्ते जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा इस वास्ते इनीशियेटिव जरूर होना चाहिये, जहां तक हो सके उनको बतलाया जाय, अच्छे बीज के वास्ते प्रेरणा दी जाय, वे जरूर काम में लेंगे, लेकिन उन पर दबाव डालना समयोचित नहीं होगा, यही मेरा निवेदन है । बाज़ वक्त यह होता है कि सरकार का दिया हुआ बीज देखकर किसान जो काफी कन्ज़र्वेटिव है यह समझता है कि शायद यह ज्यादा यूज़फुल नहीं होगा । तो वह यहां

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तक करता है कि सरकार के दिये हुए बीज को तो खाने के काम में ले लेता है और अपने घर में बीज के लिए अनाज पड़ा रखता है, उसी को काम में लेता है।

बाज वक्त समय पर सरकार बीज उपलब्ध नहीं करा पाती, बाज वक्त यह भी शिकायत है कि बीज अच्छा नहीं देती। सरकारी एजेन्सी ठीक नहीं है। फिर अगर सरकार यह समझती है कि यह बात नहीं है तो वह ऐसा भी कर सकती है कि हर एक ग्राम में एक डिमान्स्ट्रेशन फार्म कायम करे जिसे देखकर और लोग स्वतः आकर्षित हों। अगर यह किया गया तो न तो किसी दबाव की जरूरत होगी न इस कानून की ही जरूरत रहेगी। मैं इसे ज्यादा वाजिब समझता हूं। यही मेरा कहना है।

श्री **सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में चर्चा हो रही है, यह कहा जा रहा है कि यह किसानों पर ज़बरन थोपा जा रहा है। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समाज की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जितनी हमारे समाज की बुराइयां हैं उनको हम समझा बुझा कर दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूत होकर उसके लिए कानून भी बनाना पड़ता है।

जहां तक बीज का सवाल है, मैं निवेदन करूं कि वे अपने क्षेत्र की बात करते होंगे कि किसान अपना बीज बो सकता है, पर मैं यह मानता हूं कि अधिकतर किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे प्रान्त की मैं कहता हूं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अच्छा बीज अपने पास ही रख सकें और समय पर बो सकें। यही कारण है कि जब बीज बोने का वक्त आता है तो किसान बेचारा मारा मारा बोहरे के पास जाता है। बोहरा जैसा भी अच्छा–बुरा, सड़ा–गला धान देता है वह लेकर अपने खेत में डालता है। इसका असर उसकी आर्थिक हालत पर पड़ता है, उसके उत्पादन पर पड़ता है और इस प्रकार देश के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आज जब अच्छे बीज की गांव–गांव में सरकार ने व्यवस्था की, विकास मण्डल स्थापित किये, पंचायतें बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई और उनके जरिये बीज दिये जाने की चर्चा आई तो यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार का कानून लाया जावे कि जो भी किसान हो वह इस प्रकार का बीज बोयेगा जो एक्सपर्ट ठीक समझ कर उसे देना चाहता है। इससे किसान को दिन पर दिन गिरती हुई आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लोग इस बीज को लेकर अपनी पैदावार बढ़ावेंगे और बोहरे की दया पर भी नहीं रहेंगे।

तो मैं मानता हूं कि इससे किसकी हालत अच्छी होगी ? किसान की ही अच्छी होगी, इससे देश की भी पैदावार बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। इसलिये यह कानून लाया जा रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इसकी चर्चा इस तरह की जावे कि प्रजातन्त्र में ये अयूब की तरह चल रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरह कानून बनाया जा रहा है। आज जनता इस बात को चाहती है कि इस प्रकार से हमारे जो सुधरे हुए तरीके हैं वे अपनाये जावें।

मैं मानता हूं कि कुछ पार्टियां इस प्रकार

(श्री सूबेदारसिंह)

की आलोचना कर सकती हैं लेकिन जहां तक इस कानून के बारे में मेरा विचार है....

श्री महेन्द्रसिंह : Ona point of information, Sir, मैं पूछना चाहूंगा कि यह कानून जनता के कहने से लाया जा रहा है या सरकार के कहने से ?

श्री सभापति: Order please! Order!!

श्री सूबेदारसिंह : यह जनता के हित के लिए, जनता के प्रतिनिधियों की ओर से है, यहां जनता के रिप्रेजेन्टेटिव आये हैं। वे जनता में से ही लेकर योजना देते हैं। आप अपोज़ीशन यहां करते हैं, इसको जनता नहीं जानती । जनता चाहती है इसलिये यह कानून यहां आया है और आप देखेंगे कि जनता को राहत देने के लिये यह बिल्कुल पास होगा और चन्द दिनों में आप यह भी देखेंगे कि जहां पहले खेत के खेत सड़े-गले बीज से मुरझाये नज़र आते थे वहां इस सुधरे हुए अच्छे बीज से वे ही खेत लहलहाते नज़र आवेंगे और किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा कानून....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Others will also like to speak, Sir.

श्री सभापति : Don't advocate the cause of others.

श्री अर्जुनदास : 'Others' includes 'me' also.

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मैंने शुरू कर दिया है।

श्री सभापति : Order! Order please!!

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के सम्बन्ध में जनसंघ के दो माननीय सदस्यों ने जो दांता रामगढ़ और एक कोई भीलवाड़ा से आये हैं और एक अजमेर से भी आये हैं उन्होंने इस बिल का विरोध किया और अपने लोगों के ऊपर–ऊपर से कानून थोपने जाने की बात कही । फुलेरा से आने वालों ने भी कुछ कहा जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया । यहां तक कहा कि किसान की स्वतन्त्रता पर बाधक होगा यह कानून और क्या क्या आॅर्गूमेन्ट्स दिये।

जनसंघ के माननीय सदस्यों ने कहा कि इस कानून को लागू करने से किसान की स्वतन्त्रता का हरण हो जावेगा, किसान की स्वतन्त्रता चली जावेगी। मैं नहीं समझा कि स्वतन्त्रता के वे क्या मतलब समझते हैं ? वे जैसा चाहें वैसा मतलब इसका निकालें। पर स्वतन्त्रता किस आदमी को कहां तक हो, यह भी देखना है। देश के हित में हो, लोगों के भले के लिए हो, जीवन स्तर अपना ऊंचा उठाने के लिए हो, उनकी बहतरी के लिए हो, यहां तक तो समझ में आ सकता है ।

अजमेर से आने वालों का भाषण ज्यादा तो नहीं सुन पाया पर जो कुछ समझ में आया वह यह था कि ऊपर से कानून लादा जा रहा है, जैसे बैल को या गाय को नाल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दी जा रही है । आज मेरे घर में तो यह हालत है कि बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते । यह बैलों की नाल देने वाली बात मैं नहीं मानता और रहा सवाल उनके बच्चों का, उनकी बात नहीं मानने का, तो इसका मेरे पास इलाज़ नहीं है । यही हालत ज्यादा दिन चलती रही तो मानेंगे भी नहीं, जिस तरह चलता है मामला । तो अपने घर के मामले को तो आप खुद सम्भालें, कानून के जरिये मैं तो रेगुलेट नहीं करूंगा ।

तो मैं इतना ही माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को और विकेन्द्रीकरण को भी इसमें जोड़ा गया, जिसकी जरूरत नहीं थी । कहा गया कि एक तरफ विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसा कानून बनाया जा रहा है । पर हम मानते हैं कि विकेन्द्रीकरण, देश की बढ़ती हुई प्रगति और आज की उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुए इस बिल की आवश्यकता है ।

दूसरी योजना समाप्त करने जा रही हैं । एक साल बाकी रह गया है, हमें उत्पादन बढ़ाना है, खास तौर से खाद्यान्नों का और इसमें आज के विज्ञान की प्रगति के सारे तरीके काम में लेने हैं, अच्छे बीज, खाद, सिंचाई के साधन, खेती की नई टैक्नीक, अच्छे इम्प्लीमेन्ट में पुराने औज़ार का बदलना, ये सब हमें करना हैं उत्पादन बढाना है इसलिए । गांवों का उत्पादन बढ़ाना है, किसान का बढ़ाना है और इस तरह देश का उत्पादन बढ़ाना है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a poinit of information, Sir, I will like to ask the Hon'ble Minister...

श्री सभापति : There is question of furnishing any information now?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : किसी गांव में आप पधारे ।

श्री सभापति: Order! Order please!!

श्री नाथूराम मिर्धा : I am in posession of the House. I think the decorum of the House should be maintained.

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था । इस उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, जीवन स्तर लोगों का ऊपर उठाने की दृष्टि से हमने कोशिश की और जब कि पिछले योजना के चार साल में हमने अच्छे बीज और इन साधनों का महत्व समझ लिया, किसानों ने भी समझ लिया; मैं कह सकता हूं कि ९५ प्रतिशत किसानों ने इसे समझ लिया है और वे इसको जानते हैं कि अच्छे बीज का उपयोग करने से पैदावार में निश्चित तौर से बढ़ोतरी होती है तो हमने इस कानून को लाना जरूरी समझा है ।

यह कहा गया कि क्योंकि बीज की वितरण की सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिये यह नहीं जबर्दस्ती से थोपा जावे । यह भी कहा गया कि समय पर नहीं दिया गया, बीज कहीं पर अच्छा नहीं दिया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से इसको हम देखें तो दो बातों पर नियन्त्रण किया है हमने । बीज का जो हमने स्टोर किया है वह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हम उसी इलाके में काम में लाने वाले हैं जिसको हमने साइन्टिफिक नोलेज के आधार पर ठीक समझ लिया है। इसको करने के लिये हमारे २३२ पंजीयन एक्सटेन्शन ऑफिसर्स मौजूद हैं। जितने एरिया में हम अच्छे बीज का और अच्छे साधनों का पूरा इन्तज़ाम कर सकें उपयुक्त मात्रा में, उतने ही एरिया में हम इस कानून को काम में लाना चाहते हैं।

इसलिए यह कानून हम सारे राजस्थान में एक साथ लागू नहीं करेंगे बल्कि जितने एरिया को हम यह शुद्ध बीज वितरण कर सकेंगे अभी उनको ही देंगे....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अश्रव्य)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे हाउस की परम्परा को देखते हुए इन्टरफियरेन्स न करें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं परम्परा की ही दुहाई दे रहा हूँ। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पूछ रहा हूं। आपका नियम यह है कि जो सदस्य एक बार एक बात को कह दे उसको दुबारा न कहे। आप इसको....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं क्या जवाब ही नहीं दूं, चुपचाप बैठा रहूं, यही चाहते हैं आप? तो माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोझ राज्य सरकार ने अपने ऊपर लिया है। अच्छा बीज जितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है उतना ही हम वितरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए सारे राजस्थान में वितरण करने का अभी प्रश्न नहीं है। जितना भी अच्छा बीज हम समय पर तैयार करके बांट सकें उतना ही अच्छा है। वह बीज दूसरे बीज में मिक्स न हो और उसी तरह का बीज उस इलाके में चले और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ता जाये, जह कि इसकी आवश्यकता हो तो यह नियंत्रण करने के लिए इस बिल की आवश्यकता है। न यहां अयून का प्रश्न है, न ऊपर से थोपने की चीज़ है। जो वह जनता को जानने का दावा करते हैं, आखिर हम भी जनता के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। हमें मालूम है कि इस बिल की आवश्यकता थी। जब कि आज हम तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं और उसको बहुत बड़े पैमाने पर लागू करना चाहते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार का नियंत्रण होना आवश्यक है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर बीज की स्थिति को मेन्टेन किया जा सके और उससे पैदावार व कर बढ़ाकर लोगों के स्तर को ऊंचा किया जा सके। इन्हीं बातों का प्रोविज़न इस बिल में है। मैं ज्यादा न कहकर इसी बात के साथ समाप्त करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावना रखी है, मैं चाहता हूं कि सदन इस बिल को तुरन्त पास कर दे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाता है।

Page No.87

(श्री सभापति)

खण्ड २ से ७ पर कोई संशोधन नहीं हैं; अतएव ये खण्ड मत हेतु रखे जाते हैं।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉजेज़ २, ३, ४, ५, ६ और ७ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २, ३, ४, ५, ६ और ७ विधेयक के अंग बने

क्लॉज ८

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ८ में जो मेरा एक संशोधन है वह यह है कि सब-क्लॉज़ (२) को इस तरह से सब्स्टीट्यूट कर दिया जाये:—"For sub-clause (2) substitute the following:—

"(2) All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so how ever that any such modification or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder." माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन मेरा इसी बात को रखने के लिए है कि हम सदन के माननीय सदस्यों को जो कि इस बिल के तहत कुछ नियम बनाये जायें उनको देखने का मौका मिले और उनमें कुछ सुधार करना चाहें तो सुधारने का मौका हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह अमेन्डमेन्ट रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member from Ajmer that he should not interfere in this way. He had been a member of the Assembly for such a long period and he should maintain the decorum of the House. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से, स्वीकर किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(श्री सभापति)

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १६५८, को पारित किया जाये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, जिसको पारित किये जाने के हेतु माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव किया है उसके सम्बन्ध में इतना निवेदन करना है कि जिस आशय और मंशा से विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के समय कुछ विचार सदन में कई माननीय सदस्यों ने रखे थे उन पर कुछ गंभीरता से माननीय कृषि मन्त्री महोदय ने विचार नहीं किया, ऐसा लगता है और जैसा कि उनके उत्तर से भी स्पष्ट है । किन्हीं कानूनों के सम्बन्ध में जो विचार रखे जाते हैं यह बात सही है, जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि काश्तकार को बीज खराब मिलता है, सड़ा गला बीज गांवों में उनको दिया जाता है और उसके कारण से हमारे यहां की फसल अच्छी नहीं होती है । कोई भी आदमी इस बात से दो मत नहीं रख सकता कि बीज अच्छा मिलना चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए, लेकिन बीज अच्छा बोया जाये, पैदावार बढ़ाई जाये, इसके लिए जरूरी नहीं है कि यह कानून बनायें कि हम इसी बीज को काम में लें । गला और सड़ा बीज कोई भी बोना नहीं चाहेगा , यदि अच्छा बीज उपलब्ध होगा तो और मैं समझता हूं कि राजस्थान में लोकतन्त्र के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ जिन पंचायतों और सहकारी समितियों की जिन एजेन्सियों को हमने बनाया है, जिनके ज़रिये से, जिनके द्वारा यह बीज वितरण का काम लिया जायगा, जो कि हरएक ज़िले में और तहसील के अन्दर स्थापित हैं । मैं तो यह चीज़ अच्छी समझता यदि माननीय कृषि मंत्रीजी इस प्रकार की व्यवस्था करते कि हरएक पंचायतों के केन्द्र में और हरएक सहकारी समिति के द्वारा जो भी सारी व्यवस्था होगी उसके जरिये अच्छे बीज राज्य सरकार की ओर से उन केन्द्रों पर मिलते हैं, उसका प्रचार किया जाता । काश्तकारों को, जमींदार को और खेती करने वाले लोग हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाती कि राजस्थान सरकार और कृषि विभाग ने बहुत बढ़िया और अच्छा बीज खेती के लिए आप लोगों को मुहैया किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है और आप इसी बीज का उपयोग कीजिये। अच्छा बीज इन केन्द्रों पर मिलता है। इसके प्रचार के लिए यहां के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का उपयोग किया जाता तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसान और वह किसान और वह जनता जिनके प्रतिनिधि बनने के आप हामी बनते है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा आप करते हैं कि हम भी बराबर जनता की भावना को जानते हैं, जनता हमारे साथ है, तो मैं समझता हूं कि क्या आप गांव के किसानों को इस तरह से नहीं समझा सकते थे कि खराब बीज काम में मत लो, अच्छे बीज इन केन्द्रों पर मिलते हैं इनको काम में लो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना होनी चाहिए थी। कोई भी किसान ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो किसान अपनी खेती की पैदावार को नहीं बढ़ाना चाहता है। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन सा किसान अच्छा बीज नहीं बोना चाहता है? यदि अच्छा बीज पंचायत केन्द्रों पर उसको उपलब्ध होता है तो कोई भी खेती करने वाला उस बीज को खरीदेगा, न कि दूसरी जगह से सड़ा—गला बीज लाकर वह खेती करेगा। इसलिए यह मूल प्रश्न था, एक आधारभूत बात थी जो कि रखी गई है। यह विचार करें कि सरकार के पास में प्रचार के साधन रेडियो हैं और अखबार हैं और सरकारी इतनी बड़ी भारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, कृषि विभाग है सहकारी समितियों के रूप में, पंचायतों के रूप में, इन तीन तरह की मशीनरियों से क्या गांव में इस प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि अच्छे बीज इन केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। लेकिन आज उस मशीनरी का उपयोग नहीं, प्रचार का उपयोग नहीं करते हैं। या तो आपका उन पर विश्वास नहीं है कि सरकारी मशीनरी के प्रचार से गांव के किसान बीज खरीदने आयेंगे। इस बात का आपको विश्वास नहीं है और यदि आपको इस बात का विश्वास है और यदि हम यह समझते हैं कि हमारे कहने मात्र से जितने भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, ग्रामीण जनता है, काश्तकार हैं, वे हमारी अपील को मानेंगे और उसके कारण हमारा बीज खरीदेंगे; यदि आपका माल अच्छा होता तो वे खरीदते, लेकिन आपका माल खराब है तो कानून के जरिये उस बीज को चलाने की कोशिश क्यों की जाय? इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि अच्छे बीज देने की व्यवस्था हो। इस पर दो मत नहीं हो सकते हैं कि अच्छे बीज मिलने चाहिए। पैदावार बढ़ानी चाहिए। शक तो तब पैदा होता है जब कि कानून के जरिये यह व्यवस्था की जाती है कि नहीं यह बीज खरीदो। उसमें भी खरीदने की तारीख निश्चित की जाती है, जो सोइंग पीरियड होगा उस वक्त बीज उपलब्ध कर दिया जायगा। आपने एक तारीख निश्चित कर दी कि अमुक तारीख तक बीज उपलब्ध नहीं किया जा सकता है तब जाकर वह दूसरे से बीज खरीद सकता है। माननीय सभापति महोदय, इससे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि आपका बीज उस तारीख तक नहीं पहुँचे, क्योंकि उस तारीख का इन्तजार करना जरूरी है। मान लो तारीख आपने निश्चित कर दी १६ जून की उस तारीख तक बीज मुहैया कर देंगे, लेकिन आपका बीज उस

. ो सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तारीख तक वहां पहुँचा नहीं। केन्द्र पर जाते हैं लोग बीज खरीदने के लिए। उसके लिए वे गांव से आयेंगे, लेकिन कहीं पर बरसात होगी, कहीं पर कुछ परिस्थितियां होंगी। यह अच्छा होता कि हमारे कृषि मंत्रीजी यह घोषणा कर देते कि बरसात उस तारीख से होगी। बरसात किसी ज़िले में जल्दी होती है और किसी ज़िले में देर से होती है। एक ज़िले में भी किसी तहसील में देर से होती है तो किसी तहसील में जल्दी होती है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कभी बरसात जून में शुरू होती है तो कभी जुलाई में शुरू होती है। कभी बरसात जून के अन्तिम सप्ताह में शुरू होती है तो कभी जुलाई के प्रथम में और कहीं पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में। मानसून के बारे में कहा गया है, agriculture in India is a gamble in Monsoon. इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि डेढ़ महीने का पीरियड बरसात का होगा। आप एक निश्चित तारीख तक बीज मुहैया करायेंगे। मान लें कि उस तारीख तक बीज नहीं पहुंचा तो क्या होगा? काश्तकार और खेती करने वाले आदमी उसके बाद में जाकर सड़ा-गला बीज लेकर बोयेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग सड़ा गला बीज नहीं बोयें, आप इस कानून की पाबन्दी करना चाहते हैं तो आप एक मेन्डेटरी प्रोविजन इसमें क्यों नहीं रखते हैं? आपको अपने ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हर हालत में बीज मिलेगा। कोई कारण नहीं कि बीज नहीं मिलेगा। फिर आपने यह बात रखी क्यों है। आपको इसमें रखना चाहिए था कि बीज मिलेगा और अगर बीज नहीं मिले तो राज्य सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी है कि जितना नुकसान हो उस क्रोप का, इन्श्योरेन्स करेगी। आप एक जिम्मेदारी उठायेंगे। उस तारीख को आपको 'किसी भी हालत में उनको बीज मुहैया करना चाहिए, क्योंकि आपकी तारीख तक उसको इन्तजार करना पड़ेगा और उस तारीख तक नहीं मिला तो वह बोहरे के पास जायगा और वहां पर बोहरे के यहां भी नहीं मिला, क्योंकि जब राजस्थान सरकार बीज दे रही है तो बोहरा किसलिये बीज रखेगा; तो वह गरीब दोनों तरफ से मारा गया। वह न इधर का रहा और न उधर का। धोबी का कुत्ता न घर का रहा और न घाट का। वह हालत उसकी होगी, क्योंकि उस तारीख तक उसको इन्तज़ार करना पड़ेगा और उस तारीख तक सरकार का बीज नहीं आयेगा तो उसको और कहीं से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ऑब्लीगेशन, एक ड्यूटी आपको अपने ऊपर लेनी चाहिए कि हर हालत में बीज आपको मुहैया करायेंगे। लेकिन आपको आत्मविश्वास नहीं है कि आप बीज मुहैया करा सकेंगे। आपको इस बात में शक है, शंका है, संदेह है कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आज जिस प्रकार की परिस्थितियों में से गुजर रही है, यह हो सकता है कि किन्हीं तहसीलों में, किन्हीं केन्द्रों पर बीज समय पर नहीं पहुँच सकेगा। राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार की जो मशीनरी है, वह जिस तरह से काम कर रही है, जिस प्रकार से चल रही है....

श्री अर्जुनदास : There is no quorum, I suppose, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री सोहनलाल के आने पर) कोरम आ रहा है, साहब।

(हंसी)

तो मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, कि आपकी सरकारी मशीनरी इस तरह से चल रही है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था हो सकेगी, लेकिन आपने एक पनिशमेंट का प्रोविजन रख दिया है। सरपंच से इस मामले में तहकीकात की जायगी। गवर्नमेंट से सेन्क्शन लेनी होगी, इतना कॉम्प्लीकेटेड प्रोसीजर रखा गया है। वे चुने हुए नुमायन्दे होंगे। किसकी ग़लती हो गई है। इसके लिए एन्क्वायरी बैठेगी। वहां के सरपंच को पकड़ेंगे। आप कहेंगे कि पंच ने जानबूझकर देरी की है। अगर पंच किसी दूसरी पार्टी के होंगे तो चूंकि इन पंचों ने समय पर बीज नहीं पहुँचाया है इसलिए उन आदमियों का प्रोसीक्यूशन किया जायगा। इस प्रकार से बीज में दूसरी चीजें मिला दी है। इम्प्योर सीड दिया है, उनकी एन्क्वायरी के लिए दूसरा महकमा खोल दिया जाय; क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि राजस्थान में आप यह आशा करें कि जो आज इस मशीनरी का सेट अप है चाहे वह पंचायत समिति का हो या सहकारी समिति का हो, कहीं भी इम्प्योर सीड नहीं दिया जायगा। दूसरे लोग बेचते हैं तो बेचने वाले दूसरे लोग भी पंचायतों और सहकारी समितियों में हैं। आप क्या समझते हैं कि पंचायत समितियों में और सहकारी समितियों में बैठने वाले लोग इम्प्योरिफिकेशन नही करेंगे, सड़ा गला गल्ला बीज में नहीं मिलाया जायगा ? सब कुछ मिलाया जायगा और मिलाने के बाद में उनका प्रोसीक्यूशन किया जायगा। आप जांच करेंगे, इन्क्वायरी करेंगे कि किस ने प्योर सीड में इम्प्योरिटी पैदा की है। आपकी इन्क्वायरी चलेगी और पर्मीशन लेकर उनका प्रोसीक्यूशन चलेगा। तो सारे के सारे नये नये इस प्रकार के कानून लाकर आप करपशन को ज्यादा पैदा करेंगे, अनावश्यक रूप से। गवर्नमेंट के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी क्यों न रखी जाय कि वे शुद्ध और प्योर बीज़ हरेक केन्द्र पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। रेडियो और अखबार से प्रचार करें कि जिसको अच्छा बीज लेना हो वह वहां से प्राप्त कर सकता है। लोग अपनी इच्छा से बीज लेगें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा। उसी भावना से जब कि तीसरी व्यवस्था में विधेयक पास होने जा रहा है तो कुछ विचार माननीय कृषि मंत्रीजी के सामने विशेष रूप से और सदन के सामने रखे हैं, और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी मनोवृत्ति और एटीट्यूड जो कुछ सुनने में आया इस दृष्टि से मुझे ज्यादा हित होने वाला नहीं है, किसी का हित होने वाला नहीं है। वे चाहते हैं कि इस बीज़ के बारे में लोग अपनी व्यवस्था करें। आखिर देश में बीज तो खराब है, इम्प्योरिटी है, लोग मिलावट करते हैं, खाने पीने की चीजों में यह चलता है। वे हल्दी में करते हैं, दूध में चलता है, मिलावट के रूप में चलता है, मिलावट सब चीजों में है। इस तरह से कानून से रोक सकें। क्योंकि मिलावट करने वाले लोग सहकारी समितियों, पंचायतों आदि में भी होंगे उसके लिए उनका भी प्रोसीक्यूशन करेंगे। तो यह एक अनावश्यक सी चीज़ बनेगी। कानून कॉम्प-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लीकेटेड नहीं बने तो ज्यादा अच्छा हो। मानव जीवन को कठिन करने की जो मनोवृत्ति होती है वह अच्छी नहीं होती। उसको स्वच्छंद रूप से चलने दीजिये। आपका बीज अच्छा होगा तो लोग जरूर उसको लेंगे। कौन ऐसा आदमी होगा जो खराब चीज़ को लेना पसन्द करेगा? आपने यदि पहले से ही अंकुश लगा दिया तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं मानता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि मैंने इसको पेश किया है और बहुमत मेरे साथ है इसलिए इसे पास करा लूंगा। इस बात को मैं ज्यादा ठीक तरह से नहीं कह सकता। इन्हीं बातों को बता कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(४.१ म. प.)

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, I heard the Hon'ble Member-in-charge of the Bill at the time of second reading. I asked him to tell us why this compulsion is being imposed upon the people of Rajasthan, but I am very sorry to note that he could not make this House wiser by telling us about this. I had hoped that Hon'ble Member-in-charge of the Bill would certainly take the House into confidence. I did not speak deliberately at the time of second reading because I expected that at-least while concluding the second reading of the Bill he will tell us why he desires to bring about this compulsion on the cultivators in Rajasthan. I was really surprised to note that the Hon'ble Member-in-charge of the Bill would not come out with any suggestion as to why he wanted us to impose this compulsion. What do we find in this Bill ? We find two words therein; one is the 'approved seed or seedling' and the other is 'compulsion'. The two things by themselves are contradictions in terms. The approved thing, or the best thing, and compulsion can never go together. The compulsion is imposed only when the things that you want to sell are not of the best quality. If the things to be sold by you are really pure and best, you need not have any compulsion. Be sure that you will be able to sell it and sell it very quick. But the moment you say that you want compulsion on it, you are increasing our apprehensions that the quality of the seeds that you want to sell us would not be the best; it would not be the 'approved seed' in fact. The approved seed and compulsion, I may once again repeat, are contradictions in terms. They will never find place in the same dictionary. The moment you say that it is compulsion, I believe that you have yourself an apprehension that the things that you want to throw on the market, the things that you want to give to the cultivators, would not be the best, would not even be better than what they are ordinatily able to get in open market. I have my own apprehensions that way. Please convince us why you want to have this compulsion

(श्री अर्जुनदास)

upon them. If the thing is good, everybody is bound to buy it unless he be a fool. I know the people are not fools. If the Hon'ble Member in charge of the Bill feels that the general masses or cultivators are fools, then he is entitled to move this Bill, otherwise not. I for one am prepared to hold that the common cultivator is not a fool. He knows where his side of the better bargaining lies. He knows where to buy and he knows where to sell. If you give him good seeds, you can be sure he is going to buy them and be sure that there will be so much rush on your godowns that you will not be in a position to sell them properly. If You are making all these provisions paobably because you also agree with me that the Government is not certain that the seeds that are going to be saddled on the cultivators would be really of a good quality. If you have got such an apprehension I will ask the Hon'ble Member in chage of the Bill to say that it is so. But if he has no such apprehensions, then I would request him to remove this clause of compulsion and leave it to the open market. If the things are good, they will be sold without any compulsion. The proof of pudding lies in its eating and not in crying from the house tops that it is good. If the pudding is good it is going to be eaten. So please tell us why you want compulsion in the case of 'approved seeds.' So I would request the Hon'ble Member in charge of the Bill to remove this compulsion from the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल की तीसरी वाचन के स्टेज पर जयपुर और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ रोशनी डाली और यह कहा कि इस में कंपलशन करने की आवश्यकता क्या है और जब कि जरूरत की चीज है तो कंपलशन और ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें हैं और दूसरी बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कही और जौर दिया कि इस बिल के आने से सहकारी समितिया और पंचायतें क्या क्या नहीं करेंगी, एडल्ट्रेशन करेंगे, आगे की बात के लिये उनको खतरा महसूस हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक बात है कि अच्छी बात के लिये कंपल्शन करने की आवश्यकता क्या है ? मैंने पहले भी कहा है कि हमारे गांवों में ६०-६५ प्रतिशत लोग इस बात का अहसास करते हैं कि अच्छे बीज से अच्छी उपज बढ़ती है और उपज जरूर बढ़ी है, लेकिन ५ पर्सेन्ट कुछ ऐसे इन्टरमीडियरी लोग हो सकते हैं जो बीज का धंधा करते हैं या उधार देते हैं। एक तरफ तो हम अच्छा बीज दें और दूसरी तरफ पुराने ख्यालात के लोग, जिनके लिये आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, खराब बीज लोगों को दें। उसका नतीजा क्या होता है ? जिस एरिया में अच्छा बीज बोया जाता है और उसी के पास किसी खेत में खराब बीज होता है तो उन दोनों का क्रोस होता है और प्रोडक्शन ठीक नहीं होता है....

Page No.94

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप पाबन्दी उन पर क्यों नहीं लगाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पाबन्दी कैसे लगायेंगे ? कानून से ही तो पाबन्दी लगेगी। आप पाबन्दी को तो मान गये। ५ पर्सेन्ट लोग जो बाहर हैं और जो बीज वितरण का काम करते है या समाज के और लोग उनसे मिले हुए हैं, जो उनके जरिये अपना फायदा उठाना चाहते हैं, वे दूसरे लोगों में उल्टा प्रचार करेंगे। ९०-९५ पर्सेन्ट लोग तो यह कहते हैं कि हम अच्छा बीज बोयेंगे, उनको ये ५ पर्सेन्ट लोग भड़कायेंगे। इसलिये इन लोगों पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है। ९०-९५ पर्सेन्ट लोगों के लिये रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ५ पर्सेन्ट लोग जिनका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, अपने हाथ से अच्छी चीज़ नहीं कर सकते और जिसको आप स्वतंत्रता कहते हैं वह चालू रहेगी तो परिणाम उल्टा होगा। सेन्ट पर्सेन्ट लोगों को फायदा हो, उसके लिये कंपल्शन करने की आवश्यकता है....

एक माननीय सदस्य : हाउस में कोरम नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा, बैठ जाऊंगा।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

तो माननीय सभापति महोदय, जो दलील जयपुर से आने वाले....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It shows that the Congress Members are not prepared to hear the Hon'ble Minister.

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे सब आदमी बैठे हुए हैं, आप चिन्ता न करें।

श्री सभापति : We should come to the issue, I suppose.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो दलील अजमेर से और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दी है, यह वही दलील है जिसके कारण इस कानून को लाने की आवश्यकता समझी गई। मैं निवेदन करूं कि ९५ पर्सेन्ट लोगों के जमे-जमाये हुए मामले को चार—पांच आदमी फैल करवा सकते हैं। इस चीज़ को माननीय सदस्य ने भी स्वीकार कर लिया है और इसीलिए इस बिल की आवश्यकता है। वैसे ज्यादातर लोग बीज का फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठायेंगे। लेकिन कुछ स्वतंत्र भावना के लोग भी हैं जिनको काबू करना चाहिए और उनके लिए इस बिल की आवश्यकता है, इसलिए ही इस संशोधन को रखा है। मेरे ख्याल से इस बिल की जरूरत को महसूस कर लिया होगा, इसलिए इसे पास करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां जहां अच्छा बीज देने की जिम्मेदारी है वहां हम निभायेंगे। इसको ब्लॉक्स और पंचायत समिति के क्षेत्र में लागू कर सकेंगे।

श्री सभापति : कम से कम जौहरी बाजार में लागू नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नागौर में लागू होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां रोड़ा डालने वाले लोग हैं वहां लागू करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नागौर में ही सबसे खराब बीज है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सीड्स एन्ड सीडलिंग्स बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

४. १२ म० प०

राजस्थान आर्म्ड कान्सटेबुलरी (संशोधन, विधेयक, १९५८

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी (संशोधन) विधेयक, १९५८, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : This does not find place in the list of business.

श्री सभापति : It is there.

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सिम्पल है, मैं अर्ज कर दूं। बहुत फॉर्मल सा अमेंडमेंट है इसमें, बहुत सिम्पल है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी (संशोधन) बिल विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाता है।)

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी (संशोधन) बिल पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी (संशोधन) बिल, १९५८ पारित किया जाय :

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

४. १३ म० प०

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५९

(विचार-विमर्श)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भवन

(श्री रामकिशोर व्यास)

(किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है राजस्थान प्रेमिसेज़ कंट्रोल आफ रेंट....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : There are amendments to this, Sir.

श्री सभापति : विचारार्थ पेश कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कंट्रोल आफ रेंट एन्ड एविक्शन, अमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप मूव कर दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मूव तब करूंगा जब चेअरमैन कॉल करेंगे ।

श्री सभापति : Do you want to move your amendment ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, इसमें दो पॉइन्टस है, एक पोइन्ट यह है कि टिनेन्ट सामान रिमूव कर देता है, बिजली इत्यादि का तो मजिस्ट्रेट को पॉवर दी है कि वह काम करा दे, अगर उसका एग्ज़ीक्यूशन न हो तो ऑर्डर दे दें और उसको एग्ज़ीक्यूट करा दे और उसका रुपया ले ले । दूसरा पोइन्ट यह है कि गवर्नमेंट की और म्युनिसिपल बोर्ड की कुछ प्रोपर्टी है जो किराये पर दी हुई हैं, अगर सेनीटेशन, डेवलपमेंट इत्यादि के लिए सरकार को जरूरत पड़े, जैसे कि शहर में प्रोब्लम आ रही है कि मेन बाजार में थड़ियें आदि हैं लेकिन उनको हटा नहीं सकते हैं । इसलिये यह संशोधन किया गया है । मुझे उम्मीद है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए आप नहीं कहेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने कहा है, वैसा मुझे कानून में लगता नहीं । उनकी भावना हो सकती है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है । इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ की जो बिल्डिंग्ज़ हैं, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया कि प्रेमिसेज़ कन्ट्रोल ऑफ रेंट एण्ड एविक्शन बिल के प्रोविजन्स इन पर लागू नहीं होंगे । तो नतीजा यह होगा कि आप किसी पर्पज़ के लिये खाली करा सकते हैं । आप इसमें पर्पज़ लिख देते, जैसे प्राइवेट प्रोपर्टी, मकान मालिक के लिये लिखा हुआ है कि वे मकान खाली नहीं करवा सकते । उसमें कुछ कन्डीशन्स हैं, जिनके अन्दर वे खाली करवा सकते हैं, अगर पर्सनल यूज़ के लिए वे चाहते हैं तो खाली करवा सकते हैं । आप इसे लागू कर दीजिये, इसको रहने दीजिये, लेकिन कुछ एक्सेप्शन डाल दें, सेक्शन १३ में लिख दें, गवर्नमेंट या दूसरी लोकल बॉडीज़ के जो मकानात हैं, जमीन है, और दुकानें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, सेनीटेशन के लिए इजेक्ट करा सकते हैं, उस हालत में खाली करा सकते हैं जैसे मकान

Page No.97

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मालिकों के लिए एक्सेप्शन किया गया है, उसी तरह सेक्शन १३ में कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी होगा क्या, प्रेमिसेज कंट्रोल आफ रेंट एन्ड एविक्शन। एक्ट से एग्जेम्प्ट तो कर दिया, जो बिल्डिंग कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दी हैं, अगर वे एग्जेम्प्टेड हैं तो कोई पाबन्दी नहीं है कि थड़ी हटाने के बाद रास्ते को चौड़ा बना कर, स्वच्छता कायम करेंगे। थड़ी हटा दें लेकिन स्वच्छता कायम न करें, आप पर पाबन्दी नहीं होगी। आपकी भावना के अनुरूप यह कानून नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि विकास के लिए, अच्छे, काम के लिये और ऐसी परिस्थिति के लिये आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण आप उन दुकानों को, मकानों को, पटरियों को खाली करायें। आप इन चीजों को, इन सर्कम्सटान्सेज को लिख दें, प्रेमिसेज़ कंट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन एक्ट में क्लॉज़ डाल दीजिये, जैसे प्राइवेट मकान मालिकों के लिये कानून में डाल दिया है कि कोई भी मकान खाली नहीं करा सकता, बशर्ते कि पर्सनल यूज़ के लिये न चाहिये; वैसा ही कामर्शियल पर्पज़ के लिये, दुकान, मकान जायदाद राजस्थान सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने उठा रखी हैं, उनको खाली नहीं करवा सकती बशर्ते कि डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए आवश्यकता हो, सेनीटेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से जरूरत हो तो खाली कराई जा सकती है, इस प्रकार का आप इसमें एक्सेप्शन क्लॉज़ १३ में डाल दें तो आपकी मन्शा पूरी हो जाती है। आप यह क्लॉज डालें नहीं, जितनी कामर्शियल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, म्युनिसिपल बोर्ड ने दे रखी हैं, उन पर लागू नहीं होगा, दलील आपकी यह है लेकिन कानून में नहीं लिखी है। मैं समझता हूं कि इस कारण से यह हो जायगा कि आपको जरूरत होगी तो जिस दुकान को आपने किसी आदमी को दे रखा है, १० साल से उसका धन्धा जमा हुआ है, बहुत ही अच्छी दुकान जमी हुई है, मान लीजिये कि एक आदमी के मन में आया कि अगर यह दुकान मिल जाय तो अच्छा काम चल सकता है। अब दुकान जमाई उस व्यक्ति ने, गुड़विल पैदा की। उसने दुर्भाग्य से अब म्युनिसिपैलिटी की हालत ऐसी है कि वहां भी दलबन्दी है, पार्टीबाजी है, वहां ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है, एक दल की मेजोरिटी नहीं है, दूसरे की मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में है, उसको एक व्यक्ति कहता है कि फलां दुकान खाली करा लीजिये और मुझे दे दीजिये; आप अब मुझे समझा दीजिये कि कानून में ऐसी पाबन्दी कहां है कि एक से खाली कराके दूसरे को नहीं दे सकते। प्रेमिसेज कंट्रोल आफ रेंट एन्ड एविक्शन एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो बिल्डिंग हैं, उन पर लागू नहीं होते हैं, तो अब जो जौहरी बाजार में थड़ी उठा रहे हैं, यह हो सकता है कि डेवलपमेंट की स्कीम है, लेकिन कहीं रखी हुई थड़ी से एक आदमी को हटाकर दूसरे आदमी को नहीं दे देंगे, इसके लिये कौन सी पाबन्दी है। आपने जो शब्द एक्सप्लेनेशन में कहे, वे कानून में नहीं लिखे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लॉ डिपार्टमेंट को या ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट से से कन्सल्टेशन कर लें। जहां तक भावनायें हो सकती है डेवलपमेंटल, सेनीटेशन पोइन्ट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की प्रोपर्टी को खाली कराने की आवश्यकता हो तो अधिकार राज्य सरकार से पास रहना चाहिये, एक्सेप्शन के

Page No.98

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रूप में दिया जा सकता है, इस स्थिति में प्रोविज़न्स से एग्जेम्प्ट किया है। नहीं तो यह स्थिति होगी कि गवर्नमेंट की प्रोपर्टी है, म्यूनीसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्रोपर्टी है, पंचायत की प्रोपर्टी है, उसको इजेक्ट करवा लिया जायगा और दूसरे को दे दिया जाय। मैं समझता हूं, इससे एक केआोस पैदा हो जायगा। इस दृष्टि से मैंने सजेशन दिया है कि इसके लिए कन्सल्टेशन कर लीजिये, विचार कर लीजिये और फिर मुझे बता दीजिये कि क्या पाबन्दी है कि उसको खाली कराने के बाद दूसरे को नहीं दे सकेंगे। वैसे मैंने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन रखा था, इसकी मैं इतनी आवश्यकता नहीं समझता लेकिन अगर इस प्रकार के प्रोविज़न्स हो जातें हैं तो अच्छा रहेगा। कुछ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के ऊपर लगाये जा सकते हैं। गवर्नमेंट की और म्युनिसिपल बोर्ड की जो प्रोपर्टी हो, मकान हो किराये पर, उसको कानून की एक धारा से साफ कर दें। अगर यह कहें कि प्रेमिसेज कंट्रोल ऑफ रेंट एन्ड इविक्शन एक्ट के प्रोविजन्स लागू नहीं होंगे तो नतीजा यह होगा कि जिनका धन्धा जमा हुआ है, तो उससे खाली कराई जा सकती है और दूसरे को दी जा सकती है, जो कृपा पात्र हो और इसलिए इसके कारण से एक बड़ा अनर्थ पैदा हो जायेगा, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना था इसलिए मैंने मोशन सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का रखा है, मैं यह नहीं चाहता कि इसमें देर हो, आपके सामने डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं तो इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करके इस सत्र में सात-आठ दिन में ही इस पर रिपोर्ट मंगा सकते हैं और इसी सत्र इसे ले सकते हैं, सिलेक्ट कमेटी ७ दिन में अपनी रिपोर्ट दे सकती है, आपके कहने में और मेरे कहने में ज्यादा अन्तर नहीं है, आप कहते हैं कानून में है, मैं कहता हूं नहीं है; वह कानून में आ जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में रखता हूं।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : मिस्टर चेयरमैन, यह मसला ऐसा है कि मिनिस्टर महोदय ने जो आवश्यकता व्यक्त की उनकी आवश्यकता है पर आज जो किरायेदार की स्थिति है, जो कुछ हम पास करते हैं उसकी क्या भावना है तो लॉ कोर्ट में जब मामला ले जाते हैं तो इस भावना की कोई कद्र नहीं होती। म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से, लोकल सेल्फ बोर्ड की तरफ से भी किरायेदार हैं, उनको विक्टिमाइज़ करने के लिये इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है, खास करके लोकल बोडीज़ में चुनाव होते हैं तो पार्टी पोलिटिक्स बीच में आ जाती है; तो वैसी सूरत में इस तरह से लोगों को तंग भी किया जा सकता है। तो इस तरह का कानून पास होता हैं, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने विचार रखे कि सेनीटेशन के लिहाज़ से, पब्लिक के यूज़फुल वर्क के लिहाज़ से किसी मकान को, जमीन को खाली कराया जा सकता है तो इसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिये। वह नहीं होता है तो बहुत संभव है कि इन प्रोविज़न्स का दुरुपयोग हो सकता है। जो मकान किरायेदारों के पास हैं, उनको क्लॉज़ १३ के माफिक मकान खाली करने के लिये मजबूर किया जा सकता है। इस तरीके से यह बहुत आवश्यक है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यदि मन्त्री महोदय, इसको कबूल कर लेते हैं तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है। यह स्पेसिफिकेशन मानना आवश्यक है कि आज हम इतना बड़ा डिस्क्रिशन इस तरह की बोडीज़ के हाथ में दे सकते हैं, जहां बहुत से म्युनिसिपल कौंसिलर्स होते हैं, जहां पार्टी पोलिटिक्स चलती है, वहां वे अपने विम्स पर पुराने किरायेदारों को प्रेस कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी एक्वीज़िशन की प्रोसीडिंग्स करती है तो उसमें स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। जो बात अच्छी है, प्रगतिशील है, वह केवल आम जनता पर ही लागू क्यों हो, इसका इनीशियेटिव सरकार की तरफ ... नहीं हो। यह दलील समझ में नहीं आती ... लैंड लॉर्ड्स हैं उन पर सभी तरह की पाबन्दी हो और लोकल बोडीज़ जो इसी तरह लैंड लोर्ड हैं, उस पर इस तरह की पाबन्दी नहीं है। इस तरह के मकानों-दुकानों की आवश्यकता है, उनके लिए प्रोविज़न में रिलेक्सेशन होना आवश्यक है। पर यह डिस्क्रिशन इस तरह की बोडीज़ का होता है, वह अवश्य होना चाहिये आर्बीट्रेरी तरीकों से इस्तेमाल होगा। सभी सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह के प्रोविज़न्स का गलत इस्तेमाल हो जाता है। पुराने किरायेदार हैं उन्होंने गुडविल, व्यापार जमाया है, ऐसा नहीं हो कि लोकल बोडीज़ के हाथ में यह इस तरह का टूल हो जाय कि जिन्होंने रोजी का साधन बना रखा है, वह साधन उनसे छीन लिया जाय और इस तरह उन लोगों का हैरेसमेंट और टोर्चर हो जाय। मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय इससे सहमत होंगे कि क्लॉज़ १३ में प्रोविज़ो जोड़ा जा सकता है कि :—

"For the specific purpose for which a shop or business house shall be evicted, it will be utilised only for that purpose," That must be specifically incorporated inthis Act, otherwise the very purpose shall be defeated. और जो कुछ भावना मन्त्री महोदय ने व्यक्त की है उससे सबको इत्तफाक है, इसलिये मैं निवेदन करना चहूंगा कि आवश्यक परिवर्तन हो जाय या सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, वह सिलेक्ट कमेटी ७ दिन के अन्दर अन्दर साथ बैठ कर इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट इसी सदन के दौरान में पेश करे और अच्छा नतीजा निकाले और इसी सत्र में यह पास किया जाय ..
It is a matter ... st.
मुझे इतनी ही चीज कहनी है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Chairman, Sir, I have gone through the statement of objects and reasons given by the Hon'ble Minister, and to tell it frankly, I am in agreement with it. I accept these objects and reasons given by him. The objects and reasons say—

"In the presence of such a provision in respect of Government or municipal premises, much difficulty is being cxperienced to carry out efficiently and properly public purposes, particularly in relation to improving sanitation, removal of congest-

(श्री अर्जनदास)

ion on foot-paths by Thari holders etc."

If that is the only intention, then I would certainly welcome it and as the Honble Member incharge of the Bill tells us that this is the sole object of this amendment, I think I should accept his suggestion. But unfortunately, the remedy suggested by the Bill is worse than the disease itself. We are here out to remove this disease but the remedy that we are suggesting is going to be worse than the disease itself. I for one would like to make a suggestion that while discussing this Bill we should take into consideration the following things under the Rent Control Act:—

1. The position of Thari Halders;

2. The tenants of other buildings;

3. The fair or standard rent,

4. The suits already pending.

If the Hon'ble Minister suggests that with a view to improve the city he wants Thari holders to be evicted. I think it is a thing with which no body will find fault, but how about the other buildings which have nothing to do with tharies ? Some buildings of the Municipal Boards are let out. Shall we allow the Municipal Boards to play the part of Jews ? Shall we allow them to take such rent as thay like ? Certainly no, Hon'ble Member of this House would desire to give such powers to any local authority. I can even make bold to say that it is possible, and as a matter of fact it is actually going on in various parts of Rajasthan that a shop is fetching Rs. 10/- per month, but the Municipalities are charging Rs. 30/- or Rs. 40/- per month for a similar shop just opposite. Should we allow them to play Shylock and charge rents as they deem fit and proper. The question of removing Thari Holders in the interest of the whole city is a limited subject for which we all stand agreed, but why should we give bigger powers to the Municipal Boards than Hon'ble Minister has in his mind ? So far as Thari Holders are concerned, give them the powers, but for God's sake, don t give powers more than what you have in your own mind.

Then I would submit that apart from Thari holders, there can be good many other premises of the local bodies in other parts of the cities where there is no general scheme at all. The question is, shall we allow the local authorities to get these shops or houses evicted and again let out to their own yes-men ? Certainly that position would not be a good one. We cannot possibly be a party to such a resolution.

The Rent Control Act does not consist of one part only. One part

(श्री अर्जुनदास)

is about ejectment that the tenant cannot be ejected, but besides this part, there is another important part and that is about fixation of standard rent or the fair rent. If we allow the local authorities in the interest of the city to get their premises vacated, of course we will have to provide some check against its mis-use. We have to put certain checks with regard to the collection of rents. Why should the tenants of Municipalities be forced to pay exorbitant rent? If we accept the amendment tabled by the Hon'ble Minister, then in my humble submission, it would amount to a contravention of Article 14 of the Constitution of India. Under Article 14 of the Constitution no discrimination can be practised between two persons. So when all the citizens of Rajasthan, all the tenants of Rajasthan are being given an opportunity of getting standard rent or fair rent fixed by courts of law, why that opportunity should be denied to the tenants of local bodies? As soon as you deny that right you will be discriminating under Article 14 and that is not allowed.

I think the Hon'ble Minister would agree with me that there are so many things to be considered before passing this Bill and it is not so simple a Bill as he probably thought it. The Bill goes much beyond what the Hon'ble Minister intended. Many civil cases are already pending in Rajasthan under this Act and if we pass this Bill and exempt the premises of the local authorities from the operation of the Act, then I am afraid the legal position would be that all those suits which are already pending, they would fall flat. And what will be the position of those persons who have already obtained decrees by which standard rent has been fixed? These are all difficult positions, which we must take into consideration before passing this Bill.

I would, therefore, request the Hon'ble Minister not to hurry with the Bill, otherwise we will have to come with amendment to it sooner or later. So if we wait for some time, the Government is not going to lose anything; the Heavens are not going to fall. If we wait. for a few days, we might pass a better legislation.

Therefore, I would request the Hon'ble Minister to accept the amendment tabled by the Hon'ble Member from Jaipur and send the Bill to the Select Committee to find out the lacunae in the Bill, instead of bringing out further amendments later on.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस बिल का मकसद यह है कि इसमें क्लॉज़ २ में है: "other than premises let out for commercial purposes not being purposes mentioned in clause (c)"

(श्री पी० के० चौधरी)

सभापति महोदय, यह जो क्लॉज़ है वह इस प्रकार से है: "Provided that nothing in the Act shall apply...

(d) to any premises belonging to the State Government or a local authority other than premises let out for commercial purposes not being purposes mentioned in clause (c) , or "

अब मेरी समझ में नहीं आता कि थड़ी होल्डर्स यहां पर कहां से आते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : It is an illustration only.

श्री पी. के. चौधरी : थड़ी होल्डर्स को, Thari holders are not authorised lessees. आपने इसमें ऑथेराइज नहीं किया। यही मेरी समझ में नहीं आता कि ये थड़ी होल्डर्स कैसे आते हैं। यह तो आपके ऑथोराइज्ड टिनेन्ट्स के लिये ही है। Thari holders are unauthorised occupants. उनको तो आप जब चाहें तब हटा सकते हैं। वे अनऑथोराइज्ड टिनेन्टस हैं। लेकिन जो ऑथोराइज्ड ऑकुपेन्ट्स हैं उनको आप किस तरह से हटाना चाहते हैं। इसकी क्लीयर पिक्चर आनी चाहिये थी। जब मिनिस्टर अपना रिप्लाई देंगे तो इसमें साफ करेंगे It is not necessary to bring an amendment for dealing with Thari holders.

श्री रामकिशोर व्यास : चेयरमैंने महोदय, इस बिल के जो खास उसूल हैं वे तो करीब करीब सभी ने माने हैं लेकिन एक बात जो इसके खिलाफ कहीं गई वह यह है कि लोकल बोडीज़ और जो गवर्नमेंट और पब्लिक है वह अलग अलग है। हमारे मकानों को खाली कराने का कानून हो और गवर्नमेंट के मकानों के लिये कोई कानून नहीं हो, इसलिये इस कानून को गवर्नमेंट पर और लोकल बोडीज़ पर भी क्यों नहीं लागू किया जावे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो है वह यह है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनडिविज़अल में और लोकल बोडीज़ में और गवर्नमेंट में बहुत फर्क है। इन्डिविज़अल तो मकान किराये पर प्रोफिट के लिये दे सकते हैं, मगर गवर्नमेंट के पास इतने मकान भी नहीं होते जिनको कि मुनाफे की गर्ज से देवे। गवर्नमेंट में १०००) बढ़ जावे तो कोई असर नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट का मोटिव यह नहीं है कि वह मकान प्रोफिट के लिये दे। सवाल लोकल बोडीज़ का आता है। वह भी इलेक्टेड बोडी है। इसमें इन्डिविजुअल प्रोफिटियरिंग का सवाल नहीं है। जहां यह होता हो तो वहां क्वेश्चन पैदा होता है। इसमें इन्डिविजुअल प्रोफिटियरिंग का प्रश्न नहीं है लेकिन जहां पॉवर्स के मिसयूज़ का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्टेड आदमी हैं, बोडी है, बेजा तरीके से पॉवर्स का इस्तेमाल किया हो तो अपील भी हो सकती है, पॉवर्स देते हैं तो मिसयूज़ भी होता है इसके माने यह नहीं कि पॉवर्स न दें लेकिन अगर मिस यूज़ करती है कोई इलेक्टेड बोडी तो उसकी अपील आगे जाकर हो सकती है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : इन्डिविजुअल कैसे कर सकेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उसमें देखने की बात है। यह तो एक साइड है। जैसा म्युनिसिपल बोर्ड का है उसी तरह से गवर्नमेंट को भी डिफिकल्टी है। मान लीजिये कि ऑफिस पर्पज़ के लिए जरूरत है वह यदि सूट फाइल करने जाय तो तीन वर्ष लग गये तो उसका जो पर्पज़ है वह ही खत्म हो जाय। किराये का मकान मिलता नहीं। इसमें प्रोफिटियरिंग का सवाल नहीं है। एक पक्ष बताया जिसमें वजन है, मिस यूज़ पॉवर्स का हो सकता है, लेकिन इसमें टेन पर्सेन्ट पोसिबिलिटी हो सकती है, ६० पर्सेन्ट पोसिबिलिटी नहीं है; इसमें रिस्क कम रहेगा। अगर प्रोविज़न नहीं करते हैं तो बहुत डिफिकल्टी आती है।

ऑलरेडी जो एक्ट है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स हैं वे सब एक्सक्ल्यूडेड हैं। लेकिन यहां जितनी स्टेट बिल्डिंग्स हैं, ये ही रूल्स चलते आये जिससे उनको एक्सक्ल्यूड नहीं किया गया। दूसरे स्टेट और प्रोविन्सेज़ के कानूनों को देखेंगे तो उनमें भी स्टेट बिल्डिंग्स एग्जेम्टेड मिलेंगी जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं उस कारण से इसको रखा गया है।

आपने फरमाया कि कॉन्स्टिट्युशन का वायोलेशन होगा, डिस्क्रीशन हो जावेगा। कुछ पब्लिक के लोगों पर रेन्ट कन्ट्रोल होगा और कुछ पर नहीं होगा'। आप स्वयम् ही एडवोकेट हैं। यदि इसी को डिस्क्रेशन माना जाय तो ऐसा दूसरी जगह भी नहीं होगा। लेकिन यह डिस्क्रेशन नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स सर्टेन पर्पज़ेज के लिए एक्सक्ल्यूडेड हैं और यह वहां पोसिबल है तो यहां पर भी पोसिबल है, यहां भी लागू हो सकता है।

यही होल्डर्स का सवाल है वह before the influx of refugees. बहुत सी जगह सड़कों पर बहुत सी चीजें, घड़िया भी दी हुई थी बिफोर रिफ्युजी मूवमेन्ट, कपड़े वाले हैं और कई तरह के लोग बैठा करते थे, वे सैकड़ों की तादाद में हैं। अनऑथोराइज्ड की जहां बात करते हैं वह आ सकती हैं उसमें। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनके लिए कुछ नहीं है। उनको बिना इसके हटा नहीं सकते। इस दृष्टि से यह वाजिब है और हम दूसरी स्टेट के पेरेलल भी आ जावेंगे। यह एक छोटा सा परिवर्तन पेश किया गया है। मैं समझता हूं आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अर्जुनदास : चंद दिन के लिए ठहर जावें तो क्या हर्ज है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई वजह हो तो ठहर सकते हैं।

श्री अर्जुनदास : We will really find out a good solution.

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जो मोशन श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें, जो विरोध में हों वे ना कहें।

(मत-दान होने से पूर्व)

श्री अर्जुनदास : Sir, I believe the Hon'ble Minister agreed to defer the bill for some days.

श्री रामकिशोर व्यास : No, Sir.

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता। 'ना' पक्ष जीता।

(श्री सभापति)

मोशन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) अमेन्डमेंट बिल, १६५६ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृति)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : चेयरमैन महोदय, बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : नो, नो। कुछ अमेन्डमेन्ट्स हैं।

क्लॉज़ २, श्री अर्जुनदास।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, I move an amendment in clause (2). In clause (d) of the Proviso to sec 2 of the Principal Act, the words, brackets and letter "other than premises let out for commercial purposes not being purposes mentioned in clause (c)" be substituted by the following:—

"Except for the purposes of fixation of the standard rent under this Act". The Hon'ble Minister suggests that all the premises belonging to the state or the local authorities be absolutely and for all purposes exempted from the Rent Control Act, and he give us the reasons in the statement of objects and reasons. In that statement he says that Government feels difficulties when they have to remove Thari holders or others in public interest or in case of a scheme laid down by the State or the local authorities. I find, however, that the remedy suggested by him is much more than what is laid down in the statement of objects and reasons. I have, therefore, tabled an amendment.

He says that when Thari holders or others have got to be removed in general or public interest, the Rent Control Act should not be made applicable. I say, 'yes.' I also accept it, but besides this eviction of tanants, there is another thing also in the Rent Control Act and that is with regard to the control of rent. It is not only Eviction Act, it is Rent Control and Eviction Act. If we accept the amendnment tabled by the Hon'ble Minister then the premises of the local authorities would all be exempt from all the provisions of ejectment as well as fixation of standard or fair rent.

I will give you one example. Suppose there are some premises belonging to local authorities and let out for commercial purposes. The local authority has no Plan for that

(श्री अर्जुनदास)

particular locality; they don't want to evict the tenant of that premises. Then why should that tenant be denied the right of going to a court of law and getting fair rent fixed by it ? The right to evict is something quite separate from the question of fair or standard rent. Therefore, I suggest that while we do give the local authorities a right to get their tenants evicted, at the same time we should not deny the tenants' right to get standard rent fixed from a court of law. Besides, at present there are many cases pending in the law courts. What will be the effect of this Bill on them ? They will fall through. Therefore, when the Hon'ble Minister says that the words "other than premises let out for commercial purposes not being purposes mentioned in clause (c)" may be omitted, I say that in place of that the following be sudstituted :-

"except for the purpose of fixation of standard rent under this Act." so that if the Municipal Board or any other local authority means to let out the premises to anybody on rent, they should not be allowed to collect rents at exorbitant rates. Why should a tenant of a local authority be made to pay twice the rent prevalent in the locality ? If you accept my amendment, then these premises will be exempt from the provisions of the Act so far as ejectment part is concerned, but so far as the question of standard rent is concerned it shall be applicable. A tenant of a local authority should not be made to pay through his nose an unfair rent.

I think my suggestion is reasonable and I hope the Hon'ble Member in charge of the Bill will accept my amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन रखा है उसका बुनियादी महत्व है, इसलिए उस पर कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे राज्य में मकानों के किराये के सम्बन्ध में कुछ नियमन किया गया है। कानून द्वारा नियमन करके निश्चित किया गया है कि किराया कितना लिया जा सकता है ? मकानों में श्रीमान् कुछ तो मालिक रहते हैं और कुछ में मालिक मकान के साथ साथ किरायेदार भी रहते हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार,जयपुर) : On a point of order Sir, सरकार द्वारा जो यह बिल पेश किया गया है क्लॉज़ २ है; उसमें अमेन्डमेंट चाहा गया है वह-यह है "In clause (d) of the proviso to section 2 of the Rajasthan premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 ... the words brackets and letters other than premises let out for commercial purposes not

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

being purposes mentioned in clause (c)' shall be omitted.'' Whereas in the original Act, there are no such words.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : You are quoting from old Act. It has been amended subsequently.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (जारी) : मैं माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर निवेदन कर रहा था इसमें आम जितने भी मकानात या जायदादें हैं उनके किराये के बारे में नियमन किया गया है। मकान चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष का हो चाहे वह संख्या का हो या सरकारी हो। किसी का भी हो उनमें से किसी को कानून द्वारा मुक्त किये जाने की नीति नहीं है। अब हम सरकारी मकानों को कानून से मुक्त करना चाहते हैं। अगर नीति यह है कि राज्य चाहे जिसके घर से रोटी उठाकर खा ले जब कि व्यक्ति नहीं कर सकता। तो राज्य विशेष पुरुष हो गया है वह एक प्रकार से होब्स के बिलैवियाथन की तरह हो गया है। ऐसे ही कायदे होब्ज़ की पोलिटिक्स में आये, जिस देश में वह पैदा हुआ था उसी देश के लोगों ने उसकी थ्योरी को मोड्यूलेट किया। जनतान्त्रिक राज्य में असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। जहां सीमा नहीं रहेगी तो वह राज्य नहीं हो सकता; वह कुशासन होता है, दुशासन होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो है ही।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आज हमारे सामने जो विधेयक रखा जा रहा है उससे हमें इसी प्रकार की विचित्र अवस्था में लाया जा रहा है। कोई भी मकान जो सरकारी कार्य के लिये लिया जाता है चाहे वह किसी का हो उस पर किराया कानून लागू कराते हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष को सरकार मकान दे किराये के लिए तो उसके किराये के लिये नियम से मुक्ति दी जाती है। यह कौन सी नीति है, आप मुझे समझा दें। मैं यदि यह समझ गया कि आपकी नीति इस बारे में ठीक है तो मैं समझूंगा मैं राजनीति में बेकार आदमी हूं। मैंने आज तक जो सार्वजनिक जीवन में भाग लिया और जहां तक समझ पाया हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि इस प्रकार का नियमन व्यक्ति विशेष की जायदाद पर करना कहां तक उचित होगा? आज सरकार चीप ग्रेन शोप्स खोलती है वह इसलिए खोलती है कि जो लोग ज्यादा कीमत पर धन बेचते हैं, कम्पीटिशन होगा तो कम कीमत पर बेचने लगेंगे। जब सरकारी दुकानों पर सस्ता अनाज मिलेगा तो मजबूर होकर उनको भी कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। मगर मकानों के सम्बन्ध में यह जो आप कर रहे हैं वह एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट करने का काम है। इससे आपने सारे सार्वजनिक जीवन को अपने हाथ में ले लिया है। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है आपका वह निकम्मा दृष्टिकोण है। राज्य को किसी व्यवसाय के करने में रुकावट नहीं। राज्य मन चाहा व्यवसाय करे....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time is over, Sir.

श्री सभापति : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक ४ मार्च, १६६० के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

सायं ४. ५५. म०१०

Page No.108

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३ मार्च, १९६०)

स्तम्भ   स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक   ११८१

कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा वितरित बीज ।

म्युनिसिपल बोर्ड, भीलवाड़ा, के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले ।

भूतपूर्व ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरीज़ ।

२५०) रु० से कम वेतन वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण ।

गंगकोलोनी व भाखरा परियोजना ।

काश्तकारान को उनके मवेशियों का चमड़ा धुपाई और रंगाई देने के बाद वापिस करना ।

टौंक जिले में जंगलात की रेन्जों में मवेशियों की चराई दर ।

बूंदी का अस्पताल ।

राजस्थान कैनाल के चोरी गये पाइप ।

नगरपालिकाओं के चुनाव ।

वेक्सिनेटर, सेनिटरी इन्सपेक्टर व मलेरिया इन्सपेक्टर की वांछित योग्यता एवं ग्रेड।

लालसोट कस्बे में ल्हौड़ी बड़ी के खोरें को रोक कर बांध तैयार करने की योजना ।

किसानों को चद्दर, सरिये एवं गर्डर आदि सामान तहसीलों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

वन विभागीय ठेकेदारों में बकाया रकम की वसूली ।

काश्तकार कृषि सहकारी समिति ।

ग्राम बगड़ी, तहसील लालसोट, में स्थित तालाब को ठीक कराने की व्यवस्था ।

पंचायत बिलरण, तहसील लालसोट के सरपंच के विरुद्ध लगे अनुशासन भंग के अपराध पर पुनर्विचार ।

सरेरी बांध, राइट कैनाल जोन, पर पुल ।

जयपुर जिले की पंजीबद्ध काश्तकार कृषि सहकारी समितियां ।

तहसील मान्डल के चिलेसर गांव के व्यक्तियों को कम्प्रेशर उपलब्ध कराना ।

बंधों पर कार्य करने वाले मुहाफिजों के निवास हेतु सरकारी मकान ।

डुंगरगढ़ नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर का वेतन दिलवाना।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति १२४०

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

(१) श्री लक्ष्मीचन्द दिनांक २४–२–६० से ६–३–६० तक।

(२) श्री श्रीनिवास शारदा दिनांक २४–२–६० से ५–३–६० तक।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिए गये विधेयक

राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८ १२४१

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० चन्द्रकला, सदस्या, विधान सभा, ने विधेयक को पुन: उसी प्रवर समिति को सौंप दिये जाने तथा श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा, ने उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने के संशोधन प्रस्तुत किये। इन पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) डा० बहादुरसिंह।

(२) श्री मोतीलाल चौधरी।

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री जनार्दनराय नागर

(५) श्री भैरोंसिंह (१४)

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् उपरोक्त दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डश: विचार किया गया।

खण्ड २ से १२ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड १३ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १४ से १६ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम :—स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १६५८ १३१५

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री शिवचरणदास
(२) श्री मदनसिंह दांता
(३) श्री महेन्द्रसिंह पंवार
(४) श्री पी०के० चौधरी
(५) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(६) श्री सूबेदारसिंह

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड २ से ७ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ८:—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ९ :— बिना किसी संशोधन के स्वीकार हुआ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम:—स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान आर्मड् कान्सटेबुलरी (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४. राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९ १३७०

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री सतीशचन्द्र, सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री छोटूसिंह
(२) श्री अर्जुनदास
(३) श्री पी० के० चौधरी

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये

जाने का श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संशोधन अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ

खण्ड २ :—श्री अर्जुनदास, सदस्य, विधान सभा, ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार दिनांक ४ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

शुक्रवार दिनांक ४ मार्च १९६० की कार्य-सूची

१. अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

२. राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० (पुनः स्थापन)

३. विचारार्थ विधेयक

(अ) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण संशोधन विधेयक, १९५९

(ब) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, ६०

(उ) राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९५९

(ए) राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एनफोर्समेंट) संशोधन विधेयक, ५९

(आ) राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, ६०

राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, ६०

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

१	२
१–श्री वेदकुमार माथुर	चुंगी मोहर्रिर
२–श्री चांदमल भदादा	,,
३–श्री सांवरमल शर्मा	,,
४–श्री फतहमोहम्मद	,,
५–श्री लक्ष्मीकान्त	,,
६–श्री हाफिज मोहम्मद	आक्ट्रोरियन

उपरोक्त सब व्यक्तियों के विरुद्ध मामले प्रमाणित हो चुके हैं।

— ——

परिशिष्ट २

(कृपया, तारांकित प्रश्न संख्या १८४ का उत्तर देखिये)

नगरपालिकाओं की सूची, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

क्रम सं०	नाम नगरपालिका
१	२
१–	अजमेर
२–	सरवाड़
३–	जयपुर
४–	चौमू
५–	दौसा
६–	फुलेरा
७–	झुंझुनूं
८–	चिड़ावा
९–	मन्डावा
१०–	उदयपुरवाटी
११–	हिन्डौन
१२–	टोडाभीम
१३–	उनियारा
१४–	देवली
१५–	कामां
१६–	बयाना
१७–	मीनासर
१८–	चूरू

१	२
१९–	रतनगढ़
२०–	सुजानगढ़
२१–	तारानगर
२२–	रतननगर
२३–	गंगानगर
२४–	करनपुर
२५–	हनुमानगढ़
२६–	सूरतगढ़
२७–	अनूपगढ़
२८–	डीडवाना
२९–	पाली
३०–	भीनमाल
३१–	बाडमेर
३२–	सिरोही
३३–	माउन्ट आबू
३४–	नाथद्वारा

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १९४ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट (क)

क्रम संख्या	नाम टेनेन्ट फार्मिंग समिति जो सन् १९५९ में रजिस्टर्ड हुई (जयपुर डिस्ट्रिक्ट)	काश्त की गई या नहीं	पैदावार का मूल्य	तादाद रकबा जिसमें खेती की गई
१	२	३	४	५
१.	बडाग्राम जरस्या कृषि सहकारी समिति लि०	काश्त की	२९२१)	५४ एकड़
२.	कूकस पूर्वी कृषि सहकारी समिति लि०	,,	२८७८)	५८ ,,
३.	कूकस पूर्वी क्षेत्र कृषि सहकारी समिति लि०	,,	२४४६)	४८ ,,
४.	चैनपुरा बास डेडवाडी कृषि स० स० लि०	,,	७६०)	१२१ ,,
५.	डेडवाडी कृषि स० स० लि०	,,	४९४)	७६ ,,
६.	जगमालपुरा कृषि सहकारी समिति लि०	,,	५५६)	८६ ,,
७.	बगरू रेगर कृषि सहकारी समिति लि०	,,	२०१०)	७२ ,,

१	२	३	४	५
८.	बगरू कला ,, ,, ,,	,,	६३०)	२६ ,,
६.	बगरू सटीक ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	–	–
१०.	श्योपुर ,, ,, ,,	–	–	–
११.	झालाना डूंगर ,, ,,	–	–	–
१२.	कोलावाड ,, ,, ,,	–	–	–
१३.	बीड जैसल्या ,, ,, ,,	–	–	–
१४.	बेरी ,, ,, ,,	–	–	–
१५.	सुन्दरपुरा नन्दा ,, ,,	–	–	–
१६.	करवास ,, ,, ,,	काश्त की	१०००)	१६
१७.	दयाराम की ढाणी ,, ,,	–	–	–
१८.	डोवला खुर्द ,, ,,	काश्त नहीं की	–	–
१६.	नी झरना ,, ,, ,,	–	–	–
२०.	टोडी ,, ,, ,,	–	–	–

१	२	३	४	५
२१.	चांदसेन कृषि सहकारी समिति	काश्त की	४६४)	३८
२२.	डिगो ,, ,, ,,	,,	४०३)	३१
२३.	टोडा ढेकला ,, ,,	,,	१०४)	४
२४.	गढलाई ,, ,, ,,	,,	१००)	४२
२५.	विशनपुरा ,, ,, ,,	,,	२४००)	८४
२६.	येगदास ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	—	—
२७.	चक हेवायाला ,, ,,	काश्त की	२५००)	८४
२८.	पैनाव ,, ,, ,,	,,	८४६)	३३
२९.	झराना ,, ,, ,,	,,	६५१)	२४
३०.	लदाना ,, ,, ,,	,,	६५७)	१२
३१.	समेल्या ,, ,, ,,	,,	२३१९)	६४
३२.	सूवाकावास ,, ,, ,,	,,	३०६)	१२
३३.	हरसूलिया ,, ,, ,,	,,	—	६०

१	२	३	४	५
३४.	पुहाडिया कृषि सहकारी समिति लि०	–	–	–६८–
३५.	,, वेरन ,, ,, ,,	–	–	–६५–
३६.	दोसरा ,, ,, ,,	–	–	–२८–
३७.	सहदरिया ,, ,, ,,	–	–	–४०–
३८.	नथमलपुरा ,, ,, ,,	–	–	–
३६.	स्यालावास ,, ,, ,,	काश्त की	अभी बेचा नहीं	२४
४०.	कोल्याना ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	–	–
४१.	सुमेल कला ,, ,, ,,	–	–	–
४२.	नांगल ,, ,, ,,	काश्त की	अभी बेचा नहीं	७२
४३.	रेहा ,, ,, ,,	काश्त की	४५३)	८४
४४.	आसतवाडा ,, ,, ,,	,,	१८५)	१३
४५.	गुमानपुरा ,, ,, ,,	–	–	–
४६.	रानोली ,, ,, ,,	–	–	–
४७.	पालूकला ,, ,, ,,	काश्त की	६६५.०)	४८

Page No.119

१	२				३	४	५
४८.	अखेपुरा	,,	,,	,,	,,	४८५)	१०८
४९.	इटाखोई	,,	,,	,,	,,	११७०)	४१
५०.	पानवकिला	,,	,,	,,	,,	१६१०)	५७
५१.	भामटोडीकला		,,	,,	—	—	—
५२.	हालदा	,,	,,	,,	—	—	—
५३.	फालाबास गिन्डोलाई कृषि स० स० लि०				—	—	—
५४.	जयसिंहपुरा खोर		,,	,,	—	—	—
५५.	राघवपुरा	,,	,,	,,	—	—	—
५६.	रूपबास	,	,,	,,	—	—	—
५७.	कोथूंन	,,	,,	,,	—	—	—
५८.	किशनपुरा	,,	,,	,,	—	—	—
५९.	नैनूपुरा	,,	,,	,,	काश्त की	१७००)	१६
६०.	कोटखावदा	,,	,,	,,	,,	३२००)	३७
६१.	जयसिंहपुरा	,,	,,	,,	,,	२४०)	४

१	२	३	४	५
६२.	लालावास ,, ,, ,,	,,	३५००)	४०
६३.	रजलगरामपुरा ,, ,,	काश्त नहीं.की	–	–
६४.	रामपुरा यूगर्ज ,, ,,	काश्त की	७०००)	८०
६५.	मंडालिया ,, ,, ,,	,,	५०००)	५७
६६.	खिगरिया ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	–	–
६७.	कोथून (ए) कृषि सहकारी समिति लि०	काश्त की	१५००)	१८
६८.	कृपारामपुरा ,, ,, ,,	,,	११५००)	१४०
६९.	कादेडा कृषि सहकारी समिति लि०	काश्त की	२६००)	८८ एकड
७०.	दलपतपुरा ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	–	– ,,
७१.	बालपुरा ,, ,, ,,	काश्त की	११००)	१५
७२.	दलपतपुरा ,, ,, ,,	काश्त नहीं की	–	–

१

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ३ मार्च, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पृष्ठ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
११९७	प्रथम	टोक	टौंक
१२१५	शीर्ष	(श्री जयचन्द्र मोहिल)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१२४२	,,	गौशाला विघेयक,	गौशाला विधेयक,
१२४२	३	('परम्परा' है ऐसी	('परम्परा है,' ऐसी
१२४८	८	"Wheneevernece	Whenever nece-
१२४९	९ व १०	लेकिन....इनाशयल	लेकिन नये रूल्स जो हमने स्वीकृत किये हैं उनके अन्तर्गत फाइनेशियल
१२५०	अन्तिम से ३	Seleit	Select.
,,	अन्तिम	elicriting	eliciting
१२५४	,, से ६	sucha	such a
,,	,, ,, ५	wasa	was a
१२६०	शीर्ष	विघेयक	विधेयक
१२६१	८	,,	,,
१२६५	२२	हैं से ।	हैं ।
१२६७	५	यो भी	यों भी
१२७७	४	अन्तरग	अन्तरंग
१२९४	२०	फंकान्स	प्रकृशन्स
१२९५	अन्तिम से २	फन्शक्न्स	फन्क्शन्स
१३०१	११	a pricular	a particular
१३१४	प्रथम	प्रियएम्बन	प्रिएम्बल
१३२५	२३	Correc	Correct
१३२६	१६	श्री मयनसिंह	श्री मदनसिंह
१३४७	३	Ona	on a
१३४८	४	pleaseli	please !
१३४९	अन्तिम से २	का बढ़ाना	को बढ़ाना
१३५०	२	poinit	point
१३५३	२	अकएव	अतएव
१३५५	६	प्रिएम्बस	प्रिएम्बल
१३६१-६२	शीर्ष	३ मार्च, ६०	३ मार्च, ६०

(२)

१	२	३	४
१३६५	अन्तिमसे ८	mar the	market. If the
१३६६	१३	विढेयक	विधेयक
१३७७	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री छोटूसिंह)
,,	१७–१८	तरफ.... ....लैंड	तरफ़ से क्यों नहीं हो । यह दलील समझ में नहीं आती और लैंड
१३७८	अन्तिम से ४	cxperienced	experienced
१३७९	१९–२०	halders	Holders
१३८५	अन्तिम से ८व६	डिस्केशन	डिस्क्रीशन
,,	,, ,, ७	धी नहीं	भी नहीं
,,	,, ,, ४	सर्टर	सर्टन
,,	,, ,, २	पर फी	पर भी
१३८९	२१	to being	not being
१३९०	अन्तिमसे १०	श्री सतीशचन	श्री सतीशचन्द्र
१३९३	शीर्ष	वत्यादि	इत्यादि